१. द्रव्य संचालन मार्गदर्शन

श्री श्वेतांबर मूर्तिपूजक तपागच्छ जैन संघ द्वारा संचालित सात क्षेत्रों आदि धर्मद्रव्य की आय और व्यय :

एक शास्त्रीय मार्गदर्शन

सातक्षेत्रों के नाम

१ - जिनप्रतिमा, २ - जिनमंदिर, ३ - जिनागम, ४ - साधु,
५ - साध्वी, ६ - श्रावक एवं ७ - श्राविका

१ - जिनप्रतिमा क्षेत्र

जिनप्रतिमा को उद्देश्य कर प्रतिमाजी के निर्माण आदि हेतु किसी भी व्यक्ति ने भक्ति से जो द्रव्य अर्पण किया हो वह 'जिनप्रतिमा क्षेत्र का द्रव्य' कहलाता है ।

उपयोग :

- इस द्रव्य से नूतन प्रतिमाजी का निर्माण कर सकते हैं ।
- प्रभुजी की आंगी (आभूषण), चक्षु, टीका (तिलक) हेतु इस्तेमाल कर सकते हैं ।
- प्रभुजी को लेप, ओप कराने में काम ले सकते हैं ।
- आपत्ति के समय प्रभुजी की रक्षा संबंधी सभी खर्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं ।

नोंध : श्रावकों को चाहिए कि प्रभु प्रतिमा का निर्माण स्वद्रव्य से ही करें, परंतु यदि प्रभु प्रतिमा देवद्रव्य में से निर्मित की हो तो प्रतिमा पर लिखे जाते लेख में 'यह प्रतिमा अमुक संघ की देवद्रव्य की आय में से निर्मित की है ।' ऐसा उल्लेख जरूर करें ।

२ - जिनमंदिर क्षेत्र

जिनमंदिर को उद्देश्य कर प्राप्त हुआ द्रव्य 'देवद्रव्य' कहलाता है । उसी तरह प्रभु के पाँच कल्याणक : १ - च्यवन कल्याणक (स्वप्न उतारने की बोलियाँ), २ - जन्म कल्याणक (पारणा एवं स्नात्र महोत्सव की बोलियां), ३ - दीक्षा, ४ - केवलज्ञान एवं ५ - मोक्ष कल्याणक निमित्त प्रभु को उद्देश्य कर जिनमंदिर में या अन्यत्र किसी भी स्थान में जो बोलियाँ बुलाई जाती हैं, उसकी पूरी आय 'देवद्रव्य' ही गिनी जाती है ।

प्रभुजी की अष्टप्रकारी पूजा की बोलियाँ, आरती, मंगल दीया, प्रभुजी के सामने रखे भंडार (गोलख) की आय, स्वप्न, पारणा, अंजनशलाका-प्रतिष्ठा महोत्सव प्रसंग पर प्रभु-निमित्तक सभी बोलियाँ, उपधान की नाण का नकरा, उपधान की माला पहनने की बोलियाँ या नकरा, तीर्थमाला, इन्द्रमाला आदि सभी बोलियाँ, उसी तरह प्रभुजी के वरघोड़े (शोभायात्रा) संबंधी विभिन्न वाहन आदि एवं प्रभुजी के रथ, हाथी, घोडे आदि में बैठने आदि की तमाम बोलियाँ श्री तीर्थंकर परमात्मा को उद्देश्य कर बोली जाती हैं, अतः वह सब देवद्रव्य कहलाता है ।

देवद्रव्य का उपयोग :

- ❖ जिनमंदिर के जीर्णोद्धार में एवं नूतन जिनमंदिर निर्माण में कर सकते हैं ।
- ❖ आक्रमण के समय तीर्थ, मंदिर एवं प्रतिमाजी की रक्षा हेतु इस द्रव्य को काम ले सकते हैं ।

(**नोंध :** तीर्थरक्षा आदि के समय जैन व्यक्ति को यह द्रव्य दे नहीं सकते ।)

जिनेश्वर भगवान की भक्ति-पूजा तो श्रावक अपने द्रव्य से ही करें, परंतु जहाँ श्रावकों के घर न हों, तीर्थभूमि आदि में जहाँ श्रावकों के घर सामर्थ्यवान न हों, वहाँ प्रतिमाजी अपूजित (पूजा किए बिना के) रह न जाए, अतः अपवादरूप से देवद्रव्य से भी प्रभुपूजा करानी चाहिए । प्रतिमाजी अपूजित तो न ही रहने चाहिए ।

जहाँ श्रावक व्यय करने हेतु सामर्थ्यवान न हों, वहाँ प्रभुजी अपूजित न रहे उतनी मात्रा में - पुजारी का वेतन, केशर, चंदन, अगरबत्ती आदि का खर्चा देवद्रव्य में से कर सकते हैं । पर श्रावक के कार्य में यह द्रव्य इस्तेमाल न हो जाए इसका पूरा ख्याल रखें ।

यदि पुजारी श्रावक हो तो उसे साधारण खाते में से वेतन देवें । जैन को देवद्रव्य का पैसा न दें, अन्यथा लेने एवं देनेवाले दोनों पाप के भागी बनेंगे हैं ।

इतना तो पक्का याद रखें कि, जिनपूजा का स्वकर्त्तव्य रूप कार्य श्रावक को अपने निजी द्रव्य से ही करना है ।

नोंध : जिनमंदिर - जीर्णोद्धार-निर्माण आदि कार्य में मार्बल-पत्थर आदि किसी भी

चीज की खरीद हेतु अथवा किसी काम की मजदूरी हेतु देवद्रव्य में से जैन व्यक्ति को पैसा नहीं दिया जा सकता ।

- ❖ इस खाते का द्रव्य पहले क्षेत्र - जिनप्रतिमा के कार्य में लगा सकते हैं ।
- ❖ जिनप्रतिमा एवं जिनमंदिर : इन दोनों क्षेत्रों का द्रव्य देवद्रव्य होने से नीचे के किसी भी क्षेत्र में इसका उपयोग हो ही नहीं सकता ।

गृह जिनमंदिर :

गृह जिनमंदिर के भंडार की आय तथा वहाँ प्राप्त अक्षत (चावल), फल, नैवेद्य (मिठाई आदि) को बेचकर आई हुई रकम देवद्रव्य में जाती है । परंतु इस देवद्रव्य की रकम अपने गृहमंदिर के किसी भी कार्य में इस्तेमाल नहीं की जा सकती । जो देवद्रव्य की रकम इकट्ठा होती है, उसे श्रीसंघ के मंदिर में देवद्रव्य खाते में जमा करवाएँ अथवा अन्यत्र कहीं जिनमंदिर का जीर्णोद्धार होता हो, वहाँ भिजवा दें ।

ऐसा करते समय 'यह रकम श्री ..... के श्री .... प्रभु के गृह जिनमंदिर की देवद्रव्य की आय में से अर्पित की गई है ।' ऐसा सूचन जरूर करें ।

गृहमंदिर में कोई भी जीर्णोद्धार-दुरुस्ती आदि कार्य करना हो या गृहमंदिर के प्रभुजी के आभूषण-आंगी आदि बनवाने हों तो गृहमंदिर के देवद्रव्य की आय में से नहीं करा सकते । उन्हें स्वद्रव्य से ही कराने चाहिए ।

निर्माल्य द्रव्य :

- ❖ प्रभुजी की आँगी का उतारा, बादला, वरख आदि को बेचकर प्राप्त रकम का उपयोग प्रभु के आभूषण - आँगी आदि में, प्रतिमाजी के चक्षु, टीका (तिलक) बनाने में, लेप-ओप कराने में किया जा सकता है । इसमें से जिनमंदिर जीर्णोद्धार-नवनिर्माण भी किया जा सकता है ।
- ❖ प्रभुजी के सन्मुख चढ़ाए अक्षत, नैवेद्य, खडीशक्कर (मिश्री), फल, बादाम आदि द्रव्यों को सुयोग्य कीमत पर अजैनों में बेच कर आई रकम का उपयोग जिनमंदिर जीर्णोद्धार-नवनिर्माण में कर सकते हैं ।
- ❖ बादाम आदि चीजें एक बार प्रभु को चढाने के पश्चात् उन्हें फिर से खरीद कर प्रभु को चढाना कतई योग्य नहीं ।

३ - जिनागम क्षेत्र - ज्ञानद्रव्य

ज्ञानभंडार की राशि, आगम या शास्त्रों की पूजा से उत्पन्न द्रव्य, वासक्षेप से ज्ञानपूजा की बोलियाँ, ज्ञान की अष्टप्रकारी पूजा की बोलियाँ, प्रतिक्रमण में सूत्रों को बोलने का लाभ लेने की बोलियाँ, संवत्सरी प्रतिक्रमण के दौरान सकल संघ को 'मिच्छा मि दुक्कडं' देने की बोली, कल्पसूत्र-बारसा सूत्र तथा और भी कोई सूत्र बहोराने आदि की बोलियाँ, शास्त्र पर जो रुपया-पैसा चढ़ाया जाता है, यह सब ज्ञानद्रव्य में गिना जाता है।

मुमुक्षु को दीक्षा के समय पुस्तक (पोथी), सापडा (किताबकुर्सी) एवं नवकारमालिका (माला) अर्पण करने की बोलियाँ, आचार्यादि पद प्रदान प्रसंग पर पूज्यों को मंत्रपट, नवकारमालिका (माला) अर्पण करने की बोलियाँ **ज्ञानद्रव्य** में जाती है ।

- ज्ञानद्रव्य में से छपे ग्रंथों एवं पुस्तकों की बिक्री की आय ज्ञानद्रव्य में ही जमा करनी चाहिए ।
- पैंतालिस आगम या अन्य किसी भी धर्मग्रंथ का ही बरघोडा (शोभायात्रा) हो, एवं उसमें भगवान नहीं हो तो ऐसे बरघोडे की तमाम बोलियाँ भी ज्ञानखाते में जमा करें, परंतु उस बरघोडे का खर्चा उस आय में से नहीं कर सकते । यह खर्चा व्यक्तिगत या साधारण द्रव्य में से ही करना चाहिए ।

ज्ञानद्रव्य का उपयोग :

- ज्ञानपंचमी के दिन ज्ञान के सन्मुख चढ़ाई जाती पोथी, कवर, पेन-पेन्सिल, घोडावज आदि सामग्री का उपयोग ज्ञानभंडार के लिए हो सकता है । पुस्तक एवं ज्ञान संबंधी साधनों का उपयोग पू. साधु-साध्वीजी कर सकते हैं । श्रावक-श्राविकाएँ उसका उपयोग नहीं कर सकते ।
- ज्ञानद्रव्य में से पू. साधु-साध्वीजीओं को पढाने हेतु जैनेतर पंडित को वेतन दे सकते हैं ।
- पू. साधु-साध्वीजीओं को पढ़ने हेतु (अध्ययन के लिए) योग्य किताबें खरीद सकते हैं ।
- सुयोग्य पू. गुरुभगवंत के मार्गदर्शन से ज्ञानभंडार हेतु धार्मिक-साहित्यिक किताबें खरीद सकते हैं ।

- धार्मिक प्राचीन आगमशास्त्र लिखाने या छपाने हेतु तथा उनकी सुरक्षा हेतु जरूरी चीजें लाने के लिए व्यय कर सकते हैं ।
- ज्ञानभंडार-ज्ञानमंदिर श्रावकों को स्वद्रव्य से बनाने चाहिए । प्राचीन ज्ञान की सुरक्षा हेतु जरूरत पड़ने पर ज्ञानद्रव्य से भी बना सकते हैं । पर ज्ञानद्रव्य से बने ज्ञानमंदिर में साधु-साध्वी एवं श्रावक-श्राविका निवास नहीं कर सकते, उसमें शयन-संथारा भी नहीं कर सकते एवं साधु-साध्वीजी उसमें गौचरी (आहार-पानी) भी नहीं कर सकते ।
- ज्ञानभंडार में पुस्तकों को रखने हेतु जरूरत हो तो कपाट (अलमारी) भी खरीद सकते हैं । उस अलमारी पर 'ज्ञानद्रव्य में से खरीदी हुई अलमारी' ऐसा स्पष्ट लिखना चाहिए ।
- ज्ञानद्रव्य से खरीदे कपाट में सिर्फ ज्ञान संबंधी किताबें एवं सामग्री ही रखी जा सकती है । उसमें साधु-साध्वीजी का सामान (उपधि) एवं श्रावक-श्राविकाओं के योग्य सामायिक पौषध के उपकरण एवं उपाश्रय की सामग्री नहीं रख सकते ।
- ज्ञानभंडार सम्हालते जैनेतर ग्रंथपाल को वेतन-मानदेय दे सकते हैं ।
- ज्ञानद्रव्य में से धार्मिक पाठशाला के विद्यार्थी हेतु पंचप्रतिक्रमणादि धार्मिक किताबें नहीं खरीद सकते । ऐसी पाठशाला के जैन-जैनेतर किसी भी शिक्षकादि का वेतन भी नहीं दे सकते । संक्षेप में कहना हो तो –
- **श्रावकों की पाठशाला संबंधी कोई भी खर्चा ज्ञानद्रव्य में से नहीं कर सकते ।**
- ज्ञानद्रव्य का एवं ज्ञानभंडार-ज्ञानमंदिर का उपयोग स्कूल, कॉलेज, हॉस्टेल आदि व्यावहारिक शिक्षण के किसी भी कार्य में नहीं किया जा सकता ।
- ज्ञानद्रव्य की किताबें श्रावक-श्राविका को भेंट नहीं दी जा सकती, वे उसकी मालिकी भी नहीं कर सकते ।
- ज्ञानभंडार की किताबों का यदि श्रावक-श्राविका उपयोग करें तो उसका सुयोग्य नकरा (इस्तेमाल करने का शुल्क) ज्ञान खाते में जमा करना चाहिए ।

- यह ज्ञानद्रव्य भी देवद्रव्य की तरह ही पवित्र होने से ज्ञानाभ्यास के अलावा साधु-साध्वीजी स्वयं के किसी भी कार्य में इस द्रव्य का उपयोग न करें ।
- उपरोक्त किसी भी कार्य में, किसी भी चीज की खरीदी हेतु, किसी भी कार्य की मजदूरी हेतु, जैन पंडित को, जैन पुस्तकादि विक्रेता को, जैन ग्रंथपाल को या जैन व्यक्ति को ज्ञानद्रव्य में से रकम नहीं दे सकते । जैनों को श्रावकों का व्यक्तिगत द्रव्य या साधारण द्रव्य देना चाहिए ।

धार्मिक शिक्षण खाता-पाठशाला :

यह खाता साधर्मिक श्रावक-श्राविकाओं की ज्ञान-भक्ति हेतु है । श्रावक-श्राविकाओं द्वारा धार्मिक पठन-पाठन हेतु स्वद्रव्य अर्पण किया गया हो, वह इस खाते में आता है ।

उपयोग :

- इस द्रव्य में से पाठशाला के जैन-जैनेतर शिक्षक-पंडितादि को वेतन-मानदेय दे सकते हैं । इस पाठशाला एवं शिक्षक-पंडितों का लाभ पू. साधु-साध्वी भी ले सकते हैं एवं श्रावक-श्राविका भी !
- पाठशाला में उपयोगी धार्मिक किताबें खरीदने एवं पाठशाला के बालक आदि को इनाम एवं प्रोत्साहन-योजनाओं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ।
- **व्यावहारिक-स्कूली-कॉलेजी शिक्षा हेतु इस द्रव्य का उपयोग कतई नहीं किया जा सकता ।**
- **धार्मिक पाठशाला का मकान या जमीन व्यावहारिक शिक्षण हेतु या सांसारिक कार्य हेतु नहीं दे सकते ।**
- पाठशाला के उद्घाटन की बोली का द्रव्य पाठशाला संबंधी किसी भी कार्य में काम ले सकते हैं ।

४-५ साधु-साध्वी क्षेत्र

- पू. साधु-साध्वीजीओं की भक्ति हेतु (वैयावच्च हेतु) जो द्रव्य दानवीरों से प्राप्त हुआ हो, वह इस खाते में जमा होता है ।
- दीक्षार्थी भाई-बहिनों की दीक्षा हेतु चारित्र के उपकरणों को अर्पण करने की

बोलियों में से –

१ - किताब (पोथी), २ नवकारमालिका (माला) एवं ३ - सापडा (किताबकुर्सी) को अर्पण करने की बोलियाँ ज्ञानखाते में ली जाती है । अन्य सभी उपकरणों को अर्पण करने की बोलियाँ साधु-साध्वी वैयावच्च खाते में जमा की जाती है ।

- पू. साधु-साध्वीजी भगवंतों की वैयावच्च का लाभ श्रावक स्वद्रव्य से ही ले ताकि गुरुभक्ति का लाभ स्वयं को मिले ।

उपयोग :

- यह द्रव्य पू. साधु-साध्वीजीओं की संयम शुश्रूषा एवं विहारादि की अनुकूलता हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है ।
- पू. साधु-साध्वीजी हेतु दवाई एवं जैनेतर डॉक्टर-वैद्य आदि की फीस चुकाने हेतु भी काम ले सकते हैं ।
- पू. साधु-साध्वीजी की सेवार्थ विहारादि में रखे जैनेतर व्यक्तियों के वेतन हेतु भी काम ले सकते हैं ।
- जैन डॉक्टर-वैद्यादि एवं जैन व्यक्ति को यह द्रव्य नहीं दे सकते ।
- पू. साधु-साध्वीजी भगवंतों की भक्ति के किसी भी कार्य हेतु किसी ने अपनी खुद की रकम दी हो तो वह रकम वैयावच्च के हर कार्य में, जैन डॉक्टर-वैद्यादि की फीस चुकाने हेतु एवं जैन व्यक्ति के पगार हेतु भी व्यय कर सकते हैं ।

  नोंध : साधु-साध्वी वैयावच्च की आय में से उपाश्रय या विहारधाम नहीं बना सकते एवं उन मकानों की दुरुस्ती-जीर्णोद्धार तथा रखरखाव हेतु रखे आदमीयों को वेतन भी नहीं दे सकते ।
- विहारादि स्थानों में खानपान की व्यवस्था या गौचरी-पानी हेतु वैयावच्च का द्रव्य काम नहीं आ सकता । क्योंकि -
- विहारादि स्थलों में से रसवती आदि का कार्य जैन परिवार करता हो तो उनके रहने-खाने-पीने का अवसर आता है ।
- पू. साधु-साध्वीजी भगवंतों के साथ मुमुक्षु-दीक्षार्थी-श्रावक हो या उन्हें वंदन करने पधारे हुए श्रावक-श्राविकाओं को रहने-खाने-पीने का अवसर आता है ।

❖ पू. साधु-साध्वीजी भगवंतों के साथ काम करने वाला आदमी जैन हो तो उसे भी रहने-खाने-पीने का अवसर आता है, अतः विहारादि स्थानों में उदारदिल श्रावकों द्वारा भक्ति हेतु जो स्वद्रव्य दिया गया हो, उसी का उपयोग करें ।

६-७ श्रावक-श्राविका क्षेत्र

उदारदिल श्रावकों ने भक्तिभाव से जो द्रव्य दिया हो, उसी तरह साधर्मिक-भक्ति हेतु चंदा किया गया हो, वह द्रव्य श्रावक-श्राविका क्षेत्र में आता है ।

उपयोग :

इस द्रव्य का उपयोग खास जरूरतवाले साधर्मिकों - श्रावक-श्राविकाओं को धर्म में स्थिर करने हेतु एवं आपत्ति के समय सभी प्रकार की योग्य सहायता करने हेतु हो सकता है ।

- श्रीसंघ में प्रभावना या स्वामिवात्सल्य इस द्रव्य से नहीं कर सकते ।

- यह धार्मिक पवित्र द्रव्य है । अतएव धर्मादा (चैरिटी) सामान्य जनता, याचक, दीनदुःखी, राहतफंड या अन्य कोई मानवीय एवं पशु हेतु दया-अनुकंपा आदि कार्यों में यह द्रव्य कतई नहीं लगा सकते ।

८ - गुरुद्रव्य

पंचमहाव्रतधारी संयमी त्यागी महापुरुषों के आगे गहुँली (अक्षत का स्वस्तिक आदि रचाना) की हो या गुरु की सिक्कों आदि द्रव्यों से पूजा की हो तथा गुरुपूजन की बोली का द्रव्य जिनमंदिर के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण में लगाना चाहिए, ऐसा 'द्रव्यसप्ततिका' ग्रंथ में स्पष्टतया बताया गया है ।

गुरु प्रवेश के निमित्त वरघोड़े (शोभायात्रा) में विभिन्न वाहन, हाथी, घोड़े आदि की बोलियाँ, गुरु महाराज को कंबल आदि चारित्रोपकरण बहोराने की बोली, गुरुपूजन के भंडार की आय तथा दीक्षा के समय नूतन दीक्षित को 'करेमि भंते' उच्चराने के बाद की अवस्था की तमाम बोलियाँ (उदा. नूतन दीक्षित का साधु रूप में नूतन नाम जाहीर करने की बोली) 'गुरुद्रव्य' कहलाती है ।

यह द्रव्य भोगार्ह - भोग योग्य नहीं होने से गुरु महाराज (साधु-साध्वीजी) के किसी भी कार्य हेतु उपयोग में नहीं आता, परंतु 'द्रव्यसप्ततिका' के पाठ अनुसार

गुरुमहाराज से ऊंचे स्थान रूप जिनमंदिर के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण में ही इस्तेमाल कर सकते हैं ।

यह द्रव्य परमात्मा की अंगपूजा में कतई काम नहीं आता ।

विशेष नोंध :

जो साधुपने के आचार से रहित है, जिसे शास्त्रों में 'द्रव्यलिंगी' कहा गया है, ऐसे वेषधारी साधु द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन अत्यंत अशुद्ध होने से उसे अभयदान-जीवदया में ही लगाना चाहिए । जिनमंदिर, जीर्णोद्धारादि में वह न लगाएँ ।

९ - जिनमंदिर-साधारण

श्री जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति एवं श्री जिनमंदिर को सुव्यवस्थित चलाने हेतु आया हुआ द्रव्य **जिनमंदिर साधारण द्रव्य** कहलाता है ।

जिनमंदिर साधारण हेतु किया गया चंदा, कायमी तिथियाँ, इसी हेतु किसी भक्त द्वारा अर्पित मकान आदि के किराये की आय तथा जिनमंदिर साधारण के भंडार में से प्राप्त द्रव्य इस खाते में जमा किया जाता है ।

उपयोग :

इस द्रव्य में से परमात्मा की भक्ति हेतु सभी प्रकार के द्रव्य लाए जा सकते हैं । उदाहरण के तौर पर –

१ - केसर
२ - चंदन/पुष्प/फुलदानी
३ - बरास/कपूर
४ - प्रक्षालन हेतु दूध
५ - प्रक्षालन हेतु पानी
६ - धूपबत्ती
७ - दीपक हेतु घी
८ - दीपक रखने फानुस (लालटेन)
९ - दीपक हेतु गिलास
१० - दीपक हेतु स्टैन्ड
११ - दीपक हेतु रूई की बाती
१२ - खसकूँची
१३ - मोरपीछी-पूंजणी
१४ - अंगलूछने का कपड़ा
१५ - पाट लूछने का कपड़ा
१६ - धूपीया/धूपदानी
१७ - चमर
१८ - दर्पण

१९ - झालर/डंका
२० - पूजा की थाली-बाटकियाँ
२१ - कलश-तांबाकुंडी
२२ - आरती-मंगल दीया
२३ - जिनमंदिर हेतु जरूरी साबुन आदि
२४ - केशर घिसने का पत्थर
२५ - शिखर पर की ध्वजा
२६ - नाडाछडी (मौली)
२७ - इत्र, वर्ख, बादला (चमकी)
२९ - आंगी हेतु सामान इत्यादि

- इस द्रव्य में से पुजारी का मानदेय एवं उसे पूजा हेतु कपड़े खरीद कर दे सकते हैं ।
- भंडार, सिंहासन, दीपक हेतु काँच की हंडीयाँ आदि ला सकते हैं ।
- केशर-चंदन घिसनेवाले आदमी का मानदेय, उसे पूजा के कपड़े देना, अंगलूछने का कपड़ा, पूजा हेतु उपकरण-बर्तन, बर्तन माँजनेवाले आदमियों का मानदेय, मंदिर की देखरेख करनेवाले आदमियों का मानदेय दे सकते हैं ।
- मंदिर के साथ संबद्ध हर एक चीज, सिंहासन, दरवाजा आदि को साफसुथरा रखने का खर्चा एवं उसका रखरखाव (रीपेरींग) खर्च भी कर सकते हैं ।
- **वासक्षेप** एवं **काजा निकालने का झाडू :** ये चीजें मंदिर एवं उपाश्रय दोनों स्थानों में इस्तेमाल होती हैं, अतः इसका खर्चा **साधारण खाते** में से ही करें।

  नोंध : ऊपर बताया हर खर्चा साधारण खाते में से भी कर सकते हैं ।
- जिनमंदिर साधारण का भंडार मंदिरजी के अंदरूनी भाग में नहीं रख सकते । उसे मंदिरजी के बाहर किसी सुरक्षित योग्य स्थान में ही रखें । केशर-चंदन घिसने के कमरे में रख सकते हैं ।
- जिनमंदिर संचालन हेतु हर साल योग्य दिन बारहों महिनों की बारह या पंद्रह दिनों का एक ऐसी कुल चौबीस बोलियाँ बुलवाने का आयोजन किया जाए तो उसकी आय में से केशर-चंदन आदि का खर्चा एवं पुजारी का मानदेय आदि खर्चा निकाला जा सकता है ।
- श्री जिनमूर्ति एवं श्री जिनमंदिर के कार्यों के अलावा श्रीसंघ की पेढ़ी (कार्यालय) के आदमी तथा उपाश्रय, पाठशाला, आयंबिल भवन (खाता) आदि स्थानों में

कचरा निकालना आदि कार्य करने वाले आदमियों के वेतन आदि किसी भी कार्य में जिनमंदिर साधारण द्रव्य का उपयोग निषिद्ध है ।

ध्यान में रखने जैसी बात :

निम्न लिखित बातों का खर्चा जिनमंदिर साधारण में से नहीं हो सकता । उसे साधारण खाते में से ही करना चाहिए ।

- संघ की पेढ़ी का वहीवटी (संचालन) खर्चा
- स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलिफोन, पानी आदि का खर्चा
- मंदिर के बाहर दर्शनार्थी हेतु पेयजल की व्यवस्था का खर्चा
- पाँव लूछने के टुकड़े, कारपेट आदि का खर्चा
- सूचनार्थ ब्लेकबोर्ड, चॉक, कपड़े के बैनर एवं बोर्डों का खर्चा
- सालगिरह (वर्षगांठ) के दिन ध्वजा चढ़ाने, पालख बांधने का खर्चा
- धार्मिक कार्यों हेतु मंडप आदि बांधने का खर्चा
- स्नात्र पूजा एवं बड़ी पूजा की किताबों-सापडों (किताब कुर्सी) का खर्चा

१० - साधारण द्रव्य

श्रीसंघ की पेढ़ी (कार्यालय) में या तीर्थ की पेढ़ी में साधारण खाते में उदारदिल श्रावकों द्वारा जो कुछ दान प्राप्त होता है, वह एवं साधारण खाता हेतु कायमी तिथियों का द्रव्य इस खाते में जमा होता है ।

बोलियाँ बोलने से भी साधारण द्रव्य की आय होती है । उदाहरण -

- संघपति, दानवीर, तपस्वी श्रावक, ब्रह्मचारी, दीक्षार्थी मुमुक्षु भाई-बहिनों को तिलक-हार-श्रीफल-शाल-चूंदडी-सम्मानपत्र आदि अर्पण करने की बोली का द्रव्य
- दीक्षाविधि पूर्व दीक्षार्थी को अंतिम बिदाई तिलक या अंतिम विजय तिलक या अंतिम प्रयाण तिलक करने की बोली का द्रव्य
- अंजनशलाका-प्रतिष्ठा आदि धार्मिक किसी भी कार्य हेतु की जानेवाली बोलियाँ (चढावा-ऊछामणी) के प्रसंग पर संघ को बिराजमान करने की जाजम (शतरंजी-दरी) बिछाने की बोली का द्रव्य

❖ श्रीसंघ के मुनिमजी या मेहताजी बनने की बोली का द्रव्य आदि शास्त्र-अबाधित तौर-तरीकों से प्राप्त होनेवाला द्रव्य साधारण खाते का द्रव्य कहा जाता है ।

उपयोग :

❖ जिनमंदिर, उपाश्रय या संघ/तीर्थ की पेढ़ी (कार्यालय) संबंधी सभी कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं ।

❖ सातक्षेत्रों में जहाँ-जहाँ जरूरत हो, वहाँ आवश्यकता अनुसार खर्च कर सकते हैं ।

❖ इस द्रव्य का उपयोग ट्रस्टी (न्यासी), व्यवस्थापक या अन्य कोई भी व्यक्ति निजी (Personal) कार्य में नहीं कर सकते ।

❖ धर्म में स्थिर करने के हेतु से आपत्ति में आ गिरे श्रावक-श्राविका का उद्धार करने हेतु संघ यह द्रव्य दे सकता है ।

साधारण खाते का यह द्रव्य धार्मिक (Religious) पवित्र द्रव्य है । इसे सामान्य जनोपयोगी, व्यावहारिक, सांसारिक या जैनेतर धार्मिक कार्य में नहीं दे सकते । इस खाते का द्रव्य धर्मादा (चैरिटी) उपयोग में, व्यावहारिक (स्कूली-कॉलेजी) शिक्षा में तथा अन्य किसी भी सांसारिक कार्य में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ।

अंजनशलाका-प्रतिष्ठा-जिनभक्ति महोत्सव के मौके पर नवकारसी (साधर्मिक वात्सल्य) आदि की बोलियों एवं नकरों का उपयोग :

साधर्मिक वात्सल्य में एवं उसमें बढ़ोतरी हो तो साधर्मिक भक्ति के सभी कार्यों में तथा जिनभक्ति महोत्सव संबंधी सभी कार्यों में हो सकता है ।

इस द्रव्य का उपयोग विहारादि स्थानों में रसवतीयों की जो व्यवस्था होती है, उसमें भी किया जा सकता है ।

विशेष नोंध : झांपाचुंदड़ी या फलेचुंदड़ी के चढ़ावे की आय सर्वसाधारण खाते में जा सकती है । इसमें से सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं ।

कुंकुमपत्री (पत्रिका) में लिखित/सादर प्रणाम/जय जिनेन्द्र के रूप में नाम लिखने की बोली-नकरे का द्रव्य या महोत्सव का लाभ लेने के शुभेच्छक,

सौजन्य, आधारस्तंभ सहायक आदि के तौर पर नाम देने का जो द्रव्य आता है, उसका उपयोग :

❖ जिनभक्ति महोत्सव के हर एक कार्य में कर सकते हैं ।

❖ उदा. प्रभावना, साधर्मिक वात्सल्य, संगीतकार का खर्चा, पत्रिका छपाने का खर्चा आदि ।

११ - सर्वसाधारण (शुभ)

धार्मिक या धर्मादा (Religious or Charitable) किसी भी शुभ कार्य में इस्तेमाल करने हेतु कोई सर्वसाधारण का चंदा इकट्ठा किया गया हो उस द्रव्य का उपयोग धार्मिक या धर्मादा के किसी भी कार्य में किया जा सकता है ।

उदा. चातुर्मास में हरएक कार्यों का खर्चा निकालने हेतु या वार्षिक हर प्रकार का खर्चा निकालने हेतु संघ में चंदा (टीप) किया जाता है ।

बारह महिनों हेतु बारह या पंद्रह-पंद्रह दिन हेतु चौबीस बोलियाँ बुलवाकर भी इस खाते में आय वृद्धि की जा सकती है ।

प्राकृतिक प्रकोप, सामाजिक आफत आदि प्रसंग पर चैरिटी के तौर पर इस द्रव्य का उपयोग कर सकते हैं ।

झांपाचुंदड़ी या फलेचुंदड़ी के चढ़ावे की आय शुभ खाते में इस्तेमाल की जा सकती है ।

१२ - सातक्षेत्र

सातक्षेत्रों के नाम : १ - जिनप्रतिमा, २ - जिनमंदिर, ३ - जिनागम, ४ - साधु, ५ - साध्वी, ६ - श्रावक एवं ७ - श्राविका हैं ।

सातक्षेत्रों में जहाँ भी जरूरत हो वहाँ इस्तेमाल करने हेतु किसी द्वारा द्रव्य प्राप्त हुआ हो तो उसका उपयोग उस क्षेत्र में जैसी जरूरत हो उस परिमाण में इस्तेमाल कर सकते हैं । अथवा दाता की भावना एवं आशय अनुसार उस - उस क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं ।

सातक्षेत्रों की पेटी/डिब्बा/गोलख :

❖ सातक्षेत्रों के अलग नामोल्लेख पूर्वक पेटी/डिब्बा/गोलख रखे हों तो उसमें से

निकला द्रव्य उन - उन खातों में आय के अनुसार इस्तेमाल करें ।

- सातों क्षेत्रों की संयुक्त पेटी होने पर, उसमें से निकला द्रव्य सातों क्षेत्रों में समान भाग कर इस्तेमाल करें ।
- सातों क्षेत्रों हेतु संयुक्त चंदा किया गया हो तो उसे भी समान भाग कर सातों क्षेत्रों में लगाना चाहिए ।
- इसके अलावा चंदा करते समय जिस तरह से घोषणा की जाती है, उसके आधार पर इसका उपयोग करें ।
- वेतन-मानदेय आदि साधारण का खर्चा इस द्रव्य से न निकालें ।
- **अनुकंपा या जीवदया में इस द्रव्य का उपयोग नहीं कर सकते ।**

नोंध : सातक्षेत्र की पेटी-भंडार, जीवदया की पेटी, साधर्मिक भक्ति की पेटी, पाठशाला एवं आयंबिल भवन की पेटी आदि जिनमंदिर के अंदरूनी भाग में नहीं रख सकते । उन्हें उपाश्रय में या जिनमंदिर के बाहर किसी सुरक्षित सुयोग्य स्थान पर रखें । यह खास ध्यान में रखें ।

१३ - उपाश्रय-पौषधशाला-आराधना भवन

उपाश्रय निर्माण हेतु : दानवीरों द्वारा प्राप्त दान, उपाश्रय के विभिन्न विभागों पर एवं उपाश्रय पर नामकरण करने हेतु आई राशि, उपाश्रय खाते की पेटी-भंडार से निकली राशि तथा उपाश्रय के उद्घाटन की बोली की आय आदि उपाश्रय खाते का द्रव्य गिना जाता है ।

श्रावकों को चाहिए कि धर्म आराधना करने हेतु उपाश्रय स्वद्रव्य से बनवाएँ ।

उपाश्रय यह श्रावक-श्राविकाओं की धार्मिक आराधना करने हेतु पवित्र स्थान है । इसका उपयोग धार्मिक कार्य करने हेतु ही किया जाना चाहिए । **व्यावहारिक-स्कूल, कॉलेज या राष्ट्रीय-सामाजिक प्रवृत्तियाँ-समारोह तथा शादी-विवाहादि सांसारिक किसी भी कार्य में इस मकान का उपयोग नहीं कर सकते । इन कार्यों के लिए उपाश्रय, पौषधशाला, आराधना भवन किराये से भी नहीं दे सकते ।**

इन धर्मस्थानों का कब्जा कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये जैनशासन के अबाधित स्थान हैं और रहेंगे ।

उपाश्रय की जमीन हेतु या उपाश्रयादि स्थान बनाने हेतु देवद्रव्य, ज्ञानद्रव्य, वैयावच्च द्रव्य आदि का उपयोग नहीं हो सकता । वैसे ही उन खातों में से ब्याजी या बिनब्याजी लोन भी नहीं ले सकते ।

लकी ड्रॉ (भाग्यलक्ष्मी) जैसी अहितकर पद्धतियाँ अपनाकर भी उपाश्रय हेतु द्रव्य इकट्ठा करना उचित नहीं है।

उपाश्रय में 'शय्यातर' की जो राशि इकट्ठी की जाती है, उसका उपयोग उपाश्रय निर्माण एवं उसकी मरम्मत में ही किया जा सकता है ।

कहीं-कहीं उपाश्रय एवं जिनमंदिर आजुबाजु में ही होते हैं । वहाँ पर उपाश्रय के अंदर या बाहर, कहीं भी, अनजाने में भी देवद्रव्य की चीज वस्तुएँ, मार्बल, टाईल्स, ईट, सिमेंट आदि का इस्तेमाल न हो इसका पक्का ध्यान रखें ।

भूल से कदाचित् ऐसा बन जाए तो तुरंत उतनी राशि देवद्रव्य में जमा कर देना चाहिए । ऐसा न करने पर देवद्रव्य के भक्षण का दोष लगता है ।

उपाश्रय की कोई भी चीज (पाट-पाटला-जाजम आदि) धर्म के कार्य हेतु कोई ले जाए तो उसका नकरा (शुल्क) साधारण खाते में (उपाश्रय खाते में) देना चाहिए ।

उपाश्रय या जिनमंदिर की कोई भी चीजें सांसारिक कार्य हेतु नहीं दे सकते ।

१४ - आयंबिल तप

आयंबिल तप हेतु किया गया चंदा, चैत्र एवं आश्विन मास की ओलियों के आदेश की बोलियाँ या नकरे का द्रव्य, आयंबिल हेतु कायमी तिथियों की आय तथा आयंबिल खाते के भंडार की आय : आयंबिल तप खाते में जमा होते हैं ।

उपयोग :

यह द्रव्य आयंबिल तप करने वाले तपस्वियों की भक्ति में या उस हेतु की जानेवाली व्यवस्था में खर्च कर सकते हैं ।

इस खाते में वृद्धि हो तो अन्य गाँव-शहरों के आयंबिल तप करनेवालों की भक्ति हेतु भेज सकते हैं ।

संक्षेप में कहना हो तो यह द्रव्य आयंबिल तप का प्रचार-प्रसार करने हेतु ही होने

से अन्य किसी भी कार्य में इसका उपयोग नहीं कर सकते । आयंबिल हेतुक द्रव्यों में से एकाशन करनेवालों की भक्ति भी निषिद्ध है ।

आयंबिल भवन का निर्माण श्रावक स्वद्रव्य से करें । लकी ड्रॉ या लॉटरी जैसी अहितकर प्रथा द्वारा द्रव्य एकत्र कर भवन न बनाएँ ।

यह भी केवल धार्मिक पवित्र द्रव्य है । आयंबिल भवन का उपयोग भी सांसारिक-व्यावहारिक-सामाजिक किसी भी कार्य में नहीं करना चाहिए । इसमें केवल धार्मिक कार्य ही कर सकते हैं ।

१५ - धारणा, उत्तरपारणा, पारणा, नवकारसी खाता पौषधवालों को एकाशना एवं प्रभावना आदि खाता

उपरोक्त नाम वाले या अन्य तप-जप, तीर्थयात्रा आदि धार्मिक कार्य करने वाले साधर्मिकों की भक्ति करने हेतु जो द्रव्य होता है, वह द्रव्य दाता की भावना अनुसार उस-उस खाते में इस्तेमाल करना चाहिए ।

इसमें वृद्धि हो तो यह द्रव्य सातों क्षेत्रों में जहाँ-जहाँ जरूरत हो वहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है । पर किसी भी सार्वजनिक कार्य में यह द्रव्य नहीं लगा सकते । क्योंकि यह भी केवल धार्मिक क्षेत्र का द्रव्य है ।

नोंध : साधु-साध्वीजी के तप का पारणा करवाने की बोलियाँ बुलवाना योग्य नहीं है । अज्ञानवश कहीं किसी ने बोली हो तो वह द्रव्य 'साधु-साध्वी संबंधी' होने से गुरुद्रव्य के तौर पर जिनमंदिर जीर्णोद्धार या नवनिर्माण हेतु देवद्रव्य में ही जमा कराएँ ।

१६ - निश्राकृत

दानवीरों द्वारा विशिष्ट प्रकार के धार्मिक कार्य हेतु दिए गए द्रव्य का उपयोग उसी कार्य हेतु हो सकता है । उसमें वृद्धि हो तो शास्त्रीय मर्यादा अनुसार ऊपर के खातों में जा सकता है ।

१७ - कालकृत

खास पोषदसम, अक्षयतृतीया, जिनमंदिर वर्षगांठ (सालगिरह) आदि पर्वों के निश्चित दिनों में इस्तेमाल करने हेतु दाताओं ने जो द्रव्य दिया हो, उसका उपयोग उन दिनों संबंधी कार्य में ही करना चाहिए ।

१८ - अनुकंपा

हर एक दीन-दुःखी, निःसहाय, वृद्ध, अनाथ, अपंग आत्माओं को अन्न-पानी, वस्त्र, औषधि आदि उपलब्ध कराकर द्रव्यदुःख टालने, परंपरा से भावदुःख टालने का प्रयत्न याने अनुकंपा । इस हेतु प्राप्त द्रव्य उपरोक्त कार्य में लगाना चाहिए ।

यह सामान्य कक्षा का द्रव्य है । अतः ऊपर के सातों क्षेत्रों में या किसी भी धार्मिक क्षेत्र में इसका उपयोग नहीं हो सकता । इसी तरह सातों क्षेत्रों का द्रव्य भी अनुकंपा क्षेत्र में नहीं लगाया जा सकता ।

खास आवश्यकता पड़ने पर अनुकंपा का द्रव्य जीवदया में लगा सकने की इजाजत है ।

हिंसा को प्रोत्साहित करने वाले अस्पतालों आदि में यह द्रव्य नहीं लगा सकते ।

यह द्रव्य रोककर न रखें । तुरंत व्यय कर दें । अन्यथा अंतराय लगती है ।

१९ - जीवदया

जीवदया की टीप (चंदा), जीवदया के भंडार की आय, जीवदया का लगान आदि आय इस खाते में जमा करनी चाहिए ।

उपयोग :

- इस खाते का द्रव्य मनुष्य को छोड सभी प्रत्येक तिर्यंच पशु-पक्षी-जानवर की द्रव्यदया के द्वारा परंपरा से भावदया के कार्य में, अन्न, पानी, औषधि आदि साधनों द्वारा उनका दुःख दूर करने हेतु शास्त्रीय मर्यादा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं ।
- जीवदया संबंधी सभी कार्य में व्यय कर सकते हैं ।
- **यह सामान्य कोटि का द्रव्य है, अतः ऊपर के सातों क्षेत्र आदि किसी भी धार्मिक क्षेत्र में एवं अनुकंपा क्षेत्र में भी इस द्रव्य का विनियोजन नहीं हो सकता ।**
- जीवदया की राशि जीवदया में ही इस्तेमाल करनी चाहिए ।
- कुत्तों को रोटी, पक्षियों को अनाज आदि विशेष हेतु से आया द्रव्य उसी उद्देश्य में लगाना चाहिए ।
- **यह द्रव्य रोककर न रखें । तुरंत व्यय कर दें । अन्यथा अंतराय लगती है ।**

२० - ब्याज आदि की आय

जिस खाते की राशि पर ब्याज प्राप्त हुआ हो अथवा भेंट आदि द्वारा वृद्धि हुई, वह राशि उसी खाते में खर्चनी चाहिए । यदि जरूरत से ज्यादा राशि हो तो अन्य स्थलों पर उसी खाते में खर्च हेतु भक्ति से भेज देना, यह जैनशासन की मर्यादा है ।

२१ - टैक्स (कर) आदि खर्चा

जिस खाते की आय पर टैक्स (कर), ऑक्ट्रोय आदि सरकारी खर्च हो उसे उस उस खाते में से दे सकते हैं ।

२२ - पू. साधु-साध्वीजी के कालधर्म के बाद शरीर के अग्निसंस्कार-अंतिम यात्रा निमित्तक बोलियाँ

पू. साधु-साध्वीजी के कालधर्म के पश्चात् अंतिमयात्रा-अग्निसंस्कार निमित्तक सभी बोलियों का द्रव्य :

१ - जिनमंदिर के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण में,

२ - गुरुभगवंतों की प्रतिमा, पादुका एवं गुरुमंदिर निर्माण एवं जीर्णोद्धार आदि में,

३ - गुरुभगवंत के संयमी जीवन की अनुमोदना हेतु जिनभक्ति महोत्सव में (स्वामिवात्सल्य-प्रभावना बिना) इस्तेमाल किया जाता है ।

जैन संगीतकार एवं जैन विधिकार आदि को यह राशि नहीं दे सकते ।

किसी भी संयोग में यह राशि जीवदया में नहीं ले जा सकते ।

जीवदया हेतु इस मौके पर अलग से टीप (चंदा) कर राशि इकट्ठी कर सकते हैं ।

२३ - जिनभक्ति हेतु अष्टप्रकारी पूजा की सामग्री संघ को समर्पित करने की बोलियाँ (केशर-चंदन खाता)

श्री जिनभक्ति के लिए जो अष्टप्रकारी पूजा की सामग्री इस्तेमाल की जाती है, उस सामग्री का लाभ लेने हेतु प्रतिवर्ष जो बोलियाँ बुलवाई जाती हैं, उसकी विगत –

१ - वासक्षेप

२ - मोरपीछी-पूंजणी-खसकूंची

३ - प्रक्षाल हेतु दूध

४ - बरास

५ - केसर

६ - चंदन

७ - पुष्प

८ - धूप

९ - दीपक (घी)

१० - अंगलूछना-पाटलूछना

११ - इत्र-चंदन का तेल

१२ - वर्ख आदि सामग्री की बोलियाँ

उपयोग :

बोलियों की आय इन पूजा द्रव्यों को खरीदने हेतु परस्पर इस्तेमाल कर सकते हैं ।

- मंदिरजी में रात्रि में रोशनी करने हेतु घी-नारीयल तेल के दीपक रखे जाएँ तो उसका खर्चा भी जरूरत होने पर इस द्रव्य से कर सकते हैं ।
- इस राशि का उपयोग जिनभक्ति के कार्य के अलावा अन्य किसी भी कार्य में नहीं हो सकता ।

नोंध : श्रावक को चाहिए कि प्रभुपूजा निजी द्रव्य से ही करें, यही विधि है । अतः इस प्रकार की बोलियों द्वारा की गई सुविधा-सामग्री का लाभ लेने वाले को, स्वयं जितनी सामग्री इस्तेमाल की हो उतना द्रव्य उस खाते में (केशर-चंदन खाते में) अर्पण करने का विवेक रखना जरूरी है ।

२४ - पर्युषण में जन्म वाचन प्रसंग पर बुलवाई जाती बोलियाँ

बोली	किस खाते में ?
१ - सकल संघ पर गुलाबजल से अमी छांटना करने की	**साधारण**
२ - संघ के मुनीमजी-मेहताजी बनने की	**साधारण**
३ - स्वप्नादि की बोली लेने वाले परिवार का बहुमान करने की...	**साधारण**
४ - चौदह स्वप्नों को ऊतारने की-झुलाने की...	**देवद्रव्य**
५ - स्वप्नों को पुष्प-सुवर्ण-मोती आदि की माला पहनाने की	**देवद्रव्य**
६ - पद्मसरोवर स्वप्न के समय गुलाबजल छांटने की	**देवद्रव्य**
७ - स्वप्नों को सिर पर ले पधराने की	**देवद्रव्य**
८ - पारणे में प्रभुजी को पधराने की	**देवद्रव्य**
९ - पारणा-प्रभुजी को झुलाने की	**देवद्रव्य**
१० -पारणा-प्रभुजी संबंधी हर एक लाभ की...	**देवद्रव्य**

(उदा. धूप-दीपक-चामर-थाली-डंका बजाना आदि)

नोंध : 'स्वप्नों की जो बोली बुलवाई जाए, उसमें से या उस पर निश्चित प्रतिशत राशि साधारण खाता या अन्य किसी खाते में देना पडेगा' ऐसा तय करके बोली नहीं बुलवा सकते । स्वप्न संबंधी बोलियों की संपूर्ण राशि देवद्रव्य में ही जाती है । उसका उपयोग जिनमंदिर के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण में ही करना चाहिए ।

मंदिर की व्यवस्था, पूजा एवं संचालन हेतु इस राशि का उपयोग नहीं कर सकते ।

विशेष नोंध : मुनीमजी-या मेहताजी बनने की बोली बोलते समय यदि भगवान के मुनीमजी या मेहताजी बनने की जाहीरात की जाती हो तो वह राशि **देवद्रव्य**

२५ - उद्यापन-उजमणा

उद्यापन-उजमणे में दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र की पुष्टि हो एवं सातों क्षेत्र में उपयोगी हो ऐसे उपकरण रखने चाहिए ।

उद्यापन-उजमणे का उद्घाटन करने की बोली में से दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र संबंधी उपकरण लाए जा सकते हैं ।

उपयोग :

जिनमंदिर-उपयोगी चीजें हों वे जिनभक्ति के कार्य में इस्तेमाल करें ।

पू. साधु-साध्वीजी के उपयोग में आसकनेवाले उपकरण उनकी भक्ति हेतु उन्हें बहोराए जा सकते हैं ।

धार्मिक किताबें आदि हों तो वे पू. साधु-साध्वीजी को या जरूरत वाले श्रावक-श्राविका को दें । ज्ञानभंडार में भी रख सकते हैं ।

पूजा के वस्त्र, सामायिक के उपकरण भी जरूरतवाले श्रावक-श्राविका को दें ।

चंद्रवा-पूंठिया (पीछवाई) निर्मित की हो तो उसका उपयोग जिनमंदिर-उपाश्रय में कर सकते हैं ।

गुरु भगवंतों के पीछे पूज्य देव-गुरु की आकृतियाँ न हो ऐसी ही चंद्रवा-पूंठियों की जोड़ी भरवाएँ ।

उद्यापन कराने वाले व्यक्ति या परिवार स्वयं उद्यापन में रखी चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते । या तो संघ को सौंपना चाहिए या सुयोग्य स्थानों में भेंट करना चाहिए ।

स्वयं ने भराया (निर्मित किया-कराया) चंद्रवा आदि उद्यापन में रखा हो तो फिर स्वयं के घर में नहीं रख सकते । उसे सुयोग्य स्थान में भेज देना चाहिए ।

२६ - आचार्य आदि पद प्रदान प्रसंग पर बुलवाई जाती बोलियाँ

बोली	किस खाते में ?
१ - आसन बहोराने की	**देवद्रव्य**
२ - स्थापनाचार्य बहोराने की	**देवद्रव्य**
३ - मंत्रपट-मंत्राक्षर पोथी बहोराने की	**ज्ञानद्रव्य**
४ -नवकार मालिका (माला) बहोराने की	**ज्ञानद्रव्य**

५ -गुरुपूजन की	**देवद्रव्य**
६ - कंबल बहोराने की	**देवद्रव्य**
७ - नूतन नाम जाहीर करने की	**देवद्रव्य**

नोंध : गुरुपूजन-एवं चारित्रोपकरण आदि गुरु संबंधी आय जिनमंदिर जीर्णोद्धार-नवनिर्माण में जाती है । व्यवस्थापकों की सुविधा हेतु देवद्रव्य लिखा है । विवेकपूर्वक इस्तेमाल करें ।

२७ - पुजारी के वेतन के बारे में

प्रभुपूजा की प्रभु को कोई जरूरत नहीं है । जिनपूजा करना, यह श्रावकों का स्वयं का कर्त्तव्य है । पुजारी हम हमारी स्वयं की सुविधा एवं सहायता हेतु ही रखते हैं । अतः पुजारी को पगार (वेतन) आदि श्रावकों को स्वयं को ही देना चाहिए । **यदि स्वयं न दे सको तो 'साधारण खाते में से या जिनमंदिर साधारण खाते में से' देना चाहिए । लेकिन देवद्रव्य में से पुजारी को पगारादि नहीं दे सकते ।**

नोंध : पुजारी को पगार आदि देने हेतु बारहों मास की बारह बोलियाँ बुलवाकर आय अर्जित कर सकते हैं ।

गुरुपूजन आदि का द्रव्य-गुरुद्रव्य :

धर्मसंग्रह-द्रव्यसप्ततिका आदि ग्रंथों के अनुसार गुरुद्रव्य दो प्रकार का है ।

१ - **भोगार्ह गुरुद्रव्य**=गुरु के भोग-उपभोग में आ सके ऐसे द्रव्य उन्हें बहोराना, जैसे आहार, पानी, वस्त्र, पात्र, कंबल आदि ।

२ - **पूजार्ह गुरुद्रव्य**=गुरु की अंगपूजा, अग्रपूजा रूप में जो सुवर्णादि द्रव्य अर्पण किया जाता है, जैसे सुवर्ण मुद्रा रख गुरुपूजन करना, रुपये-सिक्के चढाना आदि ।

भोगार्ह गुरुद्रव्य का उपयोग गुरु स्वयं कर सकते हैं ।

पूजार्ह गुरुद्रव्य उनके उपयोग में नहीं आ सकता, अतः एव द्रव्यसप्ततिका के पाठ अनुसार उसे गुरु से भी ऊंचे स्थान में याने जिनमंदिर के जीर्णोद्धार-नवनिर्माण में ले जाया जाता है । **याद रहे कि द्रव्यसप्ततिका में गुरुद्रव्य से ऊपर का खाता देवद्रव्य का ही है ।**

अतः एव गुरुपूजन में प्राप्त तमाम राशि जिनमंदिर जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण में ही खर्च करनी चाहिए ।

गुरुओं को कंबल आदि बहोराने की बोली बुलवाई जाती है, उसमें कंबल भोगार्ह होने से गुरु उसे इस्तेमाल कर सकेंगे, परंतु उसकी बोली की राशि तो धन स्वरूप होने से पूजार्ह ही मानी जाएगी, अत एव वह भी गुरुपूजन की तरह ही जिनमंदिर जीर्णोद्धार-नवनिर्माण में ही जाएगी, यह ध्यान में रखें ।

विशेष :

गुरुपूजन की राशि से जिनेश्वर की केसर आदि से अंगपूजा में तथा मुकुट, अलंकार आदि आभरणपूजा में द्रव्य इस्तेमाल न करें।

बोली	**किस खाते में ?**
गुरुपूजन की	**पूजार्हगुरुद्रव्य=देवद्रव्य**
गुरुपूजन समय समर्पित पूजा द्रव्य	**पूजार्हगुरुद्रव्य=देवद्रव्य**
गुरु महाराज को कंबल बहोराने की	**पूजार्हगुरुद्रव्य=देवद्रव्य**
गुरु महाराज के सन्मुख की गहुँली का द्रव्य	**पूजार्हगुरुद्रव्य=देवद्रव्य**
गुरु महाराज के प्रवेश-स्वागत जुलुस समय वाहन, हाथी, घोड़े आदि की	**पूजार्हगुरुद्रव्य=देवद्रव्य**
गुरु महाराज का प्रवेशोत्सव करने की	**पूजार्हगुरुद्रव्य=देवद्रव्य**

नोंध : गुरु महाराज के प्रवेश या व्याख्यान प्रसंग पर हीरा-माणेक, मोती आदि कीमती द्रव्यों से गहुँली की हो तो वह द्रव्य देवद्रव्य में जमा कराएँ । वही गहुँली यदि दूसरी बार इस्तेमाल करनी हो तो उस समय उसकी जितनी कीमत होती हो उतनी देवद्रव्य में जमा करवाएँ ।

गुरु के प्रवेशोत्सव की बोलियों में से प्रवेशोत्सव का कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता । बोलियों की संपूर्ण राशि देवद्रव्य में जाएगी । जबकि प्रवेशोत्सव का खर्चा व्यक्तिगत या साधारण खाते में से करना होगा ।

विशेष नोंध : • गुरुपूजन एवं चारित्रोपकरण आदि गुरु संबंधी आय जिनमंदिर जीर्णोद्धार-नवनिर्माण में जाती है । व्यवस्थापकों की सुविधा हेतु देवद्रव्य लिखा है । विवेकपूर्वक इस्तेमाल करें ।

गुरुपूजन-कंबल बहोराना आदि उपरोक्त सभी प्रकार का गुरुद्रव्य 'साधु-साध्वी वैयावच्च' के किसी भी कार्य में काम नहीं आता ।

२८ - गुरुमंदिर-गुरुमूर्ति आदि संबंधी बोलियाँ

१ - गुरुमंदिर भूमिपूजन-खनन एवं शिलास्थापन की

२ - गुरुमूर्ति - पादुकादि भरवाने (निर्माण करने) की

३ - गुरुमूर्ति - पादुकादि के पाँच-अभिषेक की

४ - गुरुमूर्ति - पादुकादि की प्रतिष्ठा की

५ - गुरुमूर्ति - पादुकादि के पूजन की

६ - गुरुमंदिर पर कलश-ध्वजादि की स्थापना करने की

७ - गुरु भगवंत की तस्वीर को उपाश्रय या अन्यत्र पधराने की, उद्घाटन की

८ - गुरु भगवंत की तस्वीर का पूजन करने की

९ - गुरुमूर्ति/पादुका समक्ष रखे भंडार-पेटी-गोलख की आय

उपरोक्त सभी बोलियाँ एवं भंडार की आय गुरुमूर्ति/पादुकादि के निर्माण-मरम्मत में, गुरुमंदिर के जीर्णोद्धार-नवनिर्माण में एवं जिनमंदिर के जीर्णोद्धार-नवनिर्माण में इस्तेमाल की जा सकती है ।

२९ - पू. साधु-साध्वीजी भगवंत कालधर्म को पाते हैं (स्वर्गवासी बनते हैं) तब बोली जाती बोलियाँ

१ - स्वर्गस्थ पूज्य के शरीर को विलेपन-बरास-चंदनादि पूजा करने की

२ - स्वर्गस्थ पूज्य के शरीर का वासक्षेपादि से पूजन करने की

३ - स्वर्गस्थ पूज्य के शरीर को पालखी आदि में पधराने की

४ - स्वर्गस्थ पूज्य के शरीर को धारण करती पालखी आदि के चारों छोर पकड़ने की...

(१) आगे दायीं ओर

(२) आगे बायीं ओर

(३) पीछे दायीं ओर एवं

(४) पीछे बायीं ओर

५ - दोहनी निकालने की एवं साथ में लेकर चलने की

६ - चार धूपदानियाँ एवं चार दीपक दानियाँ (दीवी) लेकर चलने की

७ - पालखी के ऊपर लगाई लोटियाँ (कलश) ले जाने की

(१) मुख्य लोटी

(२) बाकी की चार या आठ कुल नौ लोटियाँ

८ - पालखी के दौरान धर्मप्रभावक अनुकंपा दान देने की

९ - पूज्य के शरीर को अग्नि प्रदान करने की

उपरोक्त सभी बोलियों द्वारा प्राप्त आय का उपयोग :

१ - जिनमंदिर के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण में,

२ - गुरुभगवंतों की प्रतिमा, पादुका एवं गुरुमंदिर निर्माण एवं जीर्णोद्धार आदि में,

३ - गुरुभगवंत के संयमी जीवन की अनुमोदना हेतु जिनभक्ति महोत्सव में (स्वामिवात्सल्य-प्रभावना बिना) इस्तेमाल किया जाता है ।

जैन संगीतकार एवं जैन विधिकार आदि को यह राशि नहीं दे सकते ।

नोंध : इस राशि का उपयोग अनुकंपा एवं जीवदया के कार्यों में कतई नहीं कर सकते । उस कार्य हेतु अलग से चंदा करके वे कार्य किए जा सकते हैं ।

अग्निसंस्कार (अग्निप्रदान) आदि की बोलियों की आय में से यदि गुरुमंदिर हेतु जगह खरीदी गई हो, अगर वहाँ गुरुमंदिर बना हो तो उस स्थान में पू. साधु-साध्वीजी या श्रावक-श्राविका निवास एवं संथारा (शयन) नहीं कर सकते । पू. साधु-साध्वीजी भगवंत वहाँ पर गौचरी (भोजन)-पानी नहीं कर सकते ।

३० - देव-देवियों के बारे में समझ

शास्त्र मर्यादानुसार मंदिरजी में मूलनायक भगवान के यक्ष-यक्षिणी के अलावा अन्य किसी भी देव-देवी की प्रतिमादि पधराना उचित नहीं है । मूलनायक प्रभु भी सपरिकर हो तो उनके देव-देवी भी परिकर में ही उत्कीर्ण होने से उनकी अलग मूर्तियाँ पधराने की आवश्यकता नहीं है ।

बोली	किस खाते में
१ - जिनमंदिर स्व-द्रव्य से बनाया हो अथवा यक्ष-यक्षिणी की देवकुलिका वाली जगह एवं देवकुलिका साधारण खाते में से बनवाई हो तो मूर्ति भरवाने की (निर्माण की) स्थापना (प्रतिष्ठा) की	**साधारण**
२ - श्री मणिभद्रजी की मूर्ति भरवाने एवं स्थापना करने की और उनके सामने रखे भंडार की आय (श्री मणिभद्रजी तपागच्छ के अधिष्ठायक हैं एवं उपाश्रय में ही उनका स्थान होना चाहिए ।)	**साधारण**
३ - जिनमंदिर के बाहर स्वद्रव्य या साधारण द्रव्य से प्राप्त/निर्मित स्थान/देवकुलिका में अन्य किसी भी समकिती देव-देवी की प्रतिमा निर्माण करने की/प्रतिष्ठा करने की एवं उनके आगे रखे भंडार की आय	**साधारण**
४ - शासन देव को खेस एवं देवी को चूंदड़ी ओढ़ाने का नकरा/बोली	**साधारण**

नोंध : जहाँ यह नकरा/बोली देवद्रव्य में ले जाने का रिवाज चल रहा है वह चलने दें ।

देव-देवियों संबंधी साधारण की समस्त आय श्रावक-श्राविकाओं को प्रभावना के रूप में या साधर्मिक वात्सल्य-भोज के रूप में इस्तेमाल न करें । इसी के साथ अनुकंपा-जीवदया में भी इसका उपयोग नहीं हो सकता ।

शासन की मर्यादा का उल्लंघन करके देव-देवियों के स्वतंत्र स्थान खडे करना योग्य नहीं है । इससे वीतराग परमात्मा की लघुता होती है एवं भौतिक कामनाएँ पुष्ट होती हैं ।

३१ - अंजनशलाका-प्रतिष्ठा बोलियाँ

बोली	किस खाते में ?
१ - कुंभ स्थापना	**देवद्रव्य**
२ - अखंड दीपक स्थापना	**देवद्रव्य**
३ - ज्वारारोपण (यवारोपण)	**देवद्रव्य**
४ - माणेक स्तंभ आरोपण	**देवद्रव्य**
५ - क्षेत्रपाल पूजन	**देवद्रव्य**
६ - नंद्यावर्त्त पूजन	**देवद्रव्य**
७ - दश दिक्पाल पट्टक पूजन	**देवद्रव्य**
८ - नवग्रह पट्टक पूजन	**देवद्रव्य**
९ - अष्टमंगल पट्टक पूजन	**देवद्रव्य**
१० - सोलह विद्यादेवी पूजन	**देवद्रव्य**
११ - छप्पन्न दिक्कुमारी की बोलियाँ/नकरा	**देवद्रव्य**
१२ - चौंसठ इन्द्रों की बोलियाँ/नकरा	**देवद्रव्य**
१३ - भगवान के माता-पिता बनने की	**देवद्रव्य**
१४ - सौधर्मेन्द्र-इन्द्राणी बनने की	**देवद्रव्य**
१५ - मंत्रीश्वर बनने की	**देवद्रव्य**
१६ - प्रथम छड़ीदार बनने की	**देवद्रव्य**
१७ - द्वितीय छड़ीदार बनने की	**देवद्रव्य**
१८ - स्वप्नपाठक बनने की	**देवद्रव्य**
१९ - ईशानेन्द्र बनने की	**देवद्रव्य**
२० - अच्युतेन्द्र बनने की	**देवद्रव्य**
२१ - हरिणैगमेषी देव बनने की	**देवद्रव्य**
२२ - प्रियंवदा दासी बनने की	**देवद्रव्य**

२३ - भगवान के भुवा-भुरोसा (फूंफासा) बनने की **देवद्रव्य**

२४ - भगवान के मामा-मामी बनने की **देवद्रव्य**

२५ - भगवान के सासु-ससुर बनने की **देवद्रव्य**

२६ - हर प्रतिमाजी को अठारह अभिषेक करने की **देवद्रव्य**

२७ - भगवान को सूर्य दर्शन करवाने की **देवद्रव्य**

२८ - भगवान को चंद्र दर्शन करवाने की **देवद्रव्य**

२९ - दर्पण में प्रभु का मुख-दर्शन करने की **देवद्रव्य**

३० - कुबेर भंडारी बनने की **देवद्रव्य**

३१ - नगरसेठ बनने की **देवद्रव्य**

३२ - भगवान को पढ़ानेवाला शिक्षक बनने की **देवद्रव्य**

३३ - पाठशाला के विद्यार्थी बनने की बोली/नकरा **देवद्रव्य**

३४ - राजपुरोहित बनने की **देवद्रव्य**

३५ - राज्यसभा में प्रभु को राजतिलक करने की **देवद्रव्य**

३६ - राज्यसभा में प्रभु के ऊपर राजछत्र धरने की **देवद्रव्य**

३७ - सरसेनाधिपति बनने की **देवद्रव्य**

३८ - नौ लोकांतिक देव बनने की बोली/नकरा **देवद्रव्य**

३९ - भगवान की कुलमहत्तरा बनने की **देवद्रव्य**

४० - भगवान के ऊपर से नमक उतारने की **देवद्रव्य**

४१ - भगवान के लग्न-विवाह प्रसंग पर जो कुछ दहेज एवं भेंट-तिलक रूप में आता है वह **देवद्रव्य**

४२ - भगवान के नामकरण के समय भुवा जो खिलौने आदि लाती है वह **देवद्रव्य**

४३ - भगवान के मौसारे (मामेरु) में आई चीजें **देवद्रव्य**

४४ - जन्माभिषेक के बाद भगवान के घर में इन्द्र द्वारा की गई ३२ कोटि सुवर्णादि की वृष्टि **देवद्रव्य**

४५ - ध्वजादण्ड का अभिषेक करने की **देवद्रव्य**

४६ - कलश का अभिषेक करने की **देवद्रव्य**

४७ - ध्वजादण्ड एवं कलश की चंदनपूजा करने की **देवद्रव्य**

४८ - ध्वजादण्ड एवं कलश की पुष्पपूजा करने की **देवद्रव्य**

४९ - ध्वजादण्ड की आरती करने की **देवद्रव्य**

५० - ध्वजादण्ड को पोंखणा करने की **देवद्रव्य**

५१ - पांचों कल्याणक मनाने हेतु वरघोड़े (शोभायात्रा) के तमाम लाभ लेने की **देवद्रव्य**

५२ - जिनमंदिर पर ध्वजा चढ़ाने की **देवद्रव्य**

५३ - जिनमंदिर पर कलश (अंडा) स्थापना करने की **देवद्रव्य**

५४ - जिनमंदिर का द्वारोद्घाटन करने की **देवद्रव्य**

५५ - जिनमंदिर में कुंकुम के हस्तचिह्न (थापा) करने की **देवद्रव्य**

५६ - जिनमंदिर की तीनों दिशा में मंगलमूर्तियाँ स्थापित करने की **देवद्रव्य**

५७ - जिनमूर्ति निर्माण (भराने) की **देवद्रव्य**

५८ - चैत्य अभिषेक करने की **देवद्रव्य**

५९ - प्रभु को प्रतिष्ठित (गादीनशीन) करने की **देवद्रव्य**

६० - तोरण बांधने की एवं वांदने की **देवद्रव्य**

६१ - घण्टानाद करने की **देवद्रव्य**

६२ - मंगल कुंभ स्थापना करने की **देवद्रव्य**

६३ - चौबीस प्रहर (७२ घण्टे) दीपक स्थापना करने की **देवद्रव्य**

६४ - मूलनायक आदि प्रभु की अष्टप्रकारी पूजा करने की **देवद्रव्य**

६५ -	मूलनायक आदि प्रभु की हार-मुकुट-आभूषण पूजा करने की	**देवद्रव्य**
६६ -	एक लाख अखण्ड अक्षत से स्वस्तिक करने की	**देवद्रव्य**
६७ -	प्रथम भण्डार (गोलख) भरने की	**देवद्रव्य**
६८ -	आरती करने की	**देवद्रव्य**
६९ -	मंगल दीया करने की	**देवद्रव्य**
७० -	पोंखणा करने की	**देवद्रव्य**
७१ -	प्रतिष्ठाचार्य का नवांगी गुरुपूजन करने की	**देवद्रव्य**
७२ -	द्वारोद्घाटन के दिन अष्टप्रकारी पूजा करने की	**देवद्रव्य**

अंजनशलाका एवं प्रतिष्ठा महोत्सव संबंधी उपरोक्त सभी बोलियों की आय देवद्रव्य में ही जाती है । इस राशि में से अंजनशलाका एवं/या प्रतिष्ठा संबंधी कार्यों का कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता । इस हेतु व्यक्तिगत, साधारण या जिनभक्ति-महोत्सव हेतु किए गए चंदे में से राशि इकट्ठी करनी चाहिए ।

३२ - गुरुमंदिर में गुरुमूर्ति/पादुका प्रतिष्ठित करने संबंधी बोलियाँ

	बोली	किस खाते में
१ -	गुरुमूर्ति/पादुका का निर्माण करवाने की	**गुरुमंदिरादि**
२ -	गुरुमूर्ति/पादुका के पाँच अभिषेक करने की	**गुरुमंदिरादि**
३ -	गुरुमूर्ति/पादुका की अष्टप्रकारी आदि पूजा करने की	**गुरुमंदिरादि**
४ -	गुरुमूर्ति/पादुका को प्रतिष्ठित करने की	**गुरुमंदिरादि**
५ -	गुरुमंदिर/गुरुकुलिका की चारों दिशा में श्रीफल बधेरने की (चार बोलियाँ)	**गुरुमंदिरादि**

नोंध : उपरोक्त सभी राशि गुरुमंदिर-गुरुमूर्ति/पादुका जीर्णोद्धार/नवनिर्माण खाते में ली जाती है । इसके अलावा जिनमंदिर जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण में भी ले जा सकते हैं ।

३३ - रथयात्रा : प्रभुजी के वरघोड़े (शोभायात्रा) संबंधी बोलियाँ

	बोली	किस खाते में
१ -	प्रभुजी को रथ में बिराजित करने की	**देवद्रव्य**
२ -	प्रभुजी को लेकर रथ में बैठने की	**देवद्रव्य**
३ -	प्रभुजी के रथ के सारथी बनने की	**देवद्रव्य**
४ -	रथ में दायीं ओर चमर ढोलने की	**देवद्रव्य**
५ -	रथ में बायीं ओर चमर ढोलने की	**देवद्रव्य**
६ -	रथ के पीछे रामणदीया लेकर चलने की	**देवद्रव्य**
७ -	प्रभुजी के चार पोंखणा करने की	**देवद्रव्य**
८ -	इन्द्रध्वजा की गाड़ी में बैठने की	**देवद्रव्य**
९ -	हाथी, घोड़ा, वाहन, बग्गी आदि में सवार होने की	**देवद्रव्य**
१० -	चौदह स्वप्नों को ले चलने की या वाहन में बैठने की	**देवद्रव्य**
११ -	रथ के आगे दूध की धारा करने की (धारावनी)	**देवद्रव्य**
१२ -	रथ के आगे बाकला उछालने की	**देवद्रव्य**
१३ -	धूप, दीप, चमर आदि ले चलने की	**देवद्रव्य**
१४ -	रथ के आगे थाली डंका बजाने की	**देवद्रव्य**

सूचनाएँ :

१ - प्रभुजी के निमित्त जो भी बोली बुलवाई जाए, वह देवद्रव्य खाते में ही जाएगी ।

२ - वरघोड़े की बोलियों की आय में से वरघोड़े का कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता ।

३ - वरघोड़े का खर्च कोई व्यक्ति स्वद्रव्य से लाभ ले उसमें से या फिर जनरल खर्चे हेतु जो चंदा इकट्ठा किया हो उसमें से कर सकते हैं ।

४ - प्रभुजी का रथ श्रावक अपने निजी द्रव्य से बनाए । यदि रथ देवद्रव्य से बनाया हो तो उस पर **'यह रथ देवद्रव्य की आय में से बनाया गया है ।'** ऐसा लेख स्पष्ट लिखना चाहिए ।

५ - रथ का नकरा देवद्रव्य में जमा करना चाहिए ।

६ - कोई भी व्यक्ति अपने निजी धार्मिक प्रसंग हेतु घर पर मंदिरजी की कोई भी चीज ले जाए तो उसका सुयोग्य नकरा देवद्रव्य में दे देना चाहिए ।

७ - यदि उपाश्रय की कोई चीजें अपने निजी धार्मिक प्रसंग हेतु घर पर ले गए हों तो उसका नकरा साधारण खाते में देना चाहिए ।

३४ - मंदिरजी या मंदिरजी से अन्यत्र किसी भी स्थान में परमात्मा के निमित्त जो भी बोलियाँ बुलवाईं जाएँ वे सभी 'देवद्रव्य' ही गिनी जाती है ।

बोली	किस खाते में ?
१ - तीर्थमाला-इन्द्रमाला पहनने की	**देवद्रव्य**
२ - उपधान माला (बोली या नकरा) पहनने की एवं उपधान की नाण का नकरा	**देवद्रव्य**
३ - जिनमंदिर भूमिपूजन-खनन करने की	**देवद्रव्य**
४ - जिनमंदिर शिलास्थापना करने की	**देवद्रव्य**
५ - जिनमंदिर उंबरा स्थापना करने की	**देवद्रव्य**
६ - जिनमंदिर बारसाख (द्वारशाखा) स्थापना करने की	**देवद्रव्य**
७ - प्रभुजी का नगर प्रवेश, जिनालय प्रवेश या गर्भगृह प्रवेश करवाने की	**देवद्रव्य**
८ - प्रभुजी को पोंखने की	**देवद्रव्य**
९ - प्रभुजी को शुकुन देने की	**देवद्रव्य**
१० - प्रभुजी के प्रवेश एवं प्रतिष्ठादि समय पूज्य गुरु भगवंत का नवांगी गुरुपूजन करने की	**देवद्रव्य**
११ - प्रभुजी की अष्टप्रकारी आदि पूजा करने की	**देवद्रव्य**
१२ - प्रभुजी की मुकुट आभूषण पूजा करने की	**देवद्रव्य**
१३ - आरती उतारने की	**देवद्रव्य**

१४ - मंगल दीया करने की	**देवद्रव्य**
१५ - प्रभुजी को चढ़ाए गए अक्षत, फल-नैवेद्य, श्रीफल एवं बादाम आदि सभी चीजों को योग्य कीमत पर अजैनों को बेचकर आई राशि	**देवद्रव्य**
१६ - जिनमंदिर में प्रभुजी के सन्मुख स्थापित भंडार की आय	**देवद्रव्य**
१७ - भंडार में सबसे प्रथम बार द्रव्य पधराने की	**देवद्रव्य**
१८ - पूजा के समय थाली में फल-नैवेद्यादि ले खड़े रहने की	**देवद्रव्य**
१९ - जिनभक्ति निमित्त शास्त्रविहित हरएक अनुष्ठान के विभिन्न लाभों की	**देवद्रव्य**
२० - स्नात्रपूजा के समय प्रभु के नीचे जो सोना-चांदी के सिक्के एवं द्रव्य रखा जाता है वह	**देवद्रव्य**
२१ - स्नात्र में बत्तीस कोडी उछाली जाती है वह	**देवद्रव्य**
२२ - शांतिस्नात्र के समय कुंभ में तथा स्नात्रजल की कुंडी में जो द्रव्य पधराया जाता है वह	**देवद्रव्य**
२३ - जिनमंदिर में महापूजा का आयोजन हो तब महापूजा का उद्घाटन करने की	**देवद्रव्य**
२४ - आरती, मंगलदीये की थाली में रखा जाता द्रव्य	**देवद्रव्य**
२६ - वर्षगांठ-सालगिरह के दिन शिखर पर कलश की अष्टप्रकारी पूजा आदि के एवं नूतन ध्वजा चढ़ाने की	**देवद्रव्य**

३५ - अलग-अलग बोलियों की विगत

बोली	किस खाते में ?
१ - नूतन उपाश्रय आदि के भूमिपूजन-खनन एवं शिलास्थापन संबंधी लाभ लेने की	**उपाश्रय**
२ - उपाश्रय का उद्घाटन करने की	**उपाश्रय**
३ - उपाश्रय में कुंकुम के हस्तचिह्न(थापा) लगाने की	**उपाश्रय**

४ - उपाश्रय में शय्यातर का चंदा इकट्ठा किया जाता है वह **उपाश्रय**

५ - संघपति और तपस्वी आदि के बहुमान प्रसंग पर

- तिलक करने की **साधारण**
- हार पहनाने की **साधारण**
- श्रीफल देने की **साधारण**
- साफा पहनाने की **साधारण**
- चुंदड़ी ओढ़ाने की **साधारण**
- शॉल पहनाने की **साधारण**
- सम्मान पत्र अर्पण करने की **साधारण**

६ - पर्युषण में जन्मवांचन, महापूजा या अन्य प्रसंग पर संघ इकट्ठा हुआ हो तब संघ के सभ्यों के

- दूध से चरण प्रक्षालन करने की **साधारण**
- तिलक करने की **साधारण**
- हार पहनाने की **साधारण**
- प्रभावना देने की **साधारण**
- गुलाबजल छांटने की **साधारण**

७ - अंजनप्रतिष्ठा या किसी महोत्सव हेतु संघ की जाजम (शतरंजी-दरी) बिछाने की **साधारण**

८ - चढ़ावा (बोली) लेनेवाले परिवार का संघ द्वारा तिलक आदि से बहुमान करने की **साधारण**

९ - ऐसे प्रसंग पर संघ के मुनिमजी/मेहताजी बनने की **साधारण**

१० - संघ की कुंकुमपत्री (पत्रिका) में लिखितं/सादर प्रणाम/जय जिनेन्द्र लिखने की **साधारण**

११ - संवत्सरी संबंधी सकल संघ को व्याख्यान के समय मिच्छा मि दुक्कडं प्रदान करने की **साधारण**

१२ - पाठशाला के बालकों को किसी के हाथों इनाम आदि वितरण करने की **पाठशाला/साधारण**

१३ - स्नात्रपूजा पढ़ाने हेतु खर्चे की राशि (सिंहासन आदि चीजों के इस्तेमाल हेतु सुयोग्य नकरा-शुल्क देवद्रव्य में देना चाहिए) **स्नात्रपूजा**

नोंध : स्नात्रपूजा के खाते में बड़ी राशि इकट्ठी होने पर भव्य स्नात्र महोत्सव पढ़ा सकते हैं ।

१४ - आंगी-अंगरचना-रोशनी कराने हेतु खर्चे की राशि **(आंगी हेतु खोखा मुकुट चंद्रुवा आदि** प्रभु की सामग्री के इस्तेमाल हेतु सुयोग्य नकरा शुल्क देवद्रव्य में देना चाहिए) **आंगीखाता**

नोंध : जिसने जितने रुपयों की आंगी लिखाई हो, उतने रुपयों की आंगी करनी चाहिए । उसमें से द्रव्य बचाना नहीं चाहिए ।

१५ - ग्रंथ प्रकाशन/विमोचन करने की

(A) ग्रंथ ज्ञानखाते की राशि से छपा हो तो **ज्ञानखाता**

(B) ग्रंथ व्यक्तिगत द्रव्य से छपा हो तो **पुस्तक प्रकाशन में**

३६ - दीक्षा प्रसंग पर की जाती बोलियाँ

बोली	किस खाते में
१ - दीक्षार्थी को अंतिम विदाई/विजय तिलक करने की	**साधारण**
२ - दीक्षार्थी को हार पहनाने की	**साधारण**
३ - दीक्षार्थी को श्रीफल अर्पण करने की	**साधारण**
४ - दीक्षार्थी को साफा/शॉल आदि पहनाने की	**साधारण**
५ - दीक्षार्थी को सम्मान पत्र अर्पण करने की	**साधारण**
६ - दीक्षार्थी के माता-पिता का विभिन्न रूप से बहुमान करने की	**साधारण**

७ - दीक्षा-उपकरणों को अर्पण करने की बोलियाँ

	पुरुषों हेतु	बहिनों हेतु	किस खाते में
१.	कंबल	कंबल	**साधुसाध्वी वैयावच्च**
२.	कपड़ा	कपड़ा	**साधुसाध्वी वैयावच्च**
३.	चोलपट्टा(अधोवस्त्र)	साडा	**साधुसाध्वी वैयावच्च**
४.	पातरों की जोड़ी	पातरों की जोड़ी	**साधुसाध्वी वैयावच्च**
५.	तरपणी-चेतना	तरपणी-चेतना	**साधुसाध्वी वैयावच्च**
६.	आसन	आसन	**साधुसाध्वी वैयावच्च**
७.	संथारा	संथारा	**साधुसाध्वी वैयावच्च**
८.	उत्तरपट्टा	उत्तरपट्टा	**साधुसाध्वी वैयावच्च**
९.	डंडा	डंडा	**साधुसाध्वी वैयावच्च**
१०.	डंडासन	डंडासन	**साधुसाध्वी वैयावच्च**
११.	सूंपडी-पूंजणी	सूंपडी-पूंजणी	**साधुसाध्वी वैयावच्च**
१२.	चरवली	चरवली	**साधुसाध्वी वैयावच्च**
१३.	नवकारमाला	नवकारमाला	**ज्ञानखाता**
१४.	पुस्तक पोथी	पुस्तक पोथी	**ज्ञानखाता**
१५.	दीक्षा होने के बाद नूतन मुनि/साध्वी का नूतन नाम जाहीर करने की		**देवद्रव्य**
१६.	गुरु भगवंत का पूजन करने की		**देवद्रव्य**
१७.	गुरु भगवंत को कंबल बहोराने की		**देवद्रव्य**

नोंध : साधु-साध्वी वैयावच्च की राशि में से विहारादि स्थलों के उपाश्रय एवं रसवती हेतु द्रव्य इस्तेमाल नहीं करना चाहिए । उस हेतु व्यक्तिगत या स्वद्रव्य इस्तेमाल करना चाहिए ।

३७- सूत्र-ग्रंथ वाचन प्रसंग पर बुलवाई जाती बोलियाँ

बोली	किस खाते में ?
१ - श्री कल्पसूत्र-बारसासूत्र आदि धर्मग्रंथ पूज्यों को बहोराने की	**ज्ञानखाता**
२ - श्री कल्पसूत्र आदि धर्मग्रंथ श्रीसंघ को सुनाने हेतु पूज्यों को विनंती करने की	**ज्ञानखाता**
३ - ज्ञान की पाँच वासक्षेप पूजा	**ज्ञानखाता**
४ - ज्ञान की अष्टप्रकारी पूजा	**ज्ञानखाता**
५ - ज्ञान को वरघोड़ा निकालकर घुमाने की	**ज्ञानखाता**
६ - चित्रदर्शन करवाने की	**ज्ञानखाता**
७ - ज्ञानपूजन-ग्रंथ/पुस्तक पर चढ़ाया द्रव्य	**ज्ञानखाता**
८ - ज्ञानदाता गुरु भगवंत का पूजन करने की	**देवद्रव्य**

नोंध : ज्ञानखाते का द्रव्य प्राचीन आगमादि संस्कृत-प्राकृत धर्मग्रंथों को ताड़पत्र या टिकाऊ कागज पर लिखवाने हेतु, संरक्षणार्थ छपवाने हेतु इस्तेमाल करना चाहिए । **पर प्रवचन, विवेचन साहित्य जैसा हिंदी-गुजराती आदि भाषाकीय साहित्य छपवाने में काम न लें ।**

३८ - जिनमंदिर शिलास्थापन प्रसंग की बोलियाँ

बोली	किस खाते में ?
१ - नवग्रह पट्टक पूजन करने की	**देवद्रव्य**
२ - दश दिक्पालपट्टक पूजन करने की	**देवद्रव्य**
३ - अष्टमंगलपट्टक पूजन करने की	**देवद्रव्य**
४ - अग्निकोण की शिला स्थापित करने की	**देवद्रव्य**
५ - दक्षिण कोण की शिला स्थापित करने की	**देवद्रव्य**
६ - नैऋत्य कोण की शिला स्थापित करने की	**देवद्रव्य**
७ - पश्चिम कोण की शिला स्थापित करने की	**देवद्रव्य**
८ - वायव्य कोण की शिला स्थापित करने की	**देवद्रव्य**
९ - उत्तर कोण की शिला स्थापित करने की	**देवद्रव्य**

१० - ईशान कोण की शिला स्थापित करने की	**देवद्रव्य**
११ - पूर्वी कोण की शिला स्थापित करने की	**देवद्रव्य**
१२ - मध्य में मुख्य कुर्म शिला स्थापित करने की	**देवद्रव्य**
१३ - आरती	**देवद्रव्य**
१४ - मंगल दीया	**देवद्रव्य**
१५ - शांतिकलश	**देवद्रव्य**
१६ - पू. गुरुभगवंत का गुरुपूजन करने की	**देवद्रव्य**

उपरोक्त सभी राशि देवद्रव्य में जाती है । उसमें से प्रसंग का कोई खर्चा नहीं किया जा सकता ।

नोंध : उपाश्रय, पाठशाला, आयंबिल भवन, धर्मशाला आदि हेतु शिला स्थापन हो तो उसमें बोली जाती शिलाओं की बोलियाँ उन-उन खाते में जा सकती है ।

(उदा. उपाश्रय की शिला की उपाश्रय खाते में । केवल गुरुमंदिर हेतु शिला स्थापन हो तो उसमें बोली जाती शिलाओं की बोलियाँ गुरुमंदिर निर्माण-जीर्णोद्धार खाते में जा सकती हैं एवं जिनमंदिर जीर्णोद्धार-नवनिर्माण में भी जा सकती हैं ।)

विशेष : इस मौके पर जो पट्टक पूजन, आरती, मंगल दीया, शांतिकलश एवं गुरुपूजनादि होते हैं, उनकी आय देवद्रव्य में ही जाती है ।

३९ - लघुशांतिस्नात्र प्रसंग की बोलियाँ

बोली	**किस खाते में ?**
१ - कुंभ स्थापना करने की	**देवद्रव्य**
२ - दीपक स्थापना करने की	**देवद्रव्य**
३ - जवारारोपण करने की	**देवद्रव्य**
४ - नवग्रह पट्टक पूजन करने की	**देवद्रव्य**
५ - दशदिक्पालपट्टक पूजन करने की	**देवद्रव्य**
६ - अष्टमंगल पट्टक पूजन करने की	**देवद्रव्य**
७ - सिंहासन में प्रभु की स्थापना करने की	**देवद्रव्य**

८ - गोली (हांडी) स्थापना करने की	**देवद्रव्य**
९ - शांतिदेवी की स्थापना करने की	**देवद्रव्य**
१० - दीपकों की स्थापना करने की	**देवद्रव्य**
११ - दायीं ओर २७ बार घी पूरने की	**देवद्रव्य**
१२ - बायीं ओर २७ बार घी पूरने की	**देवद्रव्य**
१३ - सुवर्ण कलश से २७ बार अभिषेक करने की	**देवद्रव्य**
१४ - वृषभ कलश से २७ बार अभिषेक करने की	**देवद्रव्य**
१५ - १०८ नलिकाओं वाले कलश से २७ बार अभिषेक करने की	**देवद्रव्य**
१६ - चांदी के कलश से २७ बार अभिषेक करने की	**देवद्रव्य**
१७ - प्रभुजी की २७ बार केशर पूजा करने की	**देवद्रव्य**
१८ - प्रभुजी की २७ बार पुष्प पूजा करने की	**देवद्रव्य**
१९ - प्रभुजी के सामने थाली में पेढा एवं रुपया - श्रीफल लेकर खड़े रहने की	**देवद्रव्य**
२० - १०८ दीपकों की आरती करने की	**देवद्रव्य**
२१ - मंगल दीया करने की	**देवद्रव्य**
२२ - शांतिकलश करने की	**देवद्रव्य**
२३ - शांतिजल की धारावनी करने की	**देवद्रव्य**

नोंध : उपरोक्त सभी राशि देवद्रव्य में ही जाती है । इस राशि में से पूजन का कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता ।

४० - बृहत् शांतिस्नात्र (अष्टोत्तरी) समय की बोलियाँ

बोली	**किस खाते में ?**
१ - कुंभ स्थापना करने की	**देवद्रव्य**
२ - दीपक स्थापना करने की	**देवद्रव्य**
३ - जवारारोपण करने की	**देवद्रव्य**
४ - नवग्रह पट्टक पूजन करने की	**देवद्रव्य**

५ - दशदिक्पालपट्टक पूजन करने की **देवद्रव्य**

६ - अष्टमंगल पट्टक पूजन करने की **देवद्रव्य**

७ - सिंहासन में प्रभु की स्थापना करने की **देवद्रव्य**

८ - गोली (हांडी) स्थापना करने की **देवद्रव्य**

९ - दीपकों की स्थापना करने की **देवद्रव्य**

१० - दायीं ओर १०८ बार घी पूरने की **देवद्रव्य**

११ - बायीं ओर १०८ बार घी पूरने की **देवद्रव्य**

१२ - सुवर्ण कलश से १०८ बार अभिषेक करने की **देवद्रव्य**

१३ - वृषभ कलश से १०८ बार अभिषेक करने की **देवद्रव्य**

१४ - १०८ नलिकाओं वाले कलश से १०८ बार अभिषेक करने की **देवद्रव्य**

१५ - चांदी के कलश से १०८ बार अभिषेक करने की **देवद्रव्य**

१६ - प्रभुजी की १०८ बार केशर पूजा करने की **देवद्रव्य**

१७ - प्रभुजी की १०८ बार पुष्प पूजा करने की **देवद्रव्य**

१८ - प्रभुजी के समक्ष थाली में पेढा, रुपया एवं श्रीफल थाली में ले खड़े रहने की **देवद्रव्य**

१८ - १०८ दीपकों की आरती करने की **देवद्रव्य**

१९ - मंगल दीया करने की **देवद्रव्य**

२० - शांतिकलश करने की **देवद्रव्य**

२१ - शांति जल की धारावनी करने की **देवद्रव्य**

नोंध : उपरोक्त सभी राशि देवद्रव्य में ही जाती है । इस राशि में से पूजन का कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता ।

४१ - प्रभुजी को १८ अभिषेक करते समय बुलवाई जाती बोलियाँ

बोली	किस खाते में ?
१ - मूलनायक भगवान आदि जितने भी भगवान हों उन्हें १८ बार अभिषेक करने की	**देवद्रव्य**
२ - स्नात्र के सिंहासन में बिराजित प्रभु को १८ बार अभिषेक करने की	**देवद्रव्य**
३ - पेढा, श्रीफल, रुपया थाली में लेकर १८ बार प्रभु के सामने खड़े रहने की	**देवद्रव्य**
४ - प्रभु को चंद्र दर्शन करवाने की	**देवद्रव्य**
५ - प्रभु को सूर्य दर्शन करवाने की	**देवद्रव्य**
६ - प्रभु को घी का अभिषेक करने की	**देवद्रव्य**
७ - प्रभु को दूध का अभिषेक करने की	**देवद्रव्य**
८ - प्रभु को दही का अभिषेक करने की	**देवद्रव्य**
९ - प्रभु को ईक्षुरस का अभिषेक करने की	**देवद्रव्य**
१० - प्रभु को सर्वोषधि जल का अभिषेक करने की	**देवद्रव्य**
११ - प्रभु की अष्टप्रकारी पूजा करने की	**देवद्रव्य**
१२ - १०८ दीपकों की आरती करने की	**देवद्रव्य**
१३ - मंगल दीपक करने की	**देवद्रव्य**
१४ - शांतिकलश करने की	**देवद्रव्य**

नोंध : उपरोक्त सभी राशि देवद्रव्य में ही जाती है । इस राशि में से पूजन का कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता ।

४२ - गुरुमूर्ति/पादुका को ५ अभिषेक करते समय बुलवाई जाती बोलियाँ

१ - गुरुमूर्ति/पादुका का प्रथम अभिषेक करने की	**गुरुमंदिरादि**
२ - गुरुमूर्ति/पादुका का द्वितीय अभिषेक करने की	**गुरुमंदिरादि**
३ - गुरुमूर्ति/पादुका का तृतीय अभिषेक करने की	**गुरुमंदिरादि**
४ - गुरुमूर्ति/पादुका का चतुर्थ अभिषेक करने की	**गुरुमंदिरादि**
५ - गुरुमूर्ति/पादुका का पंचम अभिषेक करने की	**गुरुमंदिरादि**
६ - गुरुमूर्ति की अष्टप्रकारी पूजा करने की	**गुरुमंदिरादि**

नोंध : उपरोक्त सभी राशि गुरुमंदिर गुरुमूर्ति-पादुका जीर्णोद्धार/नवनिर्माण खाते में ली जाती है । इसके अलावा जिनमंदिर जीर्णोद्धार-नवनिर्माण में भी ले जा सकते हैं ।

४३ - सिद्धचक्र आदि पूजन प्रसंग पर बुलवाई जाती बोलियाँ

परमात्मा की भक्ति हेतु जो भी पूजा-पूजन जिनमंदिर में या अन्यत्र कहीं भी पढ़ाए हों उन पूजा-पूजनों में बुलवाई गई सभी बोलियाँ प्रभुनिमित्तक ही होने से उनकी आय **'देवद्रव्य'** में ही ले जानी चाहिए । इस आय में से उन पूजा-पूजन का कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता ।

☞ ❖ ☞

२. संघ संचालन मार्गदर्शन

परिशिष्ट-१

श्री श्वेतांबर मूर्तिपूजक तपागच्छ संघ में सर्वमान्य ग्रंथ 'द्रव्यसप्ततिका' के आधार पर कुछ समझने योग्य तथ्य

☞ धार्मिक द्रव्यों का वहीवट करने के लिए १ - मार्गानुसारी गृहस्थ, २ - सम्यग्दृष्टि श्रावक तथा ३ - देशविरतिधर श्रावक अधिकारी हैं । सर्वविरतिधर साधु भगवंत भी विशिष्ट संयोग - कारण उपस्थित हों तब धर्मद्रव्य-रक्षा आदि के अधिकारी हैं ।

☞ कर्मादान (हिंसक धंधे-फैक्ट्री-शेयर मार्केट आदि में निवेश) इत्यादि अयोग्य कार्यों का त्याग करके, उत्तम व्यापार आदि के द्वारा ही देवद्रव्यादि धर्मद्रव्यों की वृद्धि करनी चाहिए । श्रावकों को ब्याज़ पर भी देवद्रव्य नहीं देना चाहिए ।

दूसरों को देते समय भी अधिक मूल्यवान अलंकार रखकर ही देना चाहिए ।

☞ जिनमंदिर आदि धर्मस्थानों की व्यवस्था, रखरखाव-देखभाल तथा संचालन करने वालों को 'वैयावच्च' नामक तप का लाभ प्राप्त होता है ।

☞ द्रव्यसप्ततिका कहती है कि - जिस हेतु से जो द्रव्य आता है, उसे उसी हेतु में - उसी कार्य में लगाना चाहिए । यह एक उत्सर्ग नियम (राजमार्ग जैसा नियम) है । इसमें अपवाद स्वरूप नियम ग्रंथकार ने बताए हैं । अपवाद का अवसर होने पर ही अपवाद का प्रयोग किया जा सकता है । गीतार्थ गुरुवर अपवाद के ज्ञाता होते हैं । अपवाद सेवन पूर्व गीतार्थ गुरुवरों की आज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य है ।

अपवाद का अवसर न होते हुए भी यदि अपवाद मार्ग का आचरण किया जाता है तो वह अपवाद नहीं रहता, बल्कि उन्मार्ग बन जाता है ।

☞ अपने घर का दीपक प्रभु दर्शन के हेतु अगर मंदिर पर ले आये हों तो वह दीपक देवद्रव्य नहीं बनता है । नैवेद्य चढ़ाने के लिए थाली-बर्तन मंदिर लाए हों तो वे भी देवद्रव्य नहीं बनते । आंगी के हेतु अपने अलंकार शुद्ध करके

प्रभु को चढ़ाने मात्र से देवद्रव्य नहीं बनते । श्रावक उन्हें पुनः अपने उपयोग में ले सकता है । देव की भक्ति में जो समर्पित किया जाता है, वही देवद्रव्य बनता है ।

- जिनालय की छत की परनाली से आए हुए पानी का उपयोग श्रावक अपने या दूसरों के कार्य में न करे, क्योंकि देव को अर्पित भोगद्रव्य की ही तरह ऐसे द्रव्यों का उपभोग भी दोषदायक है ।
- देवद्रव्य के वाद्य आदि उपकरण गुरुमहाराज या संघ के सम्मुख (स्वागत यात्रा में) न बजाएं, उनका उपयोग न करें । अगर किसी विशेष कारण से बजाना-प्रयुक्त करना ही पड़े तो अधिक नकरा (मूल्य) देकर ही बजाएं-प्रयुक्त करें ।
- देवद्रव्य के उपकरण नकरा दिए बिना अपने कार्य में उपयोग में लेनेवाला दुःखी होता है ।
- ज्ञानद्रव्य के कागज़, कलम आदि उपकरण साधु-साध्वीजी भगवंतों के लिए उपयोग में लिए जा सकते हैं । श्रावक उनका उपयोग नहीं कर सकते । ज्ञानद्रव्य खर्च करके लाए गए या प्रकाशित किए गए धार्मिक पुस्तक भी सुयोग्य 'नकरा' दिए बिना श्रावक नहीं पढ़ सकते ।
- ज्ञान द्रव्य से निर्मित, जीर्णोद्धार किए गए या खरीदे गए मकान, अलमारियाँ, मेज, कागज, ताडपत्र आदि सामग्री भी केवल पंचमहाव्रत धारी साधु-साध्वीजी भगवंतो को ज्ञान-अध्ययन हेतु अर्पित कर सकते हैं ।

  इसी कारण से, ज्ञान द्रव्य से बने मकानों, भंडारों, ज्ञानमंदिरों में साधु-साध्वीजी केवल ज्ञानाध्ययन हेतु विराम कर सकते हैं । वहाँ शयन (संथारा), भोजन (गोचरी) पानी, आदि क्रिया नहीं कर सकते ।
- ज्ञानद्रव्य जैन पंडित या श्रावक को नहीं दिया जा सकता, अजैन (जैनेतर) अध्यापक को दिया जा सकता है । परंतु अध्यापक यदि श्रावक-श्राविकाओं को भी पढ़ाता हो तो उसे ज्ञानद्रव्य नहीं दे सकते ।
- धार्मिक पाठशालाएँ कि जिनमें श्रावक-श्राविकाएँ या/और उनकी संतानें पढ़ती हों तो उसका खर्च, उसके जैन-अजैन अध्यापक-अध्यापिका की तनखा, पाठ्यपुस्तकों का खर्च एवं/या इनाम-यात्रादिक खर्चा भी ज्ञानद्रव्य में से नहीं कर सकते ।

- ज्ञानद्रव्य के इस्तेमाल में श्रावक को देवद्रव्य के इस्तेमाल जितना भारी पाप लगता है । अतः शास्त्रीय मर्यादा व भेदरेखा समझकर बर्ताव करें ।
- साधारण द्रव्य भी संघ ने दिया हो तो ही श्रावक के लिए स्वीकार्य हो सकता है ।
- प्रश्नोत्तर समुच्चय, आचारप्रदीप, आचारदिनकर तथा श्राद्धविधि आदि ग्रंथों के अनुसार श्री जिनेश्वर भगवान की अंगपूजा की ही तरह श्री गुरुमहाराज की अंगपूजा तथा अग्रपूजा सिद्ध होती है । गुरुपूजन का यह द्रव्य गुरु से भी ऊपर के क्षेत्र जिनमंदिर जीर्णोद्धार तथा नवनिर्माण क्षेत्र में ही प्रयुक्त करना चाहिए । प्रभु की अंगपूजा में यह द्रव्य खर्च न करें ।
- पंचमहाव्रतधारी साधु-साध्वियों का किसीने 'न्यूंछना' 'द्रव्य-ओवारणा' किया हो तो वह द्रव्य पौषधशाला - उपाश्रय के जीर्णोद्धार-मरम्मत या निर्माण में लगा सकते हैं । यह द्रव्य श्रावकों को नहीं दे सकते । याचकों को भी नहीं दे सकते ।
- धर्मस्थान में खर्च करने के लिए घोषित किया गया द्रव्य अलग ही रखें । तीर्थयात्रा के लिए रकम निकाली हो तो गाड़ीभाड़ा, निवास, भोजन आदि का खर्च इसमें से न करें । यह महापाप है ।
- किसी ने धर्म कार्य में खर्च करने के लिए कुछ धन दिया हो तो उसका उपयोग उस व्यक्ति के नाम की स्पष्ट घोषणा के साथ ही किया जाना चाहिए ।
- माता-पिता आदि स्वजनों की अंतिम अवस्था के समय सुकृत में खर्च करने के लिए जितने भी धन की घोषणा की गई हो, उसे संघ के समक्ष समय मर्यादा पूर्वक घोषित कर देना चाहिए तथा तुरंत वह धन उनके नाम से ही खर्च कर देना चाहिए ।
- धर्म के उपकरण इधर-उधर गलत स्थान में रखने से श्रावक को बहुत बड़ा दोष लगता है, इसलिए धर्मोपकरणों को सम्हाल कर रखना चाहिए तथा कार्य पूर्ण होने पर सुयोग्य स्थान पर रख देना चाहिए ।
- देवद्रव्य आदि की रक्षा के कार्य में - शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करने वाले साधु भी अनंत संसारी बन जाते हैं, अतः उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ।
- अपने प्राणों को न्यौछावर करके भी शासन की आशातना को रोकना चाहिए ।

- शास्त्रोक्त मार्गों से देवद्रव्य की वृद्धि तथा रक्षा करनेवाला अपना संसार सीमित करता है तथा तीर्थंकर गौत्र का बंध भी करता है, जबकि देवद्रव्य का भक्षण, नाश तथा उपेक्षा करनेवाला यावत् अनंत संसारी बनता है ।
- अज्ञानवश भी अगर देवद्रव्य का उपभोग हुआ हो तो तुरंत गीतार्थ गुरु भगवंतों के पास आलोचना - प्रायश्चित्त करना चाहिए ।
- देवद्रव्य का अनुचित उपयोग - उपभोग करनेवाले गाँव-शहर शोभाविहीन, निर्धन, भाग्यहीन, व्यापारहीन और तुच्छ बन जाते हैं ।
- देवद्रव्य तथा परस्त्री का उपभोग करनेवाला सात बार सातवीं नरक में जाता है, ऐसा प्रभु श्री महावीर ने श्री गौतमस्वामीजी से कहा था ।
- जिस घर में देवद्रव्य का उपभोग हुआ हो, उस घर की कोई भी वस्तु श्रावक को अपने उपयोग में नहीं लेनी चाहिए ।
- वेशधारी, आचार-विचार भ्रष्ट, शिथिलाचारी साधु-साध्वी के पास कोई माल-मिलक्त इकट्ठी की हुई मिले या उनके कालधर्म के बाद भी उनकी कोई पूंजी मिले तो वह द्रव्य अत्यंत अशुद्ध होने से जीवदया में खर्च करना चाहिए ।
- तीर्थंकर की आज्ञा का भंग होता देखकर भी जो मनुष्य चुप रहते हैं, वे अविधि की अनुमोदना करनेवाले हैं । इससे उनके व्रत-महाव्रत का लोप हो गया है, ऐसा समझना चाहिए ।
- धर्म की निंदा करनेवाले को एवं करानेवाले को भवांतर में धर्म प्राप्ति नहीं होती ।
- भावना स्वयं को मोक्ष दिलाती है, जब कि प्रभावना तो स्वयं के साथ दूसरों को भी मोक्ष दिलाती है । जैनशासन की प्रभावना करनेवाला जीव तीर्थंकर बनता है ।
- शास्त्र में कहा है कि - **'गुरु-सक्खिओ धम्मो ।** धर्म गुरु की साक्षी में करना होता है ।

परिशिष्ट-२

जिनमंदिर विषयक कुछ कार्य :
जो संघ के अग्रणियों को करने हैं

'द्रव्यसप्ततिका' ग्रंथ में जिनमंदिर का ध्यान रखनेवाले ट्रस्टी - कार्यवाहक - प्रबंधक अग्रणि सुश्रावक हेतु कुछ कार्य बताए गए हैं :

१ - जिनमंदिर का चूना आदि पदार्थों से संस्कार करना, रंगरोगान करवाना ।

२ - जिनालय तथा उसके आसपास के प्रदेश को स्वच्छ करवाना ।

३ - पूजा के उपकरण नए बनवाना, उन्हें व्यवस्थित रखना, उनका हिसाब रखना ।

४ - प्रभु प्रतिमाजी एवं परिकर की निर्मलता को बनाए रखना ।

५ - महापूजा आदि में दीपक की रोशनी आदि के द्वारा शोभा-वृद्धि करना ।

६ - अक्षत, नैवेद्य, फल आदि निर्माल्य वस्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करना । निर्माल्य वस्तुओं को जैनेतरों में सुयोग्य मूल्य में बेचकर प्राप्त रकम देवद्रव्य में जमा करना । प्रभु की आंगी में प्रयुक्त वरक - बादला आदि को रीफाईनरी में गलवाकर प्राप्त सोना-चांदी को देवद्रव्य में जमा करवाना ।

७ - केसर-चंदन, दूध-घी आदि पूजा योग्य वस्तुएँ प्राप्त कर उनका संचय करना ।

८ - देवद्रव्य एवं धर्मादा द्रव्य की वसूली समय पर करना ।

९ - वसूल किया गया द्रव्य सुरक्षित स्थान में रखना ।

१० - सभी द्रव्य एवं खातों का हिसाब स्पष्ट और साफ़ लिखवाना ।

११ - भंडार की आय, खर्च एवं सुरक्षा का प्रबंध करना ।

१२ - भंडार, सुरक्षा-स्थान आदि की सुरक्षा के लिए चौकीदार आदि की व्यवस्था करना ।

१३ - साधर्मिक जन, गुरुभगवंत, ज्ञानभंडार तथा धर्मशाला आदि की उचित पद्धति से देखभाल करने में अपनी शक्ति का उपयोग करना ।

१४ - ऋद्धिसंपन्न श्रावक, सिद्धाचल आदि महातीर्थों की एवं अपने गाँव-शहर के आसपास स्थित तीर्थों की उपरोक्त विधि से रक्षा करें, उनका उद्धार करें तथा उन पर लगाए गए कर - Tax दूर करवाएं ।

ये तथा ऐसे ही अन्य भी कार्य करने चाहिए । जैसे कि –

१ - जिनालय में Electricity-Lights का उपयोग न किया जाए । अनेक प्राचीन तीर्थ और प्रभावपूर्ण जिनमंदिरों में बीजली की बत्तियों का उपयोग नहीं किया जाता ।

२ - दीपकों को काँच के दीपपात्र आदि में रखा जाए, जिससे त्रस जीवों की रक्षा हो सके ।

३ - जिनमंदिरों के शिखर पर कायमी मंच न बनाए जाएं । यह शिल्प का दोष माना गया है । इससे संघ का विकास रूँध जाता है ।

४ - अंगलूंछन-पाटलूंछन (पोंछने के) वस्त्र धोने के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जाए ।

५ - स्नात्रजल को सुखा देने के लिए बड़े, जयणा का पालन हो सके ऐसे, जलपात्र बनाए जाएं । उसमें निगोद-त्रस जीवों की उत्पत्ति तथा नाश न हो उसका ध्यान रहे ।

६ - जिनमंदिरों के शिखर पर वृक्ष उग आते हैं, जो मंदिर को नुकसान पहुँचाते हैं । ऐसा नियमित रूप से साफ-सफाई एवं रख-रखाव के अभाव में होता है, अतः उन्हें यतनापूर्वक दूर करें ।

७ - निर्माल्य पुष्पों को छाँव में सुखाकर थोड़े-थोड़े दिनों के अंतराल पर किसी का पैर न पड़े ऐसे निर्जन स्थान में विसर्जित करना आदि ।

परिशिष्ट-३

धर्म-संस्थाओं के संचालकों को महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन !

१ - धर्मक्षेत्रों का संचालन शास्त्रोक्त नीति के अनुसार ही करें ।

२ - भगवान के सच्चे पुजारी तो श्रावक-श्राविका ही होते हैं । अपने भगवान की पूजा का सारा कार्य यथासंभव स्वयं ही करें ।

३ - अन्य पुजारी को अगर रखना ही पड़े तो केवल मंदिर की रक्षा, सफाई, सार-संभाल आदि बाह्य कार्यों पर ध्यान देने के लिए ही रखा जाए ।

४ - जिनमंदिर में मुनिमों की प्रायः आवश्यकता ही नहीं होती । प्रौढ़जन, निवृत्त लोग ही वहाँ जा कर हिसाब-किताब लिखने का, देखने का, जाँचने का कार्य कर सकते हैं ।

५ - वैज्ञानिक विकास के विविध रंगों से प्रभावित हो जाए ऐसा आधुनिकतावादी व्यक्ति हमारा ट्रस्टी या संचालक नहीं होना चाहिए ।

६ - स्वामिवात्सल्य में रात्रिभोजन, द्विदल भक्षण, बरफ-आइस्क्रीम, बाज़ार में बनीं चीज़ें, बुफे भोजन जैसे रीति-रिवाज़ों को न अपनाएं । याद रहना चाहिए कि हमारे यहाँ खाने की नहीं, भावपूर्वक खिलाने की महिमा थी ।

७ - तीर्थस्थानों में तथा धर्मस्थानों में नवरात्रि के गरबाओं का खेल न हो, जन्माष्टमी पर जुआ खेलना, आशातनाएँ, अभक्ष्य आहार, अपेयपान न हो और विडीओ, टी.वी., ट्रांजिस्टर, समाचार पत्र-पत्रिकाओं आदि के द्वारा विलासिता-बिभत्सता, अश्लिलता को प्रोत्साहन न दिया जाए, इसके लिए चुस्त प्रबंध किया जाए ।

८ - धर्मस्थान का खाता जिन बैंकों में हो, वहाँ ट्रस्टी अपना व्यक्तिगत खाता न रखें । धार्मिक खातों की F.D. तथा जमा रकम पर स्वयं क्रेडिट प्राप्त न करें । यह महान दोष है ।

९ - स्वयं बोली बोले तो तुरंत रकम भर दें । तुरंत रकम भरने के लिए पहले से घोषणा कर दें । इसके लिए बोर्ड भी लगा दिया जाए तथा औरों को भी बोली का द्रव्य तुरंत भरने के लिए प्रोत्साहित करें ।

१० - निश्चित समय मर्यादा में चढ़ावे की रकम न भरी जाए तो साहुकारी दर से सूद लेने का प्रबंध किया जाए । ऐसा अगर नहीं किया जाता है तो देवद्रव्य आदि धर्मद्रव्य, चढ़ावा बोलने वालों के घर-व्यापार में इस्तेमाल हो जाता है । इससे वे धर्मद्रव्य के भोगी बनते हैं ।

११ - प्रत्येक ट्रस्टी या संचालक के ऊपर एक गीतार्थ सद्‌गुरु होने चाहिए, जिनकी शास्त्रानुसारी आज्ञा-मार्गदर्शन उसके लिए सर्वस्व हो ।

१२ - हमारा ट्रस्टी सम्यक्त्वपूर्ण बारहों व्रतों का पालन करनेवाला हो तो 'सोने में सुहागा' वाली बात होगी । सम्यक्त्वधारी श्रावक - १ श्री वीतरागदेव, २ - निर्ग्रंथ गुरु और ३ - जिनाज्ञामूलक जीवदयाप्रधान जैन धर्म : इन तीनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी रागी, द्वेषी, अज्ञानी देव-गुरुओं को एवं हिंसक धर्मों को न माने । अनिवार्य संयोगों के बिना उनके स्थानों में न जाए ।

१३ - ट्रस्टी प्रतिदिन जिनमंदिर जाकर दर्शन कर के स्वद्रव्य से पूजा-भक्ति करें ।

१४ - वह जिनमंदिर जाएं तब प्रथम जिनमंदिर का काम, स्वच्छता आदि पर ध्यान दें । प्रतिमाजी कितनी हैं, सिद्धचक्र कितने हैं, कितने अलंकार ठीक हैं, यह सब जाँच कर उनकी सुरक्षा का प्रबंध करें ।

१५ - ट्रस्टी जिनवाणी-व्याख्यान में प्रथम पंक्ति में बैठें । गुरुवंदन, गुरुपूजन, ज्ञानपूजन करने के बाद ही वे प्रवचन सुनें । व्याख्यान में कही गई बातों पर मनन करें तथा यथासंभव उसे व्यवहार में अपनाएं ।

१६ - ट्रस्टी बनते ही सर्व प्रथम गीतार्थ भवभीरु गुरु के पास भव-आलोचना लेने का कार्य करना हितावह है । अपनी शक्ति-भक्ति आदि का पूरा ब्यौरा गुरुदेव को देना आवश्यक है, जिससे वे उसकी भूमिका के अनुसार कार्य सौंप सकें ।

१७ - ट्रस्टी के जीवन में सात व्यसन तो होने ही नहीं चाहिए । १ - शराब, २ - मांसाहार, ३ - जुआ, ४ - शिकार, ५ - परस्त्रीगमन, ६ - वेश्यागमन और ७ - चोरी ।

१८ - सरकारी कायदे-कानून आदि का ज्ञान होना, यह ट्रस्टी की विशेष योग्यता है ।

१९ - विविध सरकारी टैक्स, ओक्ट्रोय आदि की चोरी ट्रस्टी स्वयं न करें । धर्मसंस्थाओं को भी ऐसे कार्य करने की प्रेरणा न दें ।

२० - हरेक ट्रस्टी के लिए यह आवश्यक है कि वह कम से कम एक बार ज्ञानी गुरु के पास बैठकर 'द्रव्यसप्ततिका' ग्रंथ का अनुवाद पढ़ लें । धार्मिक एवं धर्मादा द्रव्यों की व्यवस्था के लिए यह संघमान्य-प्रामाणिक ग्रंथ होने के कारण उसमें दी गई सूचनाओं के अनुसार द्रव्यव्यवस्था करने का प्रबंध करें ।

२१ - ट्रस्टी को 'ट्रस्टडीड' का अभ्यास अच्छी तरह से करना चाहिए । उसमें अगर कहीं कोई शास्त्रविरोधी बातें लिख दी गईं हों तो उचित उपायों के द्वारा उन्हें सुधारना चाहिए । डीड में 'द्रव्यसप्ततिका' का उल्लेख खास तौर से हो इसका प्रावधान करना चाहिए ।

२२ - कायमी फंडों के चक्कर में पड़ने के बजाय प्रति वर्ष की आय के स्रोत निर्मित करना अच्छा है । उदाहरण के तौर पर जिनमंदिर के लिए अष्टप्रकारी पूजा-द्रव्य का लाभ लेने के लिए बारह महीनों की बोली बोलकर बोर्ड पर एक वर्ष के लिए लाभ लेनेवाले का नाम लिखने से प्रायः वर्ष का खर्च निकल जाता है । इसी प्रकार साधारण क्षेत्र के लिए भी चढ़ावा या नकरा तय करके, नाम लिखे जा सकते हैं । प्रति वर्ष की ३६० तिथियाँ भी निश्चित की जा सकती हैं ।

२३ - वर्ष दरमियान संचालन में अनजाने भी किसी क्षेत्र के द्रव्य में कुछ गड़बड़ हुई हो तो उससे बचने के लिए ट्रस्टी सभी खातों में अपना व्यक्तिगत-थोड़ा ही सही - द्रव्य अवश्य लिखाएं । किसी प्राप्त लाभ के बदले में लिखाया गया यह द्रव्य न हो ।

२४ - जिनमंदिर आदि धर्मस्थानों के नौकर-कर्मचारीवर्ग के प्रति ट्रस्टी माँ-बाप के जैसा ही व्यवहार करें । काम के विषय में पूर्ण सावधानी की अपेक्षा रखें । साथ ही अच्छे कार्य की कदर करना भी आना चाहिए ।

२५ - संघ में क्लेश का वातावरण उपस्थित न हो इसका ध्यान रखें । फिर भी क्लेश हो जाए तब दिमाग को ठंडा रखकर समाधान प्रस्तुत करें । क्लेश निवारण हेतु किसी गीतार्थ सद्‌गुरु का शास्त्रीय मार्गदर्शन लेने के लिए लिखित प्रस्ताव लाकर कार्य करना हितावह है ।

२६ - अपने संघ में, तीर्थ में सुविहित, शुद्ध प्ररूपक, उद्यतविहारी, साधु-साध्वीजी भगवंतों का आगमन, स्थिरता, चातुर्मास, प्रवचन आदि होते रहें, इसके लिए प्रयत्नशील रहें ।

२७ - श्रावक जीवन का उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के लिए ट्रस्टी के लिए 'श्राद्धविधि' तथा 'धर्मसंग्रह' भाग-१ का पुनः पुनः पठन-मनन करना अत्यंत आवश्यक है । साधुभगवंतों की समाचारी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्मसंग्रह भाग-२ का गुरुनिश्रा में पठन करना चाहिए ।

२८ - बहुमती-सर्वानुमती के चक्कर में न पड़ें । शास्त्रमती से चलने का निर्णय करें । शास्त्र सर्वज्ञ के हैं । सर्वज्ञ ही हमारा सच्चा हित कर सकते हैं, इसलिए शास्त्रों को प्रधान बनाकर प्रबंध करें ।

२९ - यथासंभव चुनाव की पद्धति को टालें । इसके अपार अनिष्ट हैं । संघ द्वारा या ट्रस्ट-मंडल द्वारा ही नूतन संचालकों का चयन किया जाना चाहिए । गीतार्थ गुरुभगवंतों से उस चयन का अनुमोदन करवाना अथवा यों कहें कि चयन प्रक्रिया में उनका मार्गदर्शन एवं परामर्श प्राप्त करना संघ के उज्ज्वल भविष्य के लिए हितावह है ।

३० - संघ की वार्षिक आवश्यकता के मद्देनजर आवश्यक रकम रखकर, शेष सारी रकम सुयोग्य क्षेत्रों में इस्तेमाल कर देनी चाहिए । इस काल में यह सब से अधिक आवश्यक बात है । अति संग्रह विकास को जन्म देता है ।

३१ - जिस स्थान में रकम खर्च करनी हो वहाँ की व्यवस्था, क्षमता, संचालन आदि का अनुमान कर लेना चाहिए । अपनी व्यक्तिगत रूप से जाँच-परख करने के पश्चात् ही रकम दान में देनी चाहिए । ग्राहक संघ अगर सक्षम हो तो रकम लोन के रूप में भी दी जा सकती है ।

३२ - सोमपुरा-शिल्पियों के भरोसे पर बांधकाम, निर्माण, जीर्णोद्धार आदि कार्य नहीं किए जाने चाहिए । जैन संघ के निःस्वार्थ कर्मठ कार्यकर्ता, अग्रणिजनों की सलाह लेनी चाहिए; जिस से संघ के द्रव्य का दुर्व्यय न हो ।

३३ - निर्माण-जीर्णोद्धार आदि कार्यों की ट्रस्टी स्वयं देखभाल करें । कोन्ट्राक्टरों के भरोसे काम करने में बहुत परेशानी तथा अनावश्यक रूप से धन का दुर्व्यय-खर्च होने की संभावना रहती है । जयणा का पालन भी नहीं होता ।

३४ - जीवदया का द्रव्य संग्रह करके न रखें । तुरंत जीवों को छुड़वाने के लिए, पांजरापोलों में पशुओं के घासचारे आदि के लिए भेज दिया जाना चाहिए, अन्यथा अंतराय का पाप बंधता है ।

३५ - अनुकंपा के लिए भी शास्त्रीय मार्गों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है । इस द्रव्य के द्वारा हिंसा को उत्तेजना देनेवाले अस्पताल आदि को प्रोत्साहन न मिले, इसकी ओर ध्यान रखा जाए ।

३६ - हमारे संघ में आयोजित प्रत्येक महत्त्वपूर्ण प्रसंग पर जीवदया तथा अनुकंपा के लिए कोई न कोई ठोस कार्य हो इसकी ओर लक्ष्य रखना चाहिए । ये दोनों कार्य धर्मप्रभावना के अंग हैं ।

३७ - पाँच प्रतिक्रमण, जीवविचार तथा नौ-तत्त्वों का अर्थसहित अभ्यास कर लेना यह ट्रस्टी के लिए धर्मक्षेत्र को समझने, स्व-पर हित के लिए उपयोग करने के लिए अत्यंत आवश्यक बात है । साथ-साथ श्राद्धविधि भी अवश्य पढ़ लें ।

३८ - साधु संस्था में प्रविष्ट शिथिलाचार को ट्रस्टी प्रोत्साहन न दें । उचित उपाय करके विवेकपूर्वक शिथिलाचार को रोकने का प्रयास करें । साधु-साध्वीजी की निंदा स्वयं न करें और कोई करे तो न सुनें ।

३९ - ट्रस्टी अर्थात् संघ का सेवक । मेरा अहोभाग्य है कि मुझे संघ की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसा प्रत्येक ट्रस्टी मानें ।

४० - जिनाज्ञानुसार संचालन करने से यावत् तीर्थंकर नामकर्म का बंध होता है तथा जिनाज्ञा से विपरीत संचालन करने से अनंत संसार परिभ्रमण होता है, इसलिए ध्यानपूर्वक, जिनाज्ञा को समझकर उसका अनुसरण करें ।

४१ - साधु-साध्वी को देखते ही ट्रस्टी का मस्तक झुक जाए । उनकी वैयावच्च में वह रुचि लें । उनकी संयमयात्रा और शरीरस्वास्थ्य सुखरूप रहे, इसके प्रति वह ध्यान दें ।

४२ - सारे हिसाब-किताब आईने की तरह स्वच्छ रखें । कोई भी आकर देखना-पूछना चाहे तो संपूर्ण धैर्य के साथ ट्रस्टी उन्हें बताए और उनके मन की जिज्ञासा को तृप्त करें । किसी के साथ अविनय से क्षुद्र व्यवहार करे ही नहीं ।

४३ - छोटे बालक से भी अगर हितकर जानकारी मिले तो प्रेम सहित उसको स्वीकार करें ।

४४ - ट्रस्टियों की मीटिंगों में वह अवश्य उपस्थित रहें । जिनाज्ञानुसारी कार्य में वह हमेशा सहयोग दें । आज्ञा विरुद्ध कार्य को समझदारी तथा विवेक से रोकें ।

४५ - जो सच हो, वही मेरे लिए स्वीकार्य, मेरी ही बात सच है ऐसा न मानें । अपनी बात मनवाने का कदाग्रह न रखें । मान-कषाय, अहंकार - Ego के आधीन होकर संघ के कार्यों को बिगाड़ें नहीं ।

४६ - भगवान के धाम में कहीं सिगरेट-बीड़ी का उपयोग न होने दें । मावा, पान-मसाला, सुपारी इत्यादि न स्वयं खाएं, न दूसरों को खिलाएं । ऐसे खान-पान को रोकें । कार्यालय में बैठकर चाय-काफी या नाश्ता करना शोभास्पद नहीं है ।

४७ - शासन के किसी भी कार्य के लिए ट्रस्टी, अपनी शक्ति हो तो स्वद्रव्य खर्च करके ही लाभ लें । उदाहरण के लिए - कहीं जिनमंदिर के कार्य हेतु गए हों तो रेल का किराया साधारण खाते में से लेना पड़े तो लें, परंतु भोजन आदि का खर्च तो नहीं लें। संघ के खर्च से कहीं गए तो उस दौरान निजी व्यापार आदि कुछ न करें ।

४८ - जिनमंदिर, उपाश्रय, आयंबिल भवन, पाठशाला, भोजनालय, धर्मशाला आदि विषयक छोटी-बड़ी सभी बातों का अभ्यास करके, उन स्थानों की व्यवस्था धर्मनीति के अनुसार सुचारु रूप से चलती रहे, ऐसा आयोजन करें ।

४९ - अगर ट्रस्टी भारतीय आर्य वेशभूषा धारण करें तो शालीन लगेगा । यथासंभव वह पाश्चात्य वेशभूषा का त्याग करें ।

५० - पेढ़ी-कार्यालय में गद्दी-तकिया आदि की प्राचीन व्यवस्था रखी जाए । टेबल-कुर्सी जैसी विदेशी सुविधाएँ रखना उचित नहीं है ।

५१ - संघ की पेढ़ी-कार्यालय को समाचार पत्र-पत्रिकाओं से दूर रखा जाए । अन्यथा वह सार्वजनिक वाचनालय बन जाएगी ।

५२ - पेढ़ी-कार्यालय से व्यक्तिगत फोन-फैक्स आदि न किए जाएं । स्मरण में रहे कि धर्मस्थानों में प्रवेश करने से पूर्व 'निसीहि' बोला जाता है ।

५३ - धर्मस्थानों को उज्ज्वल, स्वच्छ रखें । समय-समय पर चूना-रंगरोगान आदि करवाया जाए । निगोद-काई आदि त्रसजीव न हों इसके लिए सावधानी रखी जाए । सभी कार्यों में जयणा का पालन सर्वोपरि महत्त्व की बात है ।

५४ - प्रतिमाजी तथा परिकर को स्वच्छ, निर्मल रखें ।

५५ - पूजा आदि के लिए केसर, चंदन, घी, धूप, वरक आदि जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनका सुयोग्य संचय करें ।

५६ - धर्मस्थानों में काम चल रहा हो उस समय उन कारीगरों से अपने घर के या अपने धंधे के कार्य न कराएं । धर्मकार्य रुक जाए इस प्रकार स्वयं के कार्य न कराएं ।

५७ - संघ-स्वामिवात्सल्य आदि के लिए सब्जियाँ या अनाज़ खरीदने के लिए गए हों तब अपने घर-दुकान के लिए खरीदी न करें । संघ के लिए होलसेल दामों पर खरीदी हो रही हो तब बेचनेवाला उन्हीं दामों में खरीदनेवाले को भी दे दे यह संभव है । ऐसा हो तो दोष लगता है ।

५८ - जो-जो धर्मस्थान जिस किसी उद्देश्य से निर्मित हुए हैं, उनमें उसी उद्देश्य का पालन हो, उसके प्रति ट्रस्टी लक्ष्य रखें । जैसे कि आयंबिल भवन आदि धर्मस्थान में शादी-ब्याह आदि सांसारिक कार्य न होने दें ।

५९ - संघ ने जिस विश्वास के साथ धर्मस्थान-धर्मद्रव्य के संचालन का कार्य सौंपा है, उसे पूर्ण निष्ठा, लगन एवं पुरुषार्थ के साथ ट्रस्टी सार्थक करें ।

६० - ट्रस्ट के लाभार्थी - तपस्वी आदि के लिए जो विशेष व्यवस्था-सुविधाएँ हों उनका उपयोग ट्रस्टी स्वयं न करें । लाभार्थी-तपस्वी आदि को दी गई सुविधाओं में कोई कमी तो नहीं है, यह परखने के लिए स्वयं उतनी सुविधा का उपयोग करें वह ठीक है, परंतु अकारण उपभोग नहीं करें । उदा. अत्तरवायणा, पारणा, एकासना, आयंबिल की रसोई आदि चखना इत्यादि ।

६१ - जिनमंदिर में देवद्रव्य तथा जीर्णोद्धार के भंडार ही रखे जाएं । अन्य क्षेत्रों के भंडार जिनमंदिर के बाहर सुयोग्य-सुरक्षित स्थानों पर ही रखे जाएं ।

परिशिष्ट-४

आरती-मंगल दीपक की थाली में रखे गए द्रव्य के विषय में *पेढ़ी के दो पत्र*

आरती-मंगल दीपक की थाली में रखी गई रकम देवद्रव्य खाते में जाती है, उसके विषय में शत्रुंजय तीर्थाधिराज आदि अनेक तीर्थों की संचालन-व्यवस्था को देखनेवाली सेठ **आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी** तथा श्री शंखेश्वरजी तीर्थ के संचालन के कार्य को देखनेवाली **श्री जीवणदास गोडीदास पेढ़ी** (शंखेश्वर) के पत्र निम्नानुसार हैं ।

सेठ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी की ओर से प्राप्त पत्र की अक्षरशः प्रतिलिपि निम्नानुसार है ।

सेठ आणंदजी कल्याणजी,
अखिल भारतीय जैन श्वेताम्बर
मूर्तिपूजक श्रीसंघ के प्रतिनिधि,
झवेरीवाड, अहमदाबाद-१

"पत्र जा. सं. ७९३, अहमदाबाद
श्री महेन्द्रभाई साकरचंद शाह
बंगला नं. १/१, केवडिया कॉलोनी,
भरुच-३९३१५१

वि. आपका दि. ८-४-९५ का पत्र प्राप्त हुआ है । उसके विषय में लिखना है कि आरती/मंगलदीपक का द्रव्य भंडार फंड में ही माना जाना चाहिए । पुजारियों को उस पर किसी प्रकार का अधिकार सेठ आणंदजी कल्याणजी पेढ़ी के संचालन की शाखा पेढ़ियों में नहीं दिया गया है यह विदित हो ।

- लि. जनरल मेनेजर"

उपरोक्त पत्र से फलित होता है कि सेठ श्री आणंदजी कल्याणजी की पेढ़ी, अहमदाबाद के हस्तक संपूर्ण भारत के जितने भी तीर्थ तथा जिनमंदिरों का प्रबंध है, उनमें आरती/मंगल दीपक का द्रव्य पुजारियों को न देकर भंडार (देवद्रव्य के) खाते में जमा कर लिया जाता है । उसी प्रकार भारत में शंखेश्वरजी तीर्थ महाप्रसिद्ध तीर्थ है । इस तीर्थ की यात्रा करने हेतु भारतभर से प्रतिवर्ष लाखों यात्री आते हैं । इस तीर्थ में भी आरती, मंगल दीपक के पैसे पुजारियों को न देकर भंडार (देवद्रव्य के) खाते में जमा कर लिया जाता है ।

शंखेश्वरजी की पेढ़ी की ओर से प्राप्त पत्र की अक्षरशः प्रतिलिपि यहाँ प्रस्तुत है ।

"पत्र जा. सं. १८५/१५/९५
प्रति श्री महेन्द्रभाई साकरचंद शाह
बंगला नं. १/१ केवडिया कॉलोनी,
जि. भरुच-३९३१५१

सेठ जीवणदास गोडीदास
शंखेश्वर पार्श्वनाथ
जैन देरासर ट्रस्ट
वाया-हारीज, मु. शंखेश्वर,
जि. महेसाणा ।
तारीख : २२-५-९५

श्रीमानजी,

जय जिनेन्द्र के साथ लिखना है कि आपका दि. १७-५-९५ का पत्र प्राप्त हुआ है । जिसमें आरती-मंगल दीपक के द्रव्य के विषय में पूछा गया था । उपरोक्त आरती/मंगल दीपक का द्रव्य भंडार में जाता है, यहाँ पुजारी को नहीं दिया ज़ाता है, जो विदित हो । काम सेवा लिखें ।

- लि. जनरल मेनेजर
कनुभाई के जय जिनेन्द्र"

सब से विशाल कार्यव्यवस्था का संचालन करनेवाली तीर्थ की पेढ़ियों में आरती/मंगल दीपक की आय के विषय में शास्त्रीय प्रथा का पालन होता है, वह आनंद का एवं अनुमोदनीय विषय है । भारत एवं भारत के बाहर के सभी जिनालयों के संचालक इस आदर्श को ध्यान में रखकर शास्त्रीय हितकर मार्ग का अनुसरण करें यही अभिलाषा है ।

❖ ☞ ❖

परिशिष्ट-५ आपके प्रश्न-शास्त्रीय उत्तर

शंका-१ : प्रभु की आरती, मंगलदीप में श्रावक जो द्रव्य-रुपया वगैरह पधराते हैं, उस पर किसका अधिकार ? पुजारी का या देवद्रव्य भंडार खाते का ?

समाधान-१ : प्रभु की आरती, मंगलदीप में जो भी द्रव्य-धनादि आता है, वह प्रभु को ही चढ़ाया जाता है । अतः देवद्रव्य-भंडार खाते में ही जमा करना चाहिए । उस पर पुजारी का वास्तव में हक नहीं होता । कहीं-कहीं पुजारियों को देने की प्रवृत्ति चलती है, पर वह शास्त्रीय नहीं है । ऐसे स्थानों पर पुजारी वर्ग को अन्य प्रकार से संतुष्ट कर, उनकी व्यवस्था कर आरती-मंगलदीप की रकम को देवद्रव्य में जमा करने की शास्त्रीय व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना जरूरी है । श्वेतांबरों की शीर्षस्थ आनंदजी कल्याणजी पेढ़ी एवं श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ की पेढ़ी के अंतर्गत जितने भी तीर्थों की व्यवस्था है, वहाँ हर जगह आरती-मंगलदीप के द्रव्य की आय देवद्रव्य में ही जमा की जाती है ।

शंका-२ : भगवान के आगे अष्टमंगल का आलेखन करना चाहिए या अष्टमंगल की पाटली (पट्ट) की पूजा करनी चाहिए ? अष्टमंगल का विधान कहाँ प्राप्त होता है ?

समाधान-२ : भगवान के आगे अष्टमंगल करने की विधि जंबूद्वीप प्रज्ञप्ति नामक आगम ग्रंथ में लिखी है । प्रभु के आगे सुवर्ण रौप्यादि रत्नों के तंदुल (अक्षत) से या शुद्ध अखंड अक्षतों (चावल) से अष्टमंगल की आकृतियाँ बनानी चाहिए । ये आकार मंगलकारी होते हैं । अष्टमंगल के पट्ट का पूजन नहीं होता । जिन्हें अष्टमंगल की आकृतियाँ बनानी नहीं आती, ऐसे व्यक्तियों द्वारा पट्ट बनाकर चढ़ाने की प्रवृत्ति शुरू हुई है, ऐसा प्रतीत होता है । शांतिस्नात्रादि विशिष्ट विधानों में ही अलग से अष्टमंगल पट्ट के पूजन की विधि होती है ।

शंका-३ : विहारादि स्थलों में या अन्य कहीं भी नया उपाश्रय बनवाना हो या पुराने उपाश्रय का जिर्णोद्धार कराना हो, तो साधु-साध्वी वैयावच्च खाते की रकम में से खर्च कर सकते हैं या नहीं ?

समाधान-३ : साधु-साध्वी वैयावच्च खाते की रकम में से उपाश्रय नहीं बनवा सकते । साधु-साध्वी के निमित्त बने हुए उपाश्रयों में साधु-साध्वीजी नहीं ठहर सकते एवं उसमें श्रावक-श्राविकाएँ भी धर्मक्रिया नहीं कर सकते । जो उपाश्रय श्रावक-श्राविका हेतु ही बने हों, उसमें ही श्रावक-श्राविका धर्मक्रिया कर सकते हैं और श्रावक-श्राविका हेतु निर्मित उपाश्रयों में साधु-साध्वी ठहर सकते हैं । अतः श्रावक-श्राविका के निमित्त बनने वाले उपाश्रयों में साधु-साध्वी वैयावच्च खाते का द्रव्य इस्तेमाल नहीं किया जा

सकता । यदि ऐसे इस्तेमाल किया जाए तो श्रावक-श्राविकाओं को साधु-साध्वी वैयावच्च खाते के द्रव्य के उपभोग का दोष लगता है । विहारादि स्थानों में बनने वाले उपाश्रयों में भी साधु-साध्वी वैयावच्च खाते का द्रव्य इस्तेमाल नहीं हो सकता; क्योंकि, उन उपाश्रयों में भी वंदनादि हेतु श्रावक आते हैं एवं साधु-साध्वियों के साथ विहार में मुमुक्षु आदि भी ठहरते हैं, उनके द्वारा छोटी-बड़ी धर्मक्रिया भी होती रहती है, अतः उन्हें साधु-साध्वी वैयावच्च खाते के द्रव्योपभोग का दोष लगता है ।

शास्त्रीय मर्यादानुसार सामान्यतः ऊपर के क्षेत्र का द्रव्य नीचे के क्षेत्र में नहीं जाता। 'साधु-साध्वी खाता' ऊपर का क्षेत्र है, जबकि उपाश्रय श्रावक-श्राविका खाते में गिना जाता है और श्रावक-श्राविका खाता नीचे का क्षेत्र है । इस दृष्टि से विचार करने पर भी साधु-साध्वी वैयावच्च खाते के पैसों से उपाश्रय यदि बनाया जाए तो उसमें 'ऊपर के साधु-साध्वी क्षेत्र के' पैसों को 'नीचे के श्रावक-श्राविका क्षेत्र में' इस्तेमाल करने का दोष लगता है। अतः साधु-साध्वी वैयावच्च के पैसों से कोई भी उपाश्रय नहीं बनवा सकते । उपाश्रय का जिर्णोद्धार करना हो तो भी उसमें साधु-साध्वी वैयावच्च खाते की रकम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर नूतन उपाश्रय निर्माण में तो वह इस्तेमाल न ही किया जा सकता, यह समझ सकते हैं ।

उपाश्रय का जिर्णोद्धार करना हो तो किस द्रव्य में से (किस खाते की आय से) करना इसकी समझ देते हुए 'श्री संवेग रंगशाला' नामक ग्रंथ में लिखा है कि - **"यदि खुद समर्थ हो तो स्वयं, समर्थ न हो तो उपदेश देकर अन्यों द्वारा एवं इन दोनों के अभाव में 'साधारण द्रव्य से' भी पौषधशाला (उपाश्रय) का उद्धार कराएँ (२८८४) इस विधि से पौषधशाला का उद्धार करवाने वाला वह धन्य पुरुष निश्चय से अन्यों के लिए सत्प्रवृत्ति का कारण बनता है (२८८५) ।"**

इस तरह अंतिम उपाय रूप साधारण द्रव्य में से उपाश्रय का जिर्णोद्धार कराना कहा, पर साधु-साध्वी वैयावच्च द्रव्य में से करना न कहा ।

कितने ही स्थानों में गुरुपूजन में प्राप्त द्रव्य एवं/या गुरु को कंबलादि बहोराने के चढ़ावों आदि की आय, जो शास्त्रानुसार जिनमंदिर जिर्णोद्धार या नवनिर्माण में ही इस्तेमाल की जा सकती है; उसके बदले वैयावच्च खाते में ले जाकर उसमें से उपाश्रय निर्माणादि में दी जाने की प्रवृत्ति भी हो रही है, यह बिल्कुल गलत है । ऐसे द्रव्य से निर्मित उपाश्रय में साधु-साध्वी या श्रावक-श्राविका, कोई भी ठहर नहीं सकता । अतः इस बारे में भी पूरी जाँच-पड़ताल कर लेनी हितावह है ।

शंका-४ : एकबार मंदिर में चढ़ी बादामें फिर से चढ़ा सकते हैं क्या ? मंदिर में चढी बादामों को बाजार में बेचने पर अल्प मूल्य आता है, उससे बेहतर है कि ज्यादा कीमत देकर हम खरीद लें, एवं घर में उपयोग न करते हुए मंदिर में फिर से चढाएँ । ऐसा करने में क्या कोई दोष लगता है ?

समाधान-४ : मंदिर में चढी बादामें, फल, नैवेद्य, श्रीफल एवं चावल आदि चीजें निर्माल्य गिने जाते हैं । एकबार जो चीजें निर्माल्य बन गई वे फिर से चढ़ाई नहीं जाती । भगवान की भक्ति में नित्यप्रति ताजा एवं नए फल-नैवेद्य, श्रीफल वगैरह ही चढ़ाने होते हैं । अतः एक बार चढ़ी ऐसी चीजें फिर से चढ़ाने से निर्माल्य चढ़ाने का दोष लगता है ।

प्रभु के सामने चढाए फल-नैवेद्यादि तमाम चीजें अजैनों को बेचकर, वह द्रव्य देवद्रव्य खाते में जमा करना चाहिए ।

शंका-५ : हम हर रोज अष्टप्रकारी पूजा करते हैं, अष्टप्रकारी पूजा की सभी सामग्री भी हम हमारी ले जाते हैं, सिर्फ केसर घिसने एवं प्रक्षाल हेतु पानी तथा पत्थर (ओरसीया) मंदिरजी का इस्तेमाल करते हैं, ये दो चीजें जो इस्तेमाल करते हैं, उसका नकरा मंदिरजी में देते हैं, तो क्या हमें कोई दोष लगता है ?

समाधान-५ : आप पूरा नकरा भर देते हो तो आपको 'मंदिरजी की चीजें इस्तेमाल करने का' दोष नहीं लगता है ।

शंका-६ : विनाश आदि खास कारण बिना भी ज्ञानपूजन का द्रव्य देवद्रव्य की पेटी में डाल सकते हैं क्या ? ज्ञानपूजन एवं गुरुपूजन : इन दोनों का द्रव्य रखने हेतु एक ही पेटी रख सकते हैं क्या ? जो द्रव्य जिस खाते का हो उसी खाते में जमा होना चाहिए न ? जो ऐसा न करे तो व्यवस्थापकों को दोष लगता है ?

समाधान-६ : ज्ञान-पुस्तक पर पूजा हेतु चढ़ाया द्रव्य ज्ञानखाते में जाता है एवं गुरु भगवंतों की नवांगी/एकांगी आदि पूजा का द्रव्य गुरुपूजन-गुरुद्रव्य-देवद्रव्य (जिनमंदिर जीर्णोद्धार-नवनिर्माण) में जाता है । यह शास्त्रीय मर्यादा है । जिस खाते का द्रव्य हो वह उसी खाते में ले जाना चाहिए । यह मार्ग है । अतः दोनों ही खातों के लिए अलग-अलग कायमी पेटियाँ रखनी चाहिए ।

उसमें भी गुरुपूजन की पेटी पर 'देवद्रव्य' (जिनमंदिर जीर्णोद्धार-नवनिर्माण) ऐसा स्पष्ट अक्षरों में लिख देना चाहिए । व्यवस्थापक गण विशेष ध्यान रख, जो द्रव्य जिस खाते का हो उसी खाते में ले जाएँ ।

कभीकभार गुरुपूजन करते समय साथ में ही ज्ञानपूजन भी किया जाता है एवं भूल से दोनों द्रव्य इकट्ठा भी हो जाते हैं, उस समय 'ऊपर के खाते का द्रव्य भूल से भी नीचे के खाते में चला न जाय' इस शास्त्रीय मर्यादा के पालन हेतु वह इकट्ठा द्रव्य गुरुपूजन-देवद्रव्य (जिनमंदिर जीर्णोद्धार-नवनिर्माण) की पेटी में डाल देने का कहा जाता है, वह उपयुक्त है । इससे किसी को दोष नहीं लगता एवं दोष से बचाया जाता है । फिर भी कोई कारण बिना ज्ञानद्रव्य-देवद्रव्य में ले जाना उचित नहीं है । ऐसा करने से व्यवस्थापकों को जरूर दोष लगता है ।

शंका-७ : जिस मंदिरजी की व्यवस्था के बारे में हमें शंका हो, वहाँ अक्षत-फल-नैवेद्य पूजा कर सकते हैं या नहीं ? भंडार-गोलख में पैसे रख सकते हैं या नहीं ? हर किसी की उतनी शक्ति नहीं होती कि - अक्षत-फल-नैवेद्य जितनी ही राशि देवद्रव्य में भर दें एवं दोष से बचें । दोष से बचने का विकल्प बताया है वह तो सिर्फ शक्तिसंपन्न वर्ग को ही माफिक आ सकेगा कि - रोज की पूजा जितनी राशि देवद्रव्य में भर दे । ऐसे स्थानों पर पूजा-आरती जैसी बोलियाँ बोल सकते हैं क्या ?

समाधान-७ : पहले क्रम में जिस मंदिरजी में पूजा करनी हो वहाँ की देवद्रव्य-व्यवस्था की पक्के तौर पर पूरी जानकारी करलें । जहाँ भी शंका हो वहाँ दोष का गणित गिनना ही होगा । फिर भी अन्य सुविधा न हो एवं पूजा करनी ही पड़े तो सामर्थ्यवान श्रावक को चाहिए कि जितनी राशि/फल-नैवेद्यादि की हो उतनी देवद्रव्य खाते में शुद्ध व्यवस्था वाले स्थान में जमा करवा दें । जिनकी इतनी शक्ति नहीं है, उनके लिए दोष लगे वैसी ऊंची क्रिया करना शास्त्र ने नहीं कहा है । उसे चाहिए कि अपनी शक्ति अनुसार पूजादि कर उस फल-नैवेद्यादि की रकम ऊपर अनुसार शुद्ध व्यवस्था वाले स्थान में जमा करवाएँ । यह भी शक्य न हो तो उनके लिए पूजा के अन्य-अन्य प्रकार - 'फूलों को गूँथना, केसर घिस देना, अंगरचना में सहायक बनना' आदि अनेक मार्ग सुविहित आचार्यों ने धर्मग्रंथों में स्पष्ट दिखाए हैं । अतः शक्ति के अनुसार भूमिका का निर्वहन करने से उपरोक्त कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं रहता ।

शंका-८ : आजकल जिस केसर/चंदन से भगवान की पूजा होती है, वही केसर/चंदन ललाट पर तिलक करने हेतु कटोरी में रखा जाता है । क्या यह अनुचित नहीं ? और यदि यह अनुचित है, तो परद्रव्य से पूजा करनेवाले अल्प शक्तिवाले श्रावक को ललाट पर किस केसर का तिलक करना चाहिए ?

समाधान-८ : प्रभु पूजा हेतु एवं श्रावक को तिलक करने हेतु केसर/चंदन अलग अलग ही होने चाहिए । फिर भी यदि केसर/चंदन वैयक्तिक या साधारण द्रव्य के हों तो, उन्हें लाते/रखते समय 'इसमें से श्रावक को तिलक करने हेतु भी काम में लिया जाएगा ।' ऐसी बुद्धि-भावना हो, तो कोई हरकत नहीं है । सिर्फ जिनपूजा का ही उद्देश्य हो, तो दोष लगता है । साधारण या जिनमंदिर साधारण में से व्यवस्था की गई हो, तो व्यवस्था को स्वीकार करनेवाली पुण्यात्मा स्वयं उतने द्रव्य की मालिक बन जाती है।

क्योंकि देनेवाले ने सहर्ष-इच्छापूर्वक वस्तु दी है और लेनेवाले ने उनकी भावना का आदर करनेपूर्वक उसे ली है । अतः परद्रव्य संबंधी प्रश्न नहीं रहता । देनेवाले की इच्छा न हो और लेनेवाला ले दबाता हो, वहीं परद्रव्य संबंधी दोष लगता है । जहाँ पूरी खबर न हो, वहाँ तिलक करने हेतु जरूरी द्रव्य देवद्रव्य में जमा करवा देना चाहिए ।

शंका-९ : फ्रुट (फल) मंदिरजी में चढ़ाने हेतु ही लिए हों तो घर में इस्तेमाल करने पर कोई दोष लगता है ?

समाधान-९ : फ्रुट (फल) खरीदते समय 'ये फ्रुट मंदिरजी में ही चढाऊंगा' ऐसा निश्चित विचार मन में हो तो उन्हें घर में इस्तेमाल करने पर दोष लगता है । पर सामान्य तौर पर घर एवं मंदिरजी : इन दोनों स्थान में इस्तेमाल करने हेतु इकट्ठे ही खरीदे हों, तो उसमें दोष नहीं लगता ।

शंका-१० : साधारण ट्रस्ट की सम्पत्ति, किसी भी प्रकार से बेचने की आवश्यकता न होने पर भी जैन समाज में वरीष्ठ स्थान-मान धरानेवाले व्यक्ति की खुशामद के लिए, उसकी वर्तमान बाजार-दर से कम में ही बेच दी जाए, तो क्या यह योग्य है ? क्या यह बिक्री संघहित के खिलाफ नहीं है ? क्या ट्रस्टियों द्वारा सिर्फ अपने व्यक्तिगत संबंध को लक्ष्य में रखकर, संघ हित को गौण कर किए गए विक्रय संबंधी ठहराव को केवल संघ में ही चुनौती दे सकते हैं ?

समाधान-१० : साधारण ट्रस्ट की सम्पत्ति, किसी भी प्रकार से बेचने की आवश्यकता न होने पर भी बाजार दर से कम कीमत में बेचने में ट्रस्टियों को धर्मादा-द्रव्य को नुकसान पहुँचाने का - नाश करने का पाप जरूर लगता है । फिर उसमें किसी भी श्रीमंत या सत्ताधीश की खुशामदी जैसे क्षुद्र तत्त्व सम्मिलित होते हों, तो यह पाप और भी चिकना बन जाता है ।

ऐसी बिक्री को संघहित के खिलाफ कह सकते हैं । व्यक्तिगत स्वार्थ को आगे कर किए गए ऐसे संघ हित विरुद्ध व्यवहारों को जरूर सुयोग्य स्थानों पर चुनौती दी जा सकती है । शक्तिसंपन्न विवेकी श्रावकों को चाहिए कि ऐसी चुनौती दें । यदि शक्तिसंपन्न श्रावक सुयोग्य रीति से विवेकपूर्वक चुनौती न दें तो उन्हें भी उपेक्षा का पाप लगता है।

शंका-११ : उपाश्रय-पौषधशाला में होस्पिटल एवं प्रसूतिगृह बना सकते हैं क्या ?

समाधान-११ : उपाश्रय-पौषधशाला केवल श्रीसंघ की धार्मिक क्रियाओं हेतु निर्मित अबाधित स्थान हैं । उनमें होस्पिटल या प्रसूतिगृह जैसा कोई भी सामाजिक कृत्य करने-कराने का विचार भी नहीं कर सकते । ऐसा करने से महापाप लगता है।

शंका-१२ : उपाश्रय को होस्पिटल एवं प्रसूतिगृह बनाने हेतु बेचा जा सकता है क्या ?

समाधान-१२ : संघ हित को ध्यान में रखकर अधिक जगहों को बेचने का प्रसंग भी आए तो सुयोग्य रीति से एवं सुयोग्य कार्य हेतु ही बेचकर पैसे खड़े कर सकते हैं । एक बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि - ऐसे विक्रय से जैन धर्म की यतना प्रधान जीवनशैली को कोई भी नुकसान पहुँचने न पाए । अतः उपाश्रय का स्थान होस्पिटल एवं प्रसूतिगृह निर्माण हेतु बेचने की बात बिल्कुल उचित नहीं लगती ।

शंका-१३ : कुमारपाल की आरती में कुमारपाल, मंत्री, छड़ीदार, सेनापति आदि बनने के रुपयों में बोले गए चढ़ावों की आय कौनसे खाते में जाती है ? उसमें से आरती-प्रसंग पर किए जाते ड्रेस, मेक-अप का खर्चा निकाल सकते हैं ?

समाधान-१३ : कुमारपाल महाराजा ने परमात्मा की आरती उतारी थी, वैसी आरती उतारने हेतु पहले स्वयं का जीवन कुमारपाल जैसा बनाना जरूरी है । आज जिस तरह मिट्टी के दीए आदि लेकर आरती उतारने का चलन चल पड़ा है, वह योग्य प्रतीत नहीं

होता । श्रावक को परमात्मा की आरती उतारनी होती है, अतः वह मुकुट, हार आदि पहने वह योग्य है, पर किसी को व्यक्तिगत कुमारपाल आदि बनाने में तो उन महापुरुषों का अवमूल्यन होने की पूरी संभावना होती है । अंजनशलाका जैसे प्रसंगों में तो विशिष्ट विधिवाद रूप मांत्रिक संस्कारपूर्वक, पद के बहुमानपूर्वक क्रियाएँ की जाती है । वह एक विशिष्ट आचार है । उसको आलंबन कर ऐसे अनुष्ठान प्रचलित करने में महान क्रिया की लघुता करने का दोष भी पैदा होगा । अतः इस प्रथा को बढ़ावा देना उचित नहीं लगता । फिर भी किसी स्थान में इस तरह आरती उतारी ही गई हो, तो उस समय बुलवाई गई हर एक चढ़ावो की राशि जिनपूजा संबंधी होने से देवद्रव्य खाते में ही जमा करनी चाहिए । उस राशि में से ड्रेस, मेक-अप आदि कोई भी खर्चा नहीं निकाल सकते । क्योंकि पूजा-आरती यह श्रावक का कर्त्तव्य है और श्रावक को जो चाहिए उसका खर्चा खुद ही करे ।

शंका-१४ : अक्षय तृतीया के दिन साधुभगवंत को गन्ने का रस बहोराने, श्रेयांसकुमार बनकर पारणा कराने हेतु बुलवाए गए चढ़ावे की राशि गुरुद्रव्य-देवद्रव्य, वैयावच्च द्रव्य या साधारण खाते में जाएगी ? साधर्मिकभक्ति में यह द्रव्य इस्तेमाल कर सकते हैं ?

समाधान-१४ : अक्षय तृतीया के दिन वर्षीतप का पारणा कर रहे महात्माओं को गौचरी जाने हेतु अलग से कोई विधि नहीं बताई है । दशवैकालिक आदि साध्वाचार दर्शक ग्रंथों में बताए अनुसार ही निर्दोष रूप से गौचरी प्राप्त करनी होती है । कोई एक व्यक्ति चढ़ावा आदि लेकर बहोरावे तो इस मर्यादा का पालन नहीं होता। दूसरी बात - श्रेयांसकुमार जैसे तद्भव मोक्षगामी महापुरुषों का अभिनय करने से उन महान पात्रों की लघुता होती है । इसलिए भी ऐसा नहीं किया जा सकता । फिर भी कहीं अज्ञानादि वश ऐसा चढ़ावा बुलवाया गया हो तो, वह चढ़ावा साधु जीवन संबंधित होने से उसकी तमाम राशि देवद्रव्य खाते में जमा कर उसे जिनालय के जिर्णोद्धार आदि में ही इस्तेमाल करनी चाहिए ।

शंका-१५ : जैन संघों में छोटे-मोटे कई प्रसंगों पर, महापूजन के अवसर पर, प्रतिष्ठा के समय जीवदया की टीप (चंदा) करते हैं । कई बार टीप लिखवानेवाले भरपाही देरी से करते हैं तो दोष किसे लगे ?

समाधान-१५ : जैन संघों में किसी भी प्रसंग पर हुई जीवदया की टीप के पैसे तुरंत ही भर देने चाहिए । अन्यथा लिखवाने वालों को अबोल जीवों की दया में अंतराय करने का पाप लगता है । दूसरी बात : संचालक या ट्रस्टीवर्ग टीप के आँकड़ों के अनुसार सभी आय का बँटवारा कर भेज देवे, पर वे जीवदया के पैसे ही यदि न आए हों तो उसका हवाला (जमा-उधार एन्ट्री) अन्य-अन्य देवद्रव्य या साधारण जैसे खातों में डाल दे, यह भी बिल्कुल अयोग्य एवं देवद्रव्यादि के भक्षण के पाप की ओर बढ़ाने वाला कार्य है । तीसरी बात : जितने दिन भरपाही में देरी होती है, उतने दिनों का धर्मादा (चैरीटी) द्रव्य के ब्याज का भी घाटा हो जाता है । जो चलाया नहीं जा सकता । अतः टीप में लिखवानेवाले को चाहिए कि पैसे साथ में ही लाकर तुरंत भर दें और संचालक-ट्रस्टी वर्ग भी जाँच-तपास कर सुयोग्य स्थान पर उसे फौरन भेज दें । यही न्याय बोली-उच्छामणी-चढ़ावा आदि में भी लागू होता है ।

शंका-१६ : जीवदया की राशि बहियों में जमा होती रहे । बैंकों में जमा होते-होते लाखों में आँकड़ा बढ़ता रहे । फिर भी उसका उपयोग न हो तो क्या यह उचित है ? उसके ब्याज के बारे में भी स्पष्टता करें ।

समाधान-१६ : जीवदया की राशि बहियों में जमा होती ही रहे और बैंकों में रखकर आँकड़ा बढ़ाने में ही जिन ट्रस्टी या अग्रणियों को रुचि है, वे भीषण पाप का उपार्जन कर रहे हैं, ऐसा शास्त्राधार से कहना ही होगा । बैंकों में रखने से जो राशि जीवदया हेतु आई, उसीका उपयोग जीवहिंसा आदि के कार्यों में बहुतायत होता रहता है । जिनाज्ञा प्रेमी, आत्मकल्याण के इच्छुक संचालकों को स्वयं जाँच-तपास कर सुयोग्य तौर-तरीके से सुयोग्य पिंजरापोल आदि स्थानों में वह राशि लगा देनी चाहिए । जीवदया की राशि शेष (बैलेन्स) नहीं रख सकते । ऐसा करने से जीवों को दाना-पानी-रक्षा आदि की अंतराय लगता है । परिणामतः अल्पआयुष्य, इन्द्रिय हानि, गंभीर रोग, दुर्गति एवं यावत् बोधिदुर्लभता (जैन धर्म न मिलना) ऐसे फल भुगतने पड़ते हैं । ऐसा न हो इसके लिए सभी संचालक इस बारे में चौकन्ने रहें यह जरुरी है ।

जीवदया की राशि अशक्य अपरिहार्य रूप कहीं-कहीं बैंकों आदि में रखनी पड़ती हो तो उसका जितना भी ब्याज (सूद) आवे वह पूरा का पूरा बराबर गिनकर जीवदया खाते में ही जमा करना चाहिए । वह द्रव्य देवद्रव्य या साधारण आदि में मिल न जाए, उसी तरह देवद्रव्य या साधारण आदि द्रव्य भी जीवदया द्रव्य में मिल न जाय इस शास्त्रीय

मर्यादा का सावधानी पूर्वक पालन होना ही चाहिए । दूसरी बात : तुरंत इस्तेमाल करने में बड़ा लाभ - 'कम राशि में ज्यादा लाभ' होता है । बरसों के बीतने पर बढ़ी हुई राशि में भी महँगाई वृद्धि के कारण कार्य कम ही होता है । यह कईयों का अनुभव है ।

शंका-१७ : जीवदया के फंड (चंदा) में से कैन्सर या अन्य किसी प्राणघातक बिमारी से पीड़ित मानव को जीवनदान प्राप्त कराने हेतु दान दे सकते हैं या नहीं ? मनुष्य भी तो पंचेन्द्रिय जीव है न ?

समाधान-१७ : जीवदया के चंदे में 'जीव' शब्द की जो व्याख्या की गई है, उसके मुताबिक 'जीव' में मनुष्य के अलावा अन्य सभी त्रस (चलमान) पंचेन्द्रिय अबोल (गूंगे) पशु-पक्षियों का समावेश किया गया है । अतः इस चंदे या फंड में से किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार की मदद नहीं की जा सकती है ।

मनुष्य तो इन जीवों से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है, अपना कार्य करने को ! बेचारे ये पशु-पंखी रूप जीव तो हर प्रकार से निःसहाय एवं अबोल होते हैं । अतः उनकी दया हेतु यह चंदा (फंड) किया जाता है । मनुष्यों की सहायता हेतु 'अनुकंपा' का अलग चंदा (फंड) कर सकते हैं । इस चंदे में से जरुरत के अनुसार विवेकपूर्वक कैन्सर-पीड़ित मरीज को मदद या ऑपरेशन आदि में सहायता दी जा सकती है । परंतु इस चंदे में से भी (अनुकंपा का चंदा या फंड) अस्पतालों में या उसके विभागों में दान देना जायज नहीं है । ऐसे अस्पतालों का निर्माण भी इसमें से नहीं कराया जा सकता । यह जैनशासन के परमार्थ ज्ञाता महापुरुषों की मर्यादा है ।

अनुकंपा के चंदे में से किसी संयोग विशेष में जरुरत पड़ने पर जीवदया हेतु राशि खर्च कर सकते हैं, परंतु जीवदया का चंदा तो अत्यंत निम्न, लाचार कक्षा के जीवों की दया हेतु अंकित खाता होने से, इसमें से कोई भी राशि, किसी भी संयोग में अनुकंपा (मान-राहत) में इस्तेमाल हो ही नहीं सकती । यह जैनशास्त्रोक्त कानून है, अतः कल्याणकामी हरएक आत्मा को चाहिए कि इस श्रेयस्कर मर्यादा का सावधानी से पालन करे ।

शंका-१८ : जीवदया की राशि का सदुपयोग नहीं होता हो और अनुकंपा की राशि अतीव आवश्यक हो तो जीवदया का चंदा करना छोड़कर अनुकंपाका ही चंदा करने हेतु प्रोत्साहन देना क्या जरुरी नहीं लगता ?

समाधान - १८ : जीवदया की राशि का सदुपयोग यदि नहीं होता हो, तो प्रेरणा कर, उपदेश देकर, प्रयत्न कर, समयादि का समर्पण कर उसका सदुपयोग हो, वैसा करना चाहिए ।

अनुकंपा में काफी राशि की आवश्यकता हो तो भी उसे इकट्ठी करने के लिए जीवदया के चंदे को बंद करवाना उचित नहीं है ।

जिनमंदिर में महापूजन - प्रतिष्ठा आदि अवसर पर महापुरुषों ने जीवदया का चंदा करने की छूट दी है, अनुकंपा का चंदा करने की नहीं । यह बात इस संदर्भ में ध्यान रखनी चाहिए ।

शंका-१९ : प्रतिष्ठा आदि के अवसर पर फले-चूंदड़ी या झाँपा चूंदड़ी की बोली होती है, उस खाते में वृद्धि हो तो उस राशि में से अकाल राहत या भूकंप राहत के तौर पर मनुष्यों से काम करवाकर उसके भुगतान रूप खर्च कर सकते हैं क्या ?

समाधान-१९ : यह राशि सातक्षेत्रों के अलावा अनुकंपा-जीवदया-मानवराहत अकालराहत-भूकंपराहत आदि किसी भी मानवीय या पशु संबंधित कार्य में इस्तेमाल की जा सकती है । पर इसका मतलब यह नहीं है कि मनुष्यों आदि से काम करवाकर उसके भुगतान रूप में इसे खर्च किया जाए । बिना कोई काम करवाए, केवल उनके ऊपर आ पड़ी विपदा को सर्वतः या अल्पतः दूर करने की निःस्वार्थ भावना से ही यह कार्य होना चाहिए ।

शंका-२० : देवद्रव्य की राशि जिनमंदिर के जिर्णोद्धार में ही लगा सकते हैं या नूतन जिनमंदिर के निर्माण में भी लगा सकते हैं ? आजकल नूतन जिनमंदिर अनेक स्थानों पर धड़ल्ले से बन रहे हैं । क्योंकि उसमें ज्यादा रुचि है । नाम भी होता है । पुराने मंदिर-तीर्थ ज्यादा जीर्ण बनते जा रहे हैं । इस बारे में सुयोग्य मार्गदर्शन स्वागतयोग्य होगा ।

समाधान-२० : जैनशासन की मूलभूत विधि अनुसार देवद्रव्य का तो निधिभंडार ही करना होता था । श्रावक के 'देवद्रव्यवृद्धि' कर्तव्य के अमलीकरण से उसमें प्रतिदिन कुछ-न-कुछ पधराकर देवद्रव्य को प्रवर्द्धमान ही करना होता था । इसके अलावा उस निधि के प्रतिदिन दर्शन करने की विधि भी मिलती है । उस समय सुश्रावक भावना भाते हैं कि - 'आज तो हम अपने स्वद्रव्य का उपयोग कर परमात्मा के जिनबिंब-मंदिर निर्माण-जीर्णोद्धार आदि का पूरा लाभ ले सकते हैं, लेकिन कभी

संयोगवश, दुर्भाग्यवश हम में से कोई भी समर्थ व्यक्ति हाजिर न हो, तब भी जगत के कल्याण में महान आलंबनरूप इन जिनबिंब एवं जिनमंदिरों का प्रभाव यथावत दीप्तिमान बना रहे, इस हेतु इस निधि का उपयोग हो ।

आजकल देश-काल की परिस्थिति, सरकार की अनिश्चित धारा-धोरणनीति आदि अनेक कारणों से निधि संवर्धन/संरक्षण की मूलभूत शास्त्रीय विधि का पालन करना और भी संदेहास्पद हो गया है । पूरा निधि ही सरकार के कब्जे हो जाए, ऐसी परिस्थिति का तेजी से निर्माण हो रहा है । ऐसे वातावरण में देवद्रव्य को सुरक्षित नहीं रखकर, उसका शास्त्र-मर्यादानुसार सुयोग्य क्षेत्र में इस्तेमाल हो जाए, यह जरुरी बन चुका है । अतः सबसे पहले जिन-जिन तीर्थों में जिनमंदिर जीर्ण बन चुके हैं, वहाँ स्वयं खोजकर सुयोग्य संचालन व्यवस्था निर्मित कर, देवद्रव्य लगा देना जरुरी है । वर्तमान काल में देवद्रव्य के इस्तेमाल का यह उत्तमोत्तम मार्ग है ।

इसके अलावा कहीं कभी किसी क्षेत्र विशेष में नूतन जिनालय की जरुरत खडी हो जाए, स्थानिय संघ सशक्त न हो एवं अन्य स्रोतों से भी पूरी राशि प्राप्त हो सके, ऐसी परिस्थिति न हो, तब देवद्रव्य में से भी उस नूतन जिनालय का निर्माण लाभ जरुर लिया जा सकता है । इस हेतु वर्तमान परिस्थिति का ख्याल कर गीतार्थ आचार्य भगवंतों ने सम्मति प्रदान की हुई है। फिरभी इस तरह से देवद्रव्य की राशि लगाते समय एक बात खास ध्यान में रखनी चाहिए कि उसी जिनालय के निर्माण में जितनी भी देवद्रव्य की राशि लगी हो, उस हेतु वहाँ पर... "यह जिनालय... संघ के देवद्रव्य की आय (आवक-ऊपज) में से निर्मित किया गया है ।' इस आशय का स्पष्ट लेख लिखना जरुरी है । क्योंकि-केवल संघ का नाम उस पर नहीं लिख सकते । केवल स्वयं के नाम की खातिर ही नूतन जिनालय में संघ के देवद्रव्य की आय में से राशि लगाने की इच्छा अधमकोटि की इच्छा है । ऐसों को देवद्रव्य का भोग लगाकर स्वयं का नाम कमाने का भयंकर पाप लगता ही है । अतः ऐसी रीति आजमाना किसी के लिए हितावह नहीं है । देवद्रव्य के इस्तेमाल में किसी भी स्वार्थकेन्द्रित पौद्गलिक लाभ को पाने की लालसा रखे बिना केवल देवद्रव्य की सुरक्षा एवं सदुपयोग का विचार ही सर्वोपरि होना चाहिए । अतःएव धर्मप्रेमी सुश्रावकों को चाहिए कि - जिनालय के जिर्णोद्धार-नूतननिर्माणादि कार्यों में आदि से अंत तक स्वयं निगरानी कर अपने कीमती समय का

भोग दे कर देवद्रव्य का सुयोग्य इस्तेमाल हो और दुरुपयोग-नाश तो बिल्कुल न हो इस हेतु पूरा ध्यान रखना चाहिए ।

निर्माण कार्य-शिल्प-घनफीट आदि गणित एवं तत्संबंधी व्यवहारों का अनुभव न होने से कई संघों एवं व्यक्तियों के हाथों लाखों-करोड़ों का देवद्रव्य व्यर्थ नष्ट हो जाता है । शिल्पी, सोमपुरा एवं पाषाण उद्योग के मांधाता इस क्षेत्र के अज्ञानी लोगों के अज्ञान का पूरा लाभ उठा लेते हैं, इसलिए इस कार्य में काफी ध्यान रख व्यवहार करना हितावह है ।

शंका-२१ : गुरुपूजन की आय (आमदनी) पर किसका अधिकार ?

समाधान-२१ : गुरु भगवंत कंचन (सोना-रूपा आदि धन) के त्यागी होने से पूजन की आय या अन्य किसी भी द्रव्य की आय के वे अधिकारी होते ही नहीं हैं । गुरुपूजन का द्रव्य शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार देवद्रव्य-जीर्णोद्धार आदि खाते में जाता है, अतः उसी खाते का ही उस पर अधिकार है । इस खाते की व्यवस्था-संचालन संघ करता है, अतः संघ के कब्जे में ही यह द्रव्य रखा जाए । साधु भगवंतों के किसी भी कार्य में इस द्रव्य का उपयोग नहीं हो सकता ।

शंका-२२ : पर्युषण में हमारे संघ में सर्व साधारण का चंदा किया जाता है । उसमें से मंदिरजी के केसर-चंदन आदि का व पुजारी की तनखा-वेतन आदि का खर्चा किया जाता है । घट जाने पर देवद्रव्य में से लिया जाता है । तो क्या यह योग्य है ?

समाधान-२२ : देवद्रव्य में से केसर-चंदन या पुजारी की तनखा आदि का खर्चा नहीं करना चाहिए । क्योंकि ये सभी कर्तव्य श्रावक को स्वयं ही करने के हैं । स्वयं के कर्तव्य करने हेतु देवद्रव्य की ओर नजर करना महापाप का कार्य है । अतः थोड़ी ज्यादा उदारता बरतकर ये सभी लाभ श्रावकों को स्वयं ही ले लेने चाहिए । इसके अलावा आज तक अज्ञानवश जितना भी पाप हुआ हो, उसका गीतार्थ गुरु भगवंत के पास प्रायश्चित्त कर संघ एवं संघ के सभ्यों को शुद्धि कर लेना ही आत्महितकर है ।

शंका-२३ : हमारे यहाँ संघ के सालाना हिसाब-किताब पेश नहीं किए जाते । सरकारी नियमों के अनुसार बहियों का ऑडिट करवाकर कागजात फाइल किए जाते हैं । सभ्यों की या संघ की सभा नहीं बुलाई जाती । आम आदमी को तो मंदिरजी में केसर घिसा तैयार मिल जाता है; अतः कोई बोलता नहीं । तो हमें क्या करना चाहिए ?

समाधान-२३ : संघ के ट्रस्टियों एवं अग्रणियों से मिलकर प्रेमभाव से उन्हें समझाना चाहिए । संघ को विश्वास में लेने के लाभ समझाए जा सकते हैं । फिर भी शास्त्रविरुद्ध संचालन, व्यवस्था जारी रखे और कायदाकीय क्षतियाँ हो तो विवेकपूर्वक उचित कार्यवाही की जा सकती है ।

शंका-२४ : संघ की आमदानी की एफ.डी. (बैंक में मुदती जमाराशि) हो, मंदिर में जरूरत होने पर भी इस्तेमाल न हो, बाहरगाँव भी भेजी न जाती हो, कईबार विवेकपूर्ण कहने पर भी कोई ध्यान न दिया जाता हो, तो क्या हम बोली हुई राशि (चढ़ावा आदि) अन्य सुयोग्य स्थान में भेज दें ? उसकी स्वीकृति को (रसीद) ट्रस्ट में जमा करवा दें ? मार्गदर्शन दें ।

समाधान-२४ : जिस स्थान में वहीवट (संचालन-व्यवस्था) शास्त्रानुसारी न हो, ऐसे स्थानों में बोलियाँ बोलना आदि किसी भी प्रकार का लाभ न लेते हुए जहाँ शास्त्रानुसारी व्यवस्था हो, वहीं ऐसा लाभ लेना चाहिए । फिर भी अज्ञानवश (पूर्व जानकारी के अभाव में) लाभ ले लिया हो, तो अग्रणियों को प्रेमपूर्वक समझाएँ । किसी भी तरह न समझे तो गीतार्थ गुरु भगवंत का मार्गदर्शन लेकर उचित रीति से, सुयोग्य स्थान में अन्य कुछेक व्यक्तियों की साक्षी से वह राशि इस्तेमाल कर उसकी स्वीकृति (रसीद) उस संघ में जमा कर सकते हैं । परंतु दूसरी बार तो स्पष्टता करके ही लाभ लेने का भाव रक्खें ।

शंका-२५ : अंजनशलाका एवं प्रतिष्ठा के कार्य में आजकल काफी धन का व्यय हो रहा है । बोलियाँ अच्छी लगी होने से ट्रस्टीवर्ग व्यय भी 'अच्छा करना चाहिए' - ऐसा सोचकर एक रुपये के स्थान पर पाँच रुपये लगा देते हैं । क्या यह योग्य है ? अयोग्य दिखावा काफी बढ़ गया है - ऐसा नहीं लगता ? ऐसे महोत्सवों में अन्य जातियाँ अपने पैसों पर मजा उड़ा रही हैं ।

समाधान-२५ : आजकल रुपया अपना मूल्य गँवा बैठा होने से 'काफी धन व्यय हो रहा है' - ऐसा लगता है । पूर्वकाल में जो उदारता दिखती थी, उसके तो आज दर्शन भी कहीं कभीकभार ही होते हैं । बाकी एक बात सच है कि - कई संघ-अग्रणी १ - धर्मशास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण, २ - धर्मगुरुओं से मार्ग-दर्शन न पाने के कारण, ३ - दुनियाई व्यवहारों का भी पूरा अनुभव न होने के कारण एवं ४ - कई बार देखादेखी के कारण भी संघ के पैसों को अनावश्यक उड़ा देते हैं । लाखों रुपयों का व्यय करने पर भी जो शासनप्रभावना होनी चाहिए, वह होती भी नहीं । इसके विपरीत कुछ प्रौढ श्रावक ऐसे भी देखे हैं कि - जो रुपये का काम बारह आनों में, फिर भी

सवाया-अच्छा कर दिखाते हैं । उनकी चकोर अनुभव दृष्टि और पकड़ इतनी विशाल एवं सूक्ष्म होती है कि - अनेक घपलों को केवल अपनी नजर से ही पकड़ लेते हैं । शिल्पी एवं सोमपुरा भी उनके आगे अपनी चाल खेल नहीं सकते ।

जिनाज्ञा एवं जयणा का पालन होता हो तो लाखों या करोड़ों का व्यय भी ज्ञानी की दृष्टि में 'निरर्थक-व्यय' नहीं है और जिनाज्ञा-जयणा का पालन न हुआ तो दुनिया की दृष्टि से 'सही-योग्य' व्यय भी ज्ञानी की दृष्टि से 'निरर्थक-व्यय' ही है ।

अयोग्य दिखावा करना उचित नहीं है एवं योग्य दिखावा तो करना ही चाहिए । क्योंकि - "आडंबर=योग्य दिखावे के साथ धर्मकार्य करना चाहिए" - यूं ज्ञानियों का वचन है । यहाँ आडंबर शब्द आजकल 'निरर्थक-व्यय' अर्थ में इस्तेमाल होता है, वह अर्थ यहाँ प्रस्तुत नहीं है । परंतु ठाट-बाट से, धर्म का बहुमान बढ़े ऐसे तौर-तरीके के रूप में प्रस्तुत है । अन्य जातियाँ जैन संघ की उदारता पर निभे, यह तो जैनों को शोभारूप है । जैन समाज-संघ महाजन के नाते सदा ही बड़े भाई के स्थान पर रहते आया है । ऐसे प्रसंगों में जरूरी उदारता रखने से अन्य जातियाँ संतुष्ट रहे, यह कुल मिलाकर अच्छा ही है । अतःएव ऐसे अवसर पर अनुकंपा दानादि की भी विधि है, जिसे शास्त्रकारों ने धर्मप्रभावक दान कहा है ।

शंका-२६ : स्नात्र पूजा में त्रिगढे (मेरु/समवसरण आकार का सिंहासन) के नीचे जो श्रीफल रखा जाता है, वह प्रतिदिन नया रखना जरूरी है या एक ही चल सकता है ? उसका मूल्य भंडार में डालें तो चल सकता है? अगर चांदी का श्रीफल हमेशा के लिए रख दें तो चल सकता है ? ऐसे करने पर नकरा भरना आवश्यक है ?

समाधान-२६ : स्नात्र पूजा में त्रिगढे के नीचे प्रतिदिन नया ही श्रीफल स्थापित करना जरूरी है । पुराना (एकबार चढ़ाया हुआ) श्रीफल दुबारा काम नहीं आता । क्योंकि एकबार चढ़ा देने से वह प्रभु-निर्माल्य गिना जाता है । उसे बेचकर आया मूल्य देवद्रव्य में जमा करना चाहिए । चांदी का श्रीफल बनाकर प्रभु के हाथ में रख सकते हैं, पर त्रिगढे के नीचे प्रतिदिन नूतन श्रीफल चढ़ाने के स्थान पर नहीं चढ़ा सकते । कोई देश-विशेष या संयोग-विशेष में ताजा श्रीफल न ही मिलने के कारण किसी ने चांदी का श्रीफल रखा हो तो उसे दृष्टांत बनाकर सर्वत्र वैसा नहीं कर सकते । अतः सदा ही ताजा श्रीफल प्राप्त कर चढ़ाने का ध्यान रखें । ऐसी स्थिति में चांदी का श्रीफल चढ़ाने पर सुयोग्य नकरा देवद्रव्य में भरना चाहिए ।

शंका-२७ : चैत्यवंदन होने के बाद स्वस्तिक पर चढ़े अक्षत, द्रव्य, फल व नैवेद्य का उपयोग कौन करे ?

समाधान-२७ : प्रभु पूजा में प्राप्त अक्षत, द्रव्य, फल व नैवेद्य यह देवद्रव्य ही है । इसका उपयोग जिनमंदिर के जिर्णोद्धार या नूतन जिनमंदिर के निर्माण में ही शास्त्रीय रीति से करना योग्य है । श्रावकों को समुचित ध्यान रख कर यह पूरा का पूरा द्रव्य योग्य रीति से बेचकर सुयोग्य मूल्य उपजाना चाहिए । चढ़ाया गया यह द्रव्य पुजारी या जिनालय आदि के अन्य किसी भी नौकर को पगार के रूप में या अन्य किसी रूप में नहीं दे सकते । ऐसा करने से देवद्रव्य के विनाश का पाप लगता है । यदि इस तरह नौकरों को यह द्रव्य दिया जाता है और संघ या संघ-सदस्यों का कोई कार्य इन नौकरों द्वारा होता हो - तो ऐसे कार्य करवानेवालों को भी देवद्रव्य के उपभोग का पाप लगता है । देवद्रव्यनाश एवं देवद्रव्य-उपभोग के जो कातिल दुष्परिणाम एवं भवभ्रमण आदि दोष शास्त्र में बताए हैं, उन्हें पढ़ने के बाद निर्माल्य देवद्रव्य के हिसाब-किताब-व्यवस्थापन में उपेक्षा करना किसी भी श्रमणोपासक को रास आए-ऐसा नहीं है ।

शंका-२८ : जिनमंदिर में चढ़ाया गया फल-नैवेद्य (नारीयल, सुपारी, बादाम, शक्कर आदि भी) यदि दुकानवाले को बेच दें तो उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है और जिनमंदिर को ज्यादा से ज्यादा घाटा ! इससे बेहतर कोई अन्य शास्त्रीय अभिगम अपना सकें ?

समाधान-२८ : दुकानवाले को बेचें तो वह भी उचित मूल्य से ही बेचना चाहिए । यदि ऐसा न हो तो देवद्रव्य को घाटा पहुँचता है । यदि इस तरह से भी घाटा रोक न सको तो अन्य एक मार्ग भी योग्य लगता है ।

जिनालय की भक्ति हेतु ज्यों अष्टप्रकारी पूजा के द्रव्य को समर्पित करने की वार्षिक बोलियाँ बुलवाई जाती हैं वैसे निर्माल्य द्रव्य की भी बोलियाँ बुलवाई जा सकती है । इसमें - हर महिने के फल-नैवेद्य के देवद्रव्य के घाटे को बचाने हेतु बारह महिनों के फल-नैवेद्य के बारह नाम अंकित किएं जाएं या उसकी बोलियाँ बुलवाई जाए वह द्रव्य देवद्रव्य में जमा करके उसमें से खरीदा हुआ फल-नैवेद्य गाँव-शहर के भिक्षुकों-अपंगों आदि अनुकंपा योग्य अजैन लोगों को दे दिया जाए, तो इससे शासन की प्रभावना के साथ-साथ देवद्रव्य का विनाश रोकने का भी बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। एक स्थान पर रूढ़ हो जाने से अनुकरणप्रिय अन्य संघों में भी इसका व्यापक प्रचार

होगा और सर्वत्र देवद्रव्य सुरक्षित बनेगा । संघजन इसमें थोड़ी उदारता से लाभ लें-ऐसा हमें लगता है ।

शंका-२९ - राजस्थान में 'अबोट दीया' चलता है, जिसे गुजरात में अखंड दीपक कहते हैं, तो उसका विधान किस शास्त्र में आता है ? उसकी क्या जरूरत ?

समाधान-२९ : जिनमंदिर में या गर्भगृह में कायमी अबोट दीया या अखंड दीपक रखने का विधान किसी ग्रंथ में हो ऐसा जाना नहीं है । शांतिस्नात्र, प्रतिष्ठा, अंजनशलाका जैसे विशिष्ट प्रभावक अनुष्ठानों में अखंड दीपक करने की विधि आती है । पर वह कार्य संपन्न हो जाने पर उसका विसर्जन कर दिया जाता है । इस विसर्जन के भी निश्चित मंत्र विधि-विधान के ग्रंथों में हैं ।

शंका-३० : 'अखंड दीपक' का लाभ क्या है ? क्या यह देवद्रव्य से किया जा सकता है ? क्या उसे दीपक-पूजा के तौर पर किया जाता है ?

समाधान-३० : अखंड दीपक, विशिष्ट विधानों में विधि की पवित्रता, देवताई सानिध्य की प्राप्ति आदि कारणों से किया जाता हो - ऐसी संभावना है । जिनमंदिर में अखंड दीपक कायमी करने के पीछे भी ऐसे ही कुछ कारण रहे हों ऐसा लगता है । परंतु उसका विधान शास्त्रों में देखने में नहीं आया है इस कारण से देवद्रव्य का व्यय इस कार्य में करना योग्य नहीं लगता । परमात्मा की दीपक पूजा तो अलग से दीपक या आरती करने से हो सकती है ।

शंका-३१ : देवद्रव्य से बनाए गए उपाश्रय-आराधना भवन में कौन-कौन-सी धार्मिक प्रवृत्तियां हो सकती हैं ?

समाधान-३१ : उपाश्रय-आराधना भवन देवद्रव्य से बनाया ही नहीं जा सकता । इसलिए उनमें कौन-कौन-सी धार्मिक प्रवृत्तियां हो सकती हैं, यह प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी किसी ने देवद्रव्य से उपाश्रय-आराधना भवन बनवाया हो अथवा उसमें थोड़ा बहुत देवद्रव्य उपयोग किया हो तो उसमें कोई भी सामान्य धार्मिक प्रवृत्ति नहीं की जा सकती । इसमें अधिक से अधिक जिनमंदिर बनाकर परमात्मा की प्रतिमा बिराजमान कर जिनभक्ति ही की जा सकती है ।

शंका-३२ : देवद्रव्य से किसी संघ ने उपाश्रय-आराधना भवन बनाया हो और श्रीसंघ सामान्य कार्यों में उसका उपयोग भी करता हो तो उस स्थान का उपयोग करने

के लिए नकरा दें तो चल सकता है ? देवद्रव्य की पूंजी का ब्याज देते रहें तो चल सकता है ?

समाधान-३२ : देवद्रव्य से उपाश्रय बना दिया हो तो गीतार्थ गुरु का मार्गदर्शन लेकर जितनी रकम देवद्रव्य की उपयोग हुई हो वह मूल रकम उसके बाजार में चल रहे ब्याज दर से आज तक के ब्याज की रकम के साथ देवद्रव्य में भरपाई कर देनी चाहिए । देवद्रव्य अथवा देवद्रव्य से बनी किसी भी वस्तु को श्रावक के कार्य में सीधा या परोक्ष रूप से उपयोग करना भयंकर कोटि का पाप है । यह दुर्गति की परम्परा बनाने वाला महापाप है । इसलिए उसकी शास्त्र-सापेक्ष मार्ग से तुरंत शुद्धि कर ही देनी चाहिए ।

ऐसे स्थान पर श्री संघ को श्री जिनभक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी आराधना करनी-करानी नहीं चाहिए । ऐसे स्थान पर 'देवद्रव्य से यह उपाश्रय बना है ।' अथवा 'इस उपाश्रय में देवद्रव्य उपयोग किया गया है' ऐसे भाव का बड़े अक्षरों में बोर्ड रखना हितकर है ।

जब तक शुद्धि का कार्य संभव न हो तब तक मूल पूंजी का बाजार भाव से चलता ब्याज भरना ही चाहिए । मात्र संघ द्वारा निर्धारित अथवा मनमाने ढंग से नकरा देकर ऐसे स्थान का उपयोग करना भी आत्मनाश का ही मार्ग है ।

देवद्रव्य प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार, नूतन मंदिरों के निर्माण आदि शास्त्रविहित कार्य में ही उपयोग किया जा सकता है । इसमें से उपाश्रय निर्माणादि करना कदापि उचित नहीं है ।

शंका-३३ : साधु-साध्वी की वैयावच्च का द्रव्य महात्मा की व्हील-चेयर के लिए आवंटित किया जा सकता है ?

समाधान-३३ : व्हील-चेयर उपयोग करना साधु-साध्वी के संयम के लिए अत्यंत घातक है । इसलिए उसे प्रोत्साहन देना बिलकुल योग्य नहीं । व्हील-चेयर इस्तेमाल करने के गंभीर नुकसानों के बारे में 'व्हील-चेयर की बीस व्यथाएँ' नामक लेख पू.आ. श्री **अशोकसागरसूरिजी** महाराज ने प्रकाशित किया है । इसी प्रकार वि.सं. २०४४ के कुंभोजगिरि तीर्थ में पू.आ.श्री **भुवनभानुसूरिजी** महाराज तथा उनके समुदाय के वरिष्ठ साधु-भगवंतों की निश्रा में उनकी आज्ञा से एक महात्मा ने व्हील-चेयर के उपयोग के

भयंकर नुकसानों के बारे में दर्द भरे शब्दों में प्रकाश डाला है । यह प्रवचन **'दिव्यदर्शन'** साप्ताहिक में भी शब्दशः मुद्रित हुआ है । संयमप्रेमी वयपर्यायवृद्ध पू.आ.श्री विजय **रामसूरिजी** महाराज ने (डहेलावाला) भी व्हील-चेयर के उपयोग के प्रति सख्त नाराजगी एवं असहमति बार-बार दर्शाई है ।

आज व्हील-चेयर के लिए वैयावच्च की रकम आवंटित की जाएगी तो कल मोटरकार अथवा रेल्वे आदि के लिए भी वैयावच्च की रकम के उपयोग करने की बात आएगी । इसलिए ऐसे अनिष्टों में साधु-साध्वी वैयावच्च के पैसों का उपयोग न करना ही हितकर है ।

शंका-३४ : इन्द्रमाला आदि की बोलियां यतियों के समय में शुरु हुई हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं - यह बात सही है ?

समाधान-३४ : इन्द्रमाला आदि की बोलियां-उछामणी की प्रथा काफी प्राचीन है । कई शास्त्रों में इससे सम्बंधित उल्लेख देखने को मिलते हैं । ऐतिहासिक प्रबंध, चरित्र तथा पट्टावलियों में भी अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं ।

कलिकाल सर्वज्ञ पू.आ.श्री हेमचंद्रसूरीश्वरजी महाराजा की निश्रा में महाराजकुमार-पाल के संघ के अवसर पर शत्रुंजय-१, गिरनार-२ तथा प्रभासपाटण-३ में उछामणी द्वारा तीन बार संघमाला गृहीत करके पहनने-पहनाने की क्रिया हुई थी । इसलिए उस समय में (विक्रम की बारहवी-तेरहवीं सदी) उछामणी की प्रथा अत्यंत दृढ़मूल एवं सार्वत्रिक बनी थी । इस माला का द्रव्य विविधतीर्थ के देवद्रव्य में जमा हुआ है ।

'युगप्रधान गुर्वावली' में चौदहवीं सदी के छ'री पालक संघों के तीर्थयात्रा के अवसर पर उछामणी के तथा उनका द्रव्य देवद्रव्य में जमा होने के अनेक उल्लेख मिले हैं । यहां इनमें से दो-चार उल्लेख का वर्णन करते हैं ।

विक्रम संवत्-१३२९ में पालनपुर से संघ निकला । यह संघ तारंगा आया । यहां इन्द्रमाला आदि की आय ३००० द्रम्म हुई थी । आगे खंभात आने पर पुनः इन्द्रमाला आदि होने पर आय ५००० द्रम्म हुई थी । शत्रुंजय तीर्थ में १७,००० द्रम्म की आय हुई थी । गिरनार पर ७,०९७ द्रम्म की आय हुई थी । यह आय अक्षयपद पर अर्थात् गुप्त भंडार में हुई थी । गुप्त भंडार (नीवि) देवद्रव्य का होता था ।

अलग-अलग उछामणी द्वारा जो आय देवद्रव्य में हुई थी, उसका संक्षिप्त उल्लेख

करनेवाले इस ग्रंथ में कहा गया है कि, **'शत्रुंजये देवभाण्डागारे उद्देशतः सहस्त्र २० उज्जयन्ते सहस्त्र १७ संजाता ।'**

भावार्थ : 'शत्रुंजय में देव के भंडार में विविधलाभों के चढ़ावे से २० हजार द्रम्म तथा गिरनार में १७ हजार द्रम्म की आय हुई थी ।'

वि.सं. १३६६ के उल्लेखानुसार **'बीजडप्रमुखसकलसुश्रावकैः श्री इन्द्रपदादि प्रोत्सर्पणा विहिता ।'**

भावार्थ : बीजड़ आदि सभी सुश्रावकों द्वारा श्री इन्द्रपद आदि की प्राप्ति के लिए प्रोत्सर्पणा की गई ।

प्रोत्सर्पणा अर्थात् उछामणी । प्र. + उत्सर्पणा = प्रोत्सर्पणा शब्द बनता है । विशिष्ट - प्रकृष्ट ढंग से धन का त्याग करके ऊंचा चढ़ने के क्रिया करके लाभ प्राप्त करने की रीत अर्थात् प्रोत्सर्पणा । जो आज बोली-उछामणी आदि के नाम से प्रसिद्ध है ।

वि. सं. १३८० में दिल्ली से आए संघ की शत्रुंजय पर माला होने पर उसमें प्रतिष्ठा माला, इन्द्रपद प्राप्त करना, कलश स्थापना करना, ध्वजा चढाने आदि समस्त लाभ सम्बंधी उछामणी होने पर कुल ५० हजार द्रम्म की आय हुई थी । यह भी **'श्री युगादि-देवभाण्डागारे-'** श्री आदिनाथदादा के भंडार में अर्थात् देवद्रव्य में जमा हुई थी ।

इसी प्रकार वि.सं. १३८१ में भी भीलड़ी से शत्रुंजय आए संघ की माला आदि की उछामणी के १५ हजार द्रम्म हुए थे वे भी **'श्री युगादिदेवभाण्डागारे'** अर्थात् दादा के भंडार में जमा हुए थे ।

ये और ऐसे अनेक उल्लेखों को देखने के बाद इन्द्रमालादि को पहनने आदि के लाभ प्राप्त करने के लिए होनेवाली उछामणी बोलियों की प्रथा को 'यतियों के समय में शुरू हुई' ऐसा कहना-प्रचारित करना बिल्कुल अर्थहीन और सत्य से परे है । इसी प्रकार श्री जिनेश्वर देव को उद्देशित करके होनेवाली इन मालाओं आदि का द्रव्य देवद्रव्य में ही जमा होना चाहिए यह और ऐसे उल्लेखों से भी सिद्ध होता है ।

शंका-३५ : देवद्रव्य का विनाश होता हो तो साधु को उसे रोकना चाहिए । न रोके तो उसके महाव्रतों की शुद्धि नहीं रहती । ऐसा धर्मसंग्रह में पढ़ने को मिलता है । इस बात को कहनेवाला कोई पाठ किसी आगम में भी है ?

समाधान-३५ : 'पंचकल्प' नामक छेदग्रंथ में यही बात इन शब्दों में कही गई है ।

x x **जया पुण पुव्वपवन्नाणिखेत्त - हिरण्णाणि दुपय-चउप्पयाई जइ भंडं वा चेइयाण लिंगत्था वा चेइयदव्वं राउलबलेण खायंति, रायभडाइ वा अच्छिंदेज्जा, तथा तवनियम-संपउत्तो वि साहू जइ न मोएइ, वावारं न करेइ तया तस्स सुद्धी न हवइ, आसायणा य भवइ ।**

भावार्थ : जिनमंदिर को मिले खेत, स्वर्ण, दास-दासी, पशु, बर्तन (उपकरण) अथवा चैत्य (देव) द्रव्य को राजा की सेना (सैनिक) नष्ट करने का प्रयास करें तब तप-नियम में रत साधु देवद्रव्य को उनसे न बचाए, इसके लिए पुरुषार्थ न करे तो उसकी (महाव्रतों की) शुद्धि नहीं होती; परमात्मा की आशातना भी होती है ।

'संबोध प्रकरण' जैसे ग्रंथरत्न में तो उपेक्षा करनेवाले साधु-'अनंत संसारी' होते हैं, ऐसा कहा गया है । अनेक ग्रंथों में यह गाथा इस प्रकार दर्शायी गई है ।

चेइयदव्वविणासे तद्दव्वविणासणे दुवियभेए ।
साहू उविक्खमाणो अणंतसंसारिओ भणिओ ।।

भावार्थ : 'चैत्य द्रव्य के विनाश के समय, दो प्रकार के चैत्य द्रव्य के विनाश में यदि साधु उपेक्षा करता है तो वह 'अनंत संसारी' कहा गया है ।'

शंका-३६ : तीर्थों में जिनबिंब बहुत होते हैं । कई स्थानों पर इस कारण प्रक्षालपूजा नहीं होती । पुजारी आकर भींगे पोंछे से साफ कर जाता है । आशातना टालने के लिए प्रतिमाजी कम नहीं की जा सकती ?

समाधान-३६ : 'स्तवपरिज्ञा' आदि प्राचीन अनेक ग्रंथों में कहा गया है कि जिनप्रतिमा की प्रक्षालपूजा प्रतिदिन होनी ही चाहिए । प्राचीन तीर्थों में अनेक जिनबिंब होने से ऐसा हो सकता है । ऐसा हो तब ट्रस्टी तथा संचालकों को प्रतिदिन प्रक्षालादि पूजा ठीक से हो ऐसा प्रबंध करना ही चाहिए । ऐसी व्यवस्था यदि संभव न हो तो प्रतिमाजी रखने का मोह कम करके जरूरतवाले स्थानों में सम्मान बना रहे इस प्रकार प्राचीन प्रतिमाजी देने चाहिए । जितने भी जिनबिंब रखें उनकी प्रतिदिन प्रक्षालादि पूजा तो होनी ही चाहिए ।

शंका-३७ : श्रावक के लिए प्रभु की आज्ञाएं क्या हैं ? उन्हें कहां से जानें ?

समाधान-३७ : योगशास्त्र, श्राद्धदिन कृत्य, श्राद्धविधि एवं धर्मसंग्रह भाग-१ आदि

ग्रंथ गुरु भगवंत के पास बैठकर बराबर पढ़ने-समझने से श्रावक के लिए प्रभु की क्या आज्ञाएं हैं, इसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । इसके अलावा धर्मक्षेत्र के संचालन की जिम्मेदारी सिर पर हो ऐसे पुण्यात्मा श्रावक को द्रव्य सप्ततिका ग्रंथ भी उपरोक्त पद्धति से पढ़ना चाहिए ।

शंका-३८ : जिनेश्वर परमात्मा की मूर्ति घर जिनालय में है, किन्तु उनके साथ ही हनुमानजी तथा लक्ष्मीजी आदि अन्य धर्मियों की मुद्रावाली मूर्तियां भी हैं तो ऐसे घर जिनालय के दर्शनार्थ जाएं ?

समाधान-३८ : घर जिनालय अथवा संघ जिनालय में मात्र जिनेश्वर परमात्मा, सद्गुरु-निर्ग्रंथ तथा मूलनायक परमात्मा के शासन की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर समवसरण में खुद परमात्मा ने डाली है, उन्हीं शासनदेव-यक्ष-यक्षिणी की शिल्पविधि अनुसार प्रतिमा स्थापित की जा सकती है और जहां इसी तरह से प्रस्थापित की गई हो, वहीं पर संघ को दर्शन-पूजनार्थ जाना चाहिए । अन्य धर्मियों के देवी-देवताओं तथा गुरुओं की मूर्तियां जहां प्रस्थापित की जाती हैं, उन स्थानों पर जाने से मिथ्यात्व लगता है । वहां जाने से श्री जिनराज तथा जैनधर्म की लघुता करने का पाप लगता है ।

'दादा भगवान' के नाम से प्रचारित गृहस्थ मत के मंदिरों में मूल गभारा में श्री सीमंधरस्वामीजी की तथा बगलवाले गर्भगृहों में श्री कृष्ण की तथा श्री शंकर भगवान की प्रतिमा प्रस्थापित देखने को मिलती है । ऐसे स्थान पर जाना भी मिथ्यात्व की ही करनी है । वहां जाकर श्री सीमंधर प्रभु को देखने-पूजनेवाला मिथ्यात्व को आमंत्रण देकर अपने आत्मघर में लाता है ।

शंका-३९ : शरीर की असहनीय गर्मी के कारण घर जिनालय अथवा संघ जिनालय में गभारा अथवा बाहर शांति से तीन-चार घंटे जिनभक्ति हो सके इसके लिए ए.सी. (एयरकंडीशनर) मशीन रखे जा सकते हैं ?

समाधान-३९ : घर जिनालय हो अथवा संघ जिनालय, इनमें कहीं भी ए.सी. तो क्या पंखा भी नहीं लगाया जा सकता । जिनभक्ति शांति से हो, इस बहाने से यह और ऐसी अन्य कई बातें, दलीलें पेश की जाएगी । इसलिए विवेकवान प्रभुभक्तों को इस मार्ग पर न चलना ही हितकर है । यह शीथिलाचार की ओर धकेलने व छःकाय जीवों की हिंसा का मार्ग है । इसलिए ऐसे सुविधागामी और आरामतलब मार्ग से बचना चाहिए।

शंका-४० : चांदी की चौबीसी के भगवान अलग हो गए हैं । पूजा में काम आ सकते हैं या फिर विसर्जन कर दें ?

समाधान-४० : कुशल कारीगर के पास विधि का जतन करते हुए चांदी को तार आदि द्वारा प्रतिमाजी को फिर से सुयोग्य स्थान पर स्थापित कर देना हितावह है । यूं ही विसर्जन करने का मार्ग योग्य नहीं है । चौबीसी के अलग हुए भगवान स्वयं खंडित हो गए हों तो विसर्जन के बारे में विचार करना जरूरी हो जाता है । इस बारे में प्रत्यक्ष देखने पर ही जरूरी परामर्श दे सकते हैं ।

शंका-४१ : भगवान के अंग पर बरास-पूजा हो सकती है या नहीं ? फिलहाल ऐसी किंवदंती सुनाई देती है कि बरास में केमिकल आता है । सत्य क्या है, यह बताने की विनंती है ।

समाधान-४१ : बरास में केमिकल आता हो, तो उसके बदले केमिकल-रहित बरास प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए । ऐसा पुरुषार्थ करने की बजाय 'केमिकल' का काल्पनिक भय खड़ा कर बरास के प्रयोग का ऐकांतिक निषेध करना - यह किसी भी तरह से योग्य प्रतीत नहीं होता । 'केमिकल' नाम मात्र से वस्तु का विरोध या निषेध कर देने का सिद्धांत यदि स्थापित कर दें, तो ज्यादातर विधियों का आज ही उच्छेद कर देना पड़ेगा । ऐसा करने से तो आलंबन ही नष्ट हो जाए । विधिमार्ग की स्थापना जब तक सर्वांश में न की जाए, तब तक प्रचलित विधि में हो रही अविधि को आगे कर समूल-विधि का विरोध कर समूल उच्छेद नहीं कर सकते । क्योंकि ऐसा करने से पूरा विधि-मार्ग ही खतरे में आ गिरेगा । केसर, कस्तूरी, बरास, भीमसेन कपूर, शुद्ध कपूर आदि सुगंधी द्रव्यों से मिश्रित चंदन से जिनबिंब की पूजा करने के अनेक विधान, उल्लेख एवं पाठ मौजूद हैं । अतः बरास मिश्रित चंदनपूजा शास्त्रोक्त ही है । इसमें कोई शंका न करें । वस्तु अच्छी व सच्ची प्राप्त हो इसका ध्यान जरुर रखें ताकि जिनभक्ति सुंदर हो सके ।

शंका-४२ : बडे तीर्थों में कुछ देवलियों पर श्रीफल के तोरण लगाए जाते हैं, उसका क्या महत्त्व है ? क्या यह शास्त्रीय है ?

समाधान-४२ : किसी भी तीर्थ या जिनालय में या अन्य किसी भी देव-देवी के स्थानों में भी, देवलियों के ऊपर इस तरह श्रीफल के तोरण बांधना-लगाना; इसमें किसी शास्त्रीय विधि का पालन हो रहा है - ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है । यह एक देखादेखी से शुरु हुआ रिवाज है और भोग भूखे लोगों ने सांसारिक वासनाओं की पूर्ति हेतु ऐसे

रिवाज शुरु किए हों - ऐसा देखा जाता है । धर्मार्थीजन ऐसी कोई प्रवृत्ति न करें यही उचित है । अजैनों में कुछ स्थानों में यह प्रथा है, उसकी देखादेखी अपने यहाँ भी कुछ लोगों द्वारा यह प्रवृत्ति शुरु की गई है, जो उचित नहीं है ।

शंका-४३ : शास्त्र में कहा है कि संघर्ष न करें, लेकिन धार्मिक बातों के विवाद खड़े कर, संघर्ष कर जो कोर्ट तक मामला ले जाया जाता है, वह कितना जायज है ?

समाधान-४३ - धर्म जब आत्मीय लगेगा, तभी यह बात समझ में आएगी । सौ-दोसौ रुपयों जैसी नाचीज चीजों के लिए सगे बाप या भाई के खिलाफ तीन-तीन कोर्टों तक जानेवाले लोग धर्म-सिद्धांतों की रक्षा के अवसर पर "मौन व शांति" की बातें करते हैं - तब आश्चर्य होता है ।

शास्त्रों में पौद्गलिक, त्याज्य चीजों हेतु संघर्ष करने की मनाही है । व्यक्तिगत मान-अपमान के वशीभूत होकर संघर्ष करने की मनाही है । लेकिन, धर्म, धर्म के सिद्धांत, धर्मगुरु का गौरव, धर्म स्थानों की स्वायत्तता, तीर्थरक्षा, जिनाज्ञा... ऐसे-ऐसे सभी आत्म-हितकर व सर्वजीव-कल्याणकर मुद्दों की रक्षा हेतु अनिवार्य रूप से संघर्ष करने की कहीं भी मना नहीं है । शासन रक्षा हेतु संघर्ष करना - यह भी एक आराधना है । ऐसे अवसर पर मौन रहने में तो साधु के भी पांचों महाव्रतों का भंग हो जाता है ।

हाँ, एक बात जरुर है कि यह संघर्ष करते समय भी हृदय के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत अदावत या वैरभाव, द्वेष, तिरस्कार आदि की भावना नहीं होनी चाहिए । इस संघर्ष में हार-जीत की काषायिक परिणतियाँ भी नहीं स्पर्शनी चाहिए । यह संघर्ष भी विवेक को त्याग कर नहीं होना चाहिए ।

न्यायपूर्वक, विनय-विवेकपूर्ण सभी प्रयत्न करने के बावजूद भी यदि सत्य-सिद्धांतों को निःश्वास बनाया जाता हो, सत्य के आराधकों को अवरुद्ध किया जाता हो, सत्य के आराधकों को कहीं भी खड़े रहने की जगह न रहे ऐसी परिस्थिति का आयोजन किया जाता हो, तब अंतिम उपाय के तौर पर न्यायपीठ में गए बिना और कोई चारा नहीं रहता । दिगंबरों ने श्वेतांबर तीर्थों का कब्जा-पूजा आदि का अधिकार पाने के लिए तकलीफें देनी शुरु की, तब श्वेतांबर संघ को उनके सामने न्याय पाने हेतु आखिरकार कोर्ट का ही आश्रय लेना पड़ा था । आज भी लेना पड़ रहा है ।

पूर्वकाल में जैनाचार्यों द्वारा असत्य का प्रतिकार करने के लिए राज्याश्रय से चलती कोर्टों में जाने के अनेक प्रसंग इतिहास में उत्कीर्ण हैं ।

आठ प्रभावक जैनाचार्यों में एक 'वादी' नामक प्रभावक हैं । सत्य-सिद्धांत रक्षा के प्रसंग पर ऐसे वादीजन राजा की कोर्टों में जाकर असत्य-वादियों को परास्त कर जैन-शासन का विजयध्वज लहराते थे ।

वीतराग जैसे स्वयं वीतराग परमात्मा को भी ऐसे श्रेष्ठ वादियों की पर्षदा होती थी । यह सब इतना स्पष्ट होने पर भी 'कोर्ट' के नाम से संघ के अबुध आराधकों को भड़काने की कोशिश करना कितना उचित है ? यही विचारणीय है ।

शंका-४४ : फिलहाल कुछ स्थानों पर 'बर्ख मांसाहार है' इस आशय को जताते चतुरंगी छवियों से भरे चौपन्ने धड़ल्ले से बांटे जा रहे हैं; उनमें दावे से साथ कहा गया है कि - बर्ख मांसाहारी चीज़ है' तो क्या यह बात सत्य है ? क्या बर्ख इस्तेमाल करने से या खाने से मांसाहार का पाप लगता है ? क्या भगवान की आंगी में इसका इस्तेमाल किया जाए ?

समाधान-४४ : 'बर्ख मांसाहार है' ऐसा प्रचार बिल्कुल खोखला व न्यायहीन है । अहमदाबाद व मुंबई में भी बर्ख बरसों से बनते हैं । इसके ग्राहक ज्यादातर जैन ही हैं । कई जैन अग्रणी तो होलसेल में बर्ख रखते हैं । इस हेतु वे हमेशा बर्ख बनानेवाले कारीगरों से सम्पर्क किए रहते हैं । उनकी दुकानों-कारखानों में भी अनेकबार आते-जाते करते रहते हैं । अहमदाबाद में तो बर्ख-निर्माण का कार्य रोड़ से गुजरते आसानी से नजर आता है । इन सभी जैनों की आंखों में धूल फैंककर "बर्ख बनाने हेतु मांसआंत आदि का इस्तेमाल होता है" ऐसा मानना अतिशयोक्तिपूर्ण है । कहीं कभी-कभार वैसे ही बनता है - ऐसे कहना योग्य नहीं है । कुछेक सालों पहले अनेक आचार्यदेवों ने एक-आवाज से 'बर्ख मांसाहारी' होने की बात को नकारा था ।

प्रतिष्ठा के प्रसंग पर धातु के भगवानों को तथा ध्वजादण्ड-कलश आदि को सोना चढ़ाया जाता है । यह सोना सोने का बर्ख बनाकर चढ़ाया जाता है । इसलिए बर्ख बनानेवाले कारीगरों को नियुक्त किया जाता है । इन कारीगरों को काम करते कईयों ने देखा है । उनके कार्य में किन-किन चीजों का इस्तेमाल होता है ? - इसका काफी

सावधानी एवं सतर्कता से जायजा सुश्रावकों ने लिया है । उसमें कहीं भी बर्ख बनाने हेतु 'मांस' पदार्थ का इस्तेमाल होना ज्ञात नहीं हुआ है ।

बर्ख बनानेवाले कारीगर निश्चित प्रकार के कागज से बनी किताब बनाते हैं । उसके एक-एक पन्ने के बीच चांदी या सोने का पतरा रख कर, किताब को बंद कर, बाहर चमड़े के जाड़े पटल रखकर उसे हथोड़े से ठोकते हैं । इस तरह बर्ख बनते हैं । इस समूची प्रोसेस में चांदी / सोने के पतरे (बर्ख) को कहीं भी, कभी भी चमड़े का स्पर्श नहीं होता है । अतः हर स्थान पर बनते बर्ख हेतु 'बर्ख मांसाहारी है - अभक्ष्य है - भगवान की आंगी या मीठाई के ऊपर लगा नहीं सकते' ऐसी बातें करना गलत है । फिर भी किसी स्थान पर उसी प्रकार से बर्ख बनाते हों, तो पूरी जांच कर शुद्ध बर्ख का इस्तेमाल करना चाहिए ।

'चमड़े से स्पर्श हो जाने भर से वस्तु अभक्ष्य-अपवित्र बन जाए' ऐसा कोई नियम जैनशासन का नहीं है । कुछ वर्षों पूर्व मारवाड़-कच्छ आदि प्रदेशों में पीने का पानी चमड़ो से बनी पखालों में आता था । पूजा में भी यह जल प्रयुक्त होता था । घी रखने के बर्तन चमड़ो के बने रहते थे । हरेक धर्म के मन्दिरों में व जैनमंदिरों में ढोल-नगाडा-तबला आदि संगीत के साधनों में चमड़े का उपयोग होता था, आज भी होता है । अतः केवल चमड़े का स्पर्श हो जाने भर से बर्ख "अपवित्र, अभक्ष्य, इस्तेमाल नहीं करने योग्य" ऐसा कोलाहल मचाना योग्य नहीं है । ऐसा करके वे जिनभक्ति आदि के एक तारक आलंबन से संघ को वंचित रखने का महादोष भी कर रहे हैं, ऐसा कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं है ।

शंका-४५ : बर्ख परमात्मा की अंगरचना में प्रयुक्त होता है, सो प्रभु की शोभा को बढ़ाने के लिए ही इसकी क्या आवश्यकता है ? अंगरचना - रहित प्रतिमा ज्यादा खूबसुरत लगता है । सामान्य जन तो अंगरचना की ही प्रशंसा करते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं ।

समाधान-४५ : भगवान की प्रतिमा के माध्यम से भगवान के जीवन की हरेक अवस्था का चिंतन करने की जिनाज्ञा है । जो चैत्यवंदन महाभाष्य आदि ग्रंथों में स्पष्टरूप से कही गई है । परमात्मा की अनेक अवस्थाओं में से ही एक अवस्था है - **'राज्यावस्था'** । इसका भावन करने के लिए ही आंगी अंगरचना का विधान है ।

व्यवहारभाष्य नामक आगम ग्रंथ में परमात्मा के बिंब का **'शृंगार कर्म'** याने कि अंगरचना करने की बात आती है । अतःएव श्वेतांबर परंपरा में आंगी-अंगरचना करने की बात आती है । श्वेतांबर परंपरा में आंगी-अंगरचना की अस्खलित परंपरा भी देखी जा सकती है ।

परमात्मा की पूजा में जगत की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऐसी सभी चीजों का प्रयोग करना चाहिए । ऐसा विधान पंचाशक, षोडशक, दर्शन शुद्धि प्रकरण, धर्मसंग्रह, श्राद्धविधि जैसे प्राचीन प्राचीनतर ग्रंथों में देखने को मिलता है । सोना, चांदी व सोना-चांदी से निर्मित चीजें जगत में श्रेष्ठ गिनी जाती हैं । अतः इनका प्रयोग जिनपूजा में किया जाता है । केवल शोभा की अभिवृद्धि का हो उद्देश्य इसमें नहीं होता । परंतु जिनाज्ञा-पालन एवं उपरोक्त उद्देश्य के अलावा, द्रव्यमूर्च्छा का त्याग, बाल जीवों को प्रतिबोध आदि अन्य अन्य अनेक उद्देश्य भी इसके पीछे हैं ।

जिनदर्शन करनेवाला आराधक केवल अंगरचना में ही उलझ जाए, यह भी ठीक नहीं है । अंगरचना यह एक माध्यम है, परमात्मा के साथ अनुसंधान करने का ! अंगरचना से बाह्य सम्बंध स्थापित होता है । बाह्य सम्बंध आंतरिक संबंध का कारण बनता है । परमात्मा की अंगरचना के माध्यम से परमात्मा के 'परमात्म-तत्त्व' के साथ मिलन करना है । यह सब क्रमिक होता है । पहले पिण्डस्थ अवस्था, फिर पदस्थ अवस्था, फिर रूपस्थ अवस्था एवं फिर रूपातीत अवस्था का ध्यान - यह क्रम है । किसी जीव विशेष को उत्क्रम से (क्रम रहित) ध्यान लगे - ऐसा बन सकता है, पर सभी जीवों के लिए ऐसा नियम नहीं बना सकते ।

शंका-४६ : पूजा के कपड़ों में सामायिक हो सकती है ?

समाधान-४६ : पूजा के कपड़ों में सामायिक करना योग्य नहीं है । सामायिक श्वेत-सूती वस्त्र पहनकर करना चाहिए, जबकि पूजा के वस्त्र मूल्यवान, रेशमी आदि होते हैं । सामायिक में ज्यादा समय बैठना होता है, पसीना होने से वस्त्र मलिन-अशुद्ध हो जाते हैं । उन्हें पहनकर पूजा करने से प्रभु की आशातना होती है । अतः ऐसा व्यवहार करना योग्य नहीं है ।

शंका-४७ : फिलहाल पद्मावती पूजन पढ़ाया जाता है सो योग्य है ?

समाधान-४७ : पद्मावती पूजन पढ़ाना योग्य नहीं है । परमतारक परमात्मा की भक्ति को गौण कर देवदेवियों का पूजन पढ़ाना; इसमें त्रिलोकीनाथ परमात्मा की आशातना होती है । यह जैसे शास्त्रदृष्टि से योग्य नहीं, वैसे व्यवहार से भी योग्य नहीं है ।

शंका-४८ : जैन मंदिरों की ध्वजा में कहीं-कहीं हरे रंग का पट्टा दिखने लगा है । तो कुछ जैन मंदिरों की ध्वजा पूरी हरे रंग की ही दिखाई देती है । इसका क्या कारण है ? क्या इस तरह रख सकते हैं ?

समाधान-४८ : जैन मंदिरों की ध्वजा में हरा रंग नहीं रख सकते । मूलनायक प्रभु यदि परिकर वाले हों तो वह परमात्मा की अरिहंत अवस्था गिनी जाती है । अतः बीच में सफेद एवं आजूबाजू में लाल पट्टा तथा मूलनायक यदि परिकर रहित हों याने कि सिद्धावस्था वाले हों तो बीच में लाल एवं आजूबाजू में सफेद पट्टा रखने की विधि है । पर कहीं भी हरा पट्टा रखने की बात नहीं आती । सौराष्ट्र के किसी गाँव में हरी ध्वजा लगाई गई ऐसा सुना जाता है । उसी के अंधअनुकरण रूप अन्य संघों में भी यह सिलसिला शुरू हुआ है और यही प्रवाह बढ़ते-बढ़ते कुछेक जिनालयों की ध्वजा में आखिर एक त्रिकोणाकृति हरे पट्टे को रखने का काम हुआ है । यह बिल्कुल गलत है । सुना गया है कि भावनगर में बनती ध्वजाओं में ऐसा हरा पट्टा रखा जा रहा है । अतः जो भी महानुभाव वहाँ से ध्वजाएँ मंगवाते हों, उन्हें उक्त स्थान पर सूचना देकर ऐसा हरा पट्टा निकलवा देना चाहिए ।

यदि इस कार्य में उपेक्षा की जाए, तो धीरे-धीरे सर्वत्र ऐसी अनुचित प्रवृत्ति शुरु हो जाएगी । फिर तो अविधि ही विधि के रूप में पहचानी जाएगी । अतः श्री संघों को समय रहते चेत जाना चाहिए और इसे रोकना चाहिए ।

शंका-४९ : साधु-संस्था में कहीं-कहीं यांत्रिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक साधनों का और साधु जीवन हेतु सर्वथा अनुचित कहे जाएं ऐसे साधनों का उपयोग होने लगा है, इस कारण से शीथिलता का दायरा बढ़ रहा है, परिणामतः जैनशासन की घोर निंदा होती है तो इसे रोकने हेतु हम श्रावकों को क्या करना चाहिए ?

समाधान-४९ : एक बात समझ लें कि - ज्यादातर साधु दीक्षित होते हैं, सो

वैराग्यपूर्वक ही होते हैं । फिर भी यहाँ आने के बाद किसी परिबल वश वे ऐसे साधनों का प्रयोग करने को ललचाते हैं । पर इन साधनों को कौन लाकर देता है ? साधु स्वयं बाजार में जाता नहीं । लोभी गृहस्थ वर्ग साधु भगवंतों की मर्यादाओं को तुड़वाकर उनसे स्वयं के स्वार्थ साधता है । ज्योतिष-मुहूर्त्त, मंत्र-तंत्र, तावीज, रक्षापोटली, यंत्र-मूर्तियाँ, दवा-दारू, वासक्षेप जैसी अनेक प्रकार की अकरणीय प्रवृत्तियाँ साधुओं से कराता है । इसके बदले में वे जो कहें वह ला लाकर देते हैं । इस प्रवृत्ति से ही साधु संस्था में सड़न पैदा हो जाती है । यदि हृदय की व्यथा से यह प्रश्न आपके मन में उठा हो तो आज से ही ऐसा निर्णय कर लेना चाहिए कि –

१ - किसी भी साधु के पास हम संसार के स्वार्थ की बात लेकर नहीं जाएंगे,

२ - साधु को ऐसे कोई भी साधन हम लाकर नहीं देंगे,

३ - जो साधु ऐसे साधनों का प्रयोग करते हों, उन्हें हम प्रोत्साहन नहीं देंगे,

४ - ऐसे साधुओं का विरोध हम से न भी हो सके तो भी कम से कम उनके सहायक तो नहीं ही बनेंगे,

५ - ऐसे साधुओं को आधार मिले ऐसी कोई कार्यवाही हम नहीं करेंगे,

६ - हमारी शक्ति हो तो विवेकपूर्वक हम उन्हें रोकने का प्रयास करेंगे,

७ - किसी भी हालत में उनकी निंदा तो नहीं ही करेंगे, उनके संबंध में खबरें छपवाकर बेइज्जती करने का काम भी नहीं ही करेंगे,

८ - अतिशय गंभीर मामला हो तो, गीतार्थ गुरु के मार्गदर्शन से सभी सुयोग्य उपाय करेंगे ।

इतना भी यदि किया जाए, तो श्रावकों-गृहस्थों के कारण जो शीथिलता प्रारंभ होती है, वह रुक सकती है और श्रमण संघ की निंदा-अवहेलना के पाप को भी ब्रेक लग सकता है ।

शंका-५० : शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के अंग से उतरा हुआ वासक्षेप लेकर श्रावक-श्राविका अपने हाथों से स्वयं के या अन्यों के सिर पर डालते हैं, क्या यह योग्य है ?

समाधान-५० : शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान या अन्य किसी भी भगवान के अंग से उतरा हुआ वासक्षेप या अन्य कोई भी पदार्थ श्रावक-श्राविका अपने हाथों से या अन्यों के हाथों से, स्वयं के या अन्यों के मस्तक आदि अंग पर नहीं डाल सकते । इन चीजों का अन्य कोई उपयोग भी नहीं कर सकते । शास्त्र की मर्यादा के अनुसार भगवान का स्नात्र जल (न्हवणजल) आदरपूर्वक लेकर सिर पर लगाने की विधि है, जिसका वर्णन बृहच्छांति स्तोत्र में आता है ।

शंका-५१ : स्त्री-पुरुषों का एक साथ सामायिक रखना क्या उचित है ? व्याख्यान सभाओं में तो स्त्री-पुरुष साथ में बैठते हैं, यह दृष्टांत समूह सामायिक में दे सकते हैं ?

समाधान-५१ : स्त्री- पुरुषों का एक साथ (संयुक्त) सामायिक रखना उचित नहीं लगता । ऐसी प्रथा चलाने से मर्यादा संबंधी कई प्रश्न खड़े होने की संभावना है । व्याख्यान सभाओं का दृष्टांत लेकर भी इस प्रथा का समर्थन करना उचित नहीं है ।

शंका-५२ : हमारे गाँव में कुछ वर्ष पूर्व निर्मित शिखरबद्ध चतुर्मुख जिनालय में ध्वजा नहीं रखी है । आजुबाजु के बंगले वाले ऐतराज करते हैं कि ध्वजा का परसाया घर पर गिरे तो सर्वनाश होता है । अरिहंत एवं सिद्ध के वर्ण की प्रतीक ध्वजा हजारों मील (mile) से यदि दिखाई दे तो भी वंदनीय है - ऐसा सुना है । तो फिर उसके परसाये के बारे में उठाया गया सवाल भ्रम है या सच है ?

समाधान-५२ : ध्वजा का परसाया घर पर गिरे तो दोषरूप है, यह कहना ठीक नहीं । विधान तो ऐसा है कि - दिन के दूसरे एवं तीसरे प्रहर में ध्वजा का परसाया गिरे तो दोषरूप है । ध्वजा का परसाया दिन के पहले एवं आखिरी प्रहर में बड़ा लम्बा गिरता है एवं दिन के दूसरे-तीसरे प्रहर में तो काफी नजदीक ही गिरता है । इसमें पहले एवं आखिरी प्रहर में घर पे परसाया गिरे तो दोष नहीं है । पर दूसरे-तीसरे प्रहर में यदि वह घर पे गिरे तो शास्त्र दृष्टि से दोष बनता है । घर पर परसाया गिरे इतने से ही वह दोषरूप नहीं बनता । यदि ऐसे ही होता तो फिर पहले-चौथे (आखिरी) प्रहर में परसाये के गिरने में भी दोष होता ! पर वैसे तो है नहीं ! क्योंकि वास्तविकता कुछ और है । 'दूसरे-तीसरे प्रहर की ध्वजा का परसाया घर पर नहीं गिरना चाहिए' - इस विधान के पीछे आशय 'जिनमंदिर से गृहस्थ का घर इतना दूर होना चाहिए कि, जिससे गृहस्थ के गृह

में हो रही प्रवृत्तियों की अशुद्धि के कारण मंदिरजी की आशातना न हो', यह बताना है ।

दूसरे-तीसरे प्रहर में याने सूर्योदय के पश्चात् लगभग तीसरे घण्टे से लगा नौवे घण्टे तक के समय में सूर्य ऊपर चढ़ता होने से ध्वजा का परसाया मंदिर के बिल्कुल नजदीकी प्रदेश में ही गिरता है । अतः जिनमंदिर से घर इतना नजदीक हो, तो मंदिर की आशातना का दोष लगता है । इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि मंदिर से अपना घर इतना नजदीक न बनाए ।

संक्षिप्त में कहें तो ध्वजा के परसाये की बात 'जिनमंदिर से घर कितनी दूरी पर होना चाहिए, कितना नजदीक नहीं होना चाहिए' यह मर्यादा बताने हेतु ही है । दूसरे-तीसरे प्रहर में मंदिर की ध्वजा का परसाया गिरे इतना नजदीक गृहस्थ का घर नहीं होना चाहिए । जिस घर पर दूसरे-तीसरे प्रहर में ध्वजा का परसाया गिरता न हो, उस घर पर पहले-चौथे प्रहर का परसाया गिरे तो कोई बाधा नहीं है । क्योंकि वह घर शास्त्र द्वारा निषिद्ध क्षेत्रमर्यादा में नहीं आता ।

अब, कोई व्यक्ति जिनमंदिर पर ध्वजा ही न लगाए, पर ध्वजा हो और उसका परसाया दूसरे-तीसरे प्रहर में गिरे इतने नजदीकी अंतर में अपना गृह बनाए, तो ध्वजा न होने के कारण ध्वजा का परसाया न गिरने पर भी उसे दोष लगता ही है । और ध्वजा होते हुए भी दूसरे-तीसरे प्रहर में ध्वजा का परसाया न गिरता हो इतना दूर यदि घर बनाया हो, वहाँ पहले-चौथे प्रहर का परसाया गिरता भी हो, तो भी उसे कोई दोष नहीं लगता।

लोगों को इस बाबत पूरा ज्ञान न होने से शंकाएँ पैठ गई हो ऐसा प्रतीत होता है ।

शंका-५३ : मंदिर में भगवान को चढ़ाए हुए पुष्प वगैरह दूसरे दिन उतार लिए जाते हैं, उन निर्माल्य पुष्पों का निकास कैसे किया जाए ? उसे स्नात्रजल में स्नात्रजल की कुंडी में या नदी में विसर्जित कर सकते हैं क्या ?

समाधान-५३ : कुंथु आदि अत्यंत सूक्ष्म-त्रस जीव थंडी एवं सुगंध के कारण बहुत दफे पुष्पों का आश्रय लेते हैं । अतः निर्माल्य पुष्पों को स्नात्रजल, स्नात्रजल के भाजन में या नदी में विसर्जन करने पर उनकी हिंसा हो जाती है । अतः उन्हें किसी भी जल में या प्रवाह में नहीं पधरा सकते । उन्हें वहीं पधराना चाहिए, जहाँ किसी का पाँव न

आए, धूप बिना की छाँववाली जगह हो और वहाँ कोई पशु आदि आकर पुष्पों को खा न जाए ।

शंका-५४ : पूज्य साध्वीजी महाराज पुरुषों के समक्ष पाट पर बैठकर या नीचे बैठकर भी क्या प्रवचन कर सकते हैं ?

समाधान-५४ : साध्वीजी महाराज पुरुषों के समक्ष पाट पर बैठकर या नीचे बैठकर भी प्रवचन नहीं दे सकते । प्रवचन करने का अधिकार 'प्रकल्प यति' का है । साध्वीजी प्रकल्प यति नहीं होते, अतः वे पुरुषों के समक्ष प्रवचन नहीं कर सकते । यह शास्त्र मर्यादा है ।

शंका-५५ : साधर्मिक-वात्सल्य में बूफे-भोज कर सकते हैं क्या ? उस समय मानों 'रामपात्र' हाथ में ले खड़े हैं, इस तरह थाली/डीश हाथ में ले कतार में खड़े रह सकते हैं क्या ?

समाधान-५५ : वर्तमान समय में कई अनर्थकारी रीतें धर्मकार्यों में भी प्रविष्ट कर गई हैं, जो जैन धर्म की मर्यादा का भंग करने वाली हैं । साधर्मिक-वात्सल्य, संघ भोज या प्रभावना हो, तब 'साधर्मिक-भक्ति' का लाभ लेना, 'प्रभावना का लाभ लेकर जाइए', ऐसा कहा जाता है, यह बिलकुल उचित नहीं है । 'लाभ लीजिए' ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि 'लाभ दीजिएगा' ऐसे कहना चाहिए । 'प्रभावना का लाभ लेकर जाइए' ऐसे नहीं कह सकते, पर 'प्रभावना का लाभ प्रदान करने पधारिएगा' ऐसे बोलना चाहिए।

साधर्मिक जीमने हेतु पधारें तब उनकी अगवानी करनी चाहिए । दूध से उनके पाँव धोने चाहिए । उचित आसन पर उन्हें बिठाना चाहिए । बहुमानपूर्वक परोसना चाहिए । उचित तौर-तरिके से आदरपूर्वक आग्रह (मनुहार) करनी चाहिए । जो कुछ वे लेवें उसका अनुमोदन होना चाहिए । वे पधारते हों, तब 'आपने हमें लाभ देकर बड़ा उपकार किया, फिर से लाभ दीजिएगा,' ऐसी विनंती करनी चाहिए ।

साधर्मिक-वात्सल्य करनेवाला व्यक्ति, जितने भी पुण्यात्मा खाना खा कर पधारें, उनका ऋणभार मस्तक पर चढ़ाएँ । साधर्मिक-वात्सल्य में आनेवाले भी सिर्फ खाने की भावना से ही न आएँ । साधर्मिक की भावना का आदर सम्मान करने हेतु आएं । उचित मर्यादापूर्वक रहें । खाने की आदतों के वशीभूत न बनें । कोई चीज न माँगें । कोई चीज रह गई तो मन में न लाएं । खिलाने वाला 'लीजिए-लीजिए' कहे तब सहजता से,

'नहीं-नहीं' कहने के भाव में हों । खिलानेवाला हाथ जोड़े तो खानेवाला भी सामने हाथ जोड़े । 'मैं भी कब ऐसा साधर्मिक-वात्सल्य करूँ' ऐसा मनोरथ करें ।

साधर्मिक-वात्सल्य, साधर्मिक-भक्ति एवं संघ भोज में ऐसी उत्तम मर्यादाओं का पालन होना चाहिए । इसके विपरीत आज साधर्मिक-वात्सल्य करनेवाले को अन्यों का स्वागत करने का भाव न हो, आनेवाले के प्रति आदर-बहुमान न हो, 'आओ ! खाने का लाभ लो !' ऐसी वृत्ति हो, 'मैंने इतनों को खिलाया, ऐसा-ऐसा खिलाया' - ऐसा भाव हो एवं खाने आनेवालों को भी मानों 'बाकी रह न जाएं' ऐसी वृत्ति हो, थालियां या डीशें हाथ में ले लाईनें लगाकर खड़े हों, खुद ही खुद अपनी थालियाँ या डीशें भर रहे हों, कोई चीज लेनी रह न जाए, उसकी चिंता हो, पाँव में बूट या जूते पहने हों, हाथ में थाली या डीश को पकड़कर खा रहे हों, ऐसे भोजन व्यवहार को साधर्मिक-वात्सल्य, साधर्मिक-भक्ति या संघ भोज का नाम नहीं दे सकते । ऐसा भोजन-व्यवहार जैन धर्म की मर्यादा के अनुरूप तो है ही नहीं, अपितु आर्यदेश की उत्तम मर्यादा एवं प्रणालिका के साथ भी संगत नहीं है । ऐसी प्रवृत्ति से जिनाज्ञा की आराधना नहीं, बल्कि विराधना होती है ।

शंका-५६ : वीशस्थानकजी की पूजा करने के बाद अरिहंत परमात्मा की पूजा हो सकती है या नहीं ?

समाधान-५६ : एक वीशस्थानक की पूजा करने के बाद दूसरे वीशस्थानक की पूजा कर सकते हैं और उसमें मध्यवर्ती पद में तो अरिहंत परमात्मा ही होते हैं । वीशस्थानक कोई व्यक्ति की पूजा नहीं है, पर पद की पूजा है । अतः वीशस्थानक की पूजा करके अरिहंत परमात्मा की पूजा करने में कोई बाधा नहीं है । यही नियम सिद्धचक्रजी में भी समझें ।

शंका-५७ : जैन मंदिरजी के किसी भी खाते के पैसे; जैसे कि देवद्रव्य, साधारण, सर्वसाधारण जैसे खातों में से मंदिरजी की कोई सम्पत्ति न हो उसमें पैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्या ? पूरी विगत नीचे मुजब है । एक मंदिरजी के पास में ही सोसायटी का कोमन प्लॉट आया हुआ है । इस कोमन प्लॉट में मंदिरजी की कोई मालिकी नहीं है । मंदिरजी एवं सोसायटी के कोमन प्लॉट का आपस में कुछ लेना-देना भी नहीं है।

मंदिरजी के कारोबारी ट्रस्टी ही सोसायटी के भी कारोबारी सदस्य हैं । अतः उन्होंने मंदिरजी के पैसों से सोसायटी के कोमन प्लॉट में फ्लोरींग एवं बाथरूम बनाए हैं । उस हेतु हुए खर्च की रु. ६०००० से ६५००० की रकम मंदिरजी से उठाई है । तो ऐसे मंदिरजी के पैसे सोसायटी के प्लॉट में लगाए जा सकते हैं क्या ? मंदिरजी ट्रस्ट एक्ट अनुसार रजिस्ट्रीकृत है । ऐसी बड़ी रकम चैरिटी कमिश्नर की स्वीकृति के बिना लगा दी है। सोसायटी के कोमन प्लॉट में यह कार्य होने से इसका दोष सोसायटी में रहनेवालों को लगेगा या ट्रस्टियों को ? इस तरह रकम के दुरुपयोग की जिम्मेदारी किसकी ? इस बारे में पूरी विगत के साथ "शंका और समाधान" विभाग में जवाब दे मुझे आभारी करें ।

समाधान-५७ : धर्मक्षेत्र के किसी भी खाते की रकम धर्मक्षेत्र को छोड़ अन्य किसी भी क्षेत्र में नहीं लगा सकते । उसमें भी जो कार्य साधारण में से ही किए जा सकते हैं, उन कार्यों में देवद्रव्य, ज्ञानद्रव्य, साधु-साध्वी द्रव्य, अनुकंपा या जीवदया द्रव्य भी नहीं लगाया जा सकता ।

धर्मेतर कार्यो में ऊपर के द्रव्य की भाँति श्रावक-श्राविका क्षेत्र का द्रव्य भी नहीं लगा सकते ।

जो कार्य सर्वसाधारण (शुभ खाता) में से किए जा सकें ऐसे होते हैं, उन कार्यों हेतु साधारण द्रव्य भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ।

सात क्षेत्रों हेतु नियम ऐसे हैं कि - श्रावक-श्राविका क्षेत्र का द्रव्य संयोगविशेष में जरूर पड़ने पर साधु-साध्वी क्षेत्र में, जैनागम क्षेत्र में एवं जिनमंदिर-जिनमूर्ति क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु जीवदया, अनुकंपा या धर्मेतर कार्यों में इस्तेमाल नहीं कर सकते । तथा जिनमंदिर-जिनमूर्ति खाते का (देवद्रव्य) द्रव्य हो तो वह जिनमंदिर-जिनमूर्ति बिना अन्य किसी भी कार्य में इस्तेमाल नहीं कर सकते । अतःएव मंदिरजी के नजदीक सोसायटी के कोमन प्लॉट, जिसे मंदिर के साथ कोई लेना-देना नहीं है, उसके फ्लोरींग में या संडास-बाथरूम बंधवाने जैसे कार्यों में देवद्रव्य या धर्मक्षेत्र के किसी भी खातों की रकम नहीं लगा सकते।

इस तरह धर्मक्षेत्र की रकम ऐसे कार्यों में इस्तेमाल करनेवाले ट्रस्टी अवश्य दोष के भागी बनते हैं एवं इस सुविधा का उपयोग करनेवाले सोसायटी के निवासी या

अनिवासी भी धर्मद्रव्य के उपभोग का दोष अवश्य प्राप्त करते हैं । धर्मद्रव्य का किसी भी रूप से उपभोग करनेवालों को दुर्गति की परंपरा भुगतनी पड़ती है । अतः जल्द से जल्द इस ऋण का ब्याज के साथ भुगतान कर दोषमुक्त बनना चाहिए ।

मंदिरजी में जलते दीपक की रोशनी घर में गिरने पर उस रोशनी में स्वयं का हिसाब-किताब लिखनेवाले को कैसे दुःखद फल भुगतने पड़े हैं, इस बारे में धर्मशास्त्रों का सद्गुरुओं के सानिध्य में वाचन-श्रवण करने से भी इस बात का अच्छा ज्ञान हो सकेगा ।

शंका-५८ : हमारे यहाँ एक पूजन पढ़ाया गया । जिसकी प्रेरिका एवं आगेवान थी एक साध्वीजी महाराज ! उन्होंने उस संदर्भ में एक झोली बनाकर भगवान को भिक्षा देने की प्रेरणा की । उसमें केवल रुपये ही डालने थे एवं लोगों ने वैसा ही किया । तो क्या यह उचित है ? क्योंकि भगवान तो भिक्षा हेतु झोली रखते नहीं एवं भिक्षा में रुपये-पैसे लेते नहीं, ऐसा हमने जाना है । तो ये पैसे कौनसे खाते में जमा करें ?

समाधान-५८ : आप सूचित करते हो वैसे किसी भी पूजन में भगवान की भिक्षा एवं झोली की बात नहीं आती । अतः ऐसा यदि किया गया हो तो यह बिलकुल अनुचित है एवं भगवान की लघुता करनेवाली बात है । साध्वीजी भगवंत हो या साधु भगवंत हो, सुविहित प्रणालिका अनुसार प्रचलित पूजा-पूजन का ही वे केवल उपदेश दे सकते हैं । परंतु सीधे या आड़े रास्ते उस हेतु न तो प्रेरणा दे सकते हैं, न ही उस कार्य की आगेवानी ले सकते हैं । वर्तमान में श्रावक संघ में प्रवर्तमान शास्त्रीय मार्ग संबंधी भीषण अज्ञानवश ऐसी कई प्रवृत्तियाँ चल रही हैं । जो चलानी किसी के भी हित में नहीं है ।

अज्ञानादिवश ऐसा हो चूका ही है तब झोली की वह रकम देवद्रव्य में जमा कर जिनमंदिर के जीर्णोद्धारादि में ही लगाना हितावह है । भगवान भिक्षा हेतु झोली नहीं रखते और भिक्षा में रुपये-पैसे नहीं लेते, ऐसा आपका खयाल सही है ।

शंका-५९ : धार्मिक या अन्य फटी हुई किताबें कहाँ परठावें ? कैसे परठावें ? (इनका त्याग-व्यवस्था कहाँ-कैसे करें ?)

समाधान-५९ : धार्मिक या अन्य फटी किताबें जब इस्तेमाल-योग्य न रहें तब उन्हें परठवने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं होता है । तब उन पुस्तकों को फाड़ कर छोटे-छोटे टुकड़े करने चाहिए । फाड़ते समय व्यक्ति-पशु-पक्षी आदि के चित्र न फटे, इसका

ध्यान रखें । तत्पश्चात् उन्हें किसी निर्जन स्थान पर, पहाड़ियों के गड्ढों में या ऐसे ही किसी सूखे स्थान में ध्यानपूर्वक परठावें । परठवने के समय 'अणुजाणह जस्सुग्गहो' और परठवने के पश्चात् 'वोसिरे वोसिरे वोसिरे' ऐसा बोलना चाहिए ।

विशेषकर पानी में, नदी में, तालाब में, समुद्र में या अन्य किसी आर्द्रतावाली जगह में कागज को न परठावें । क्योंकि ऐसा करने से कागज में उत्पन्न हुई दीमक-कीड़े-कुन्थु आदि जीवों की हिंसा-विराधना हो जाती है । उसी तरह जहाँ लोगों का आना-जाना हो ऐसे स्थानों में भी परठना न चाहिए, ताकि उन कागजों का उपयोग जलाने आदि किसी भी कार्य में न हो । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कागज पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं, उनमें उपरोक्त जीव-जंतु पैदा हो जाते हैं, उनकी हिंसा होती है । वह न हो अतएव विधिपूर्वक-प्रयत्न करने का ध्यान रखें ।

शंका-६० : जिनमंदिर में ललाट पर कपाली-सोने चांदी की पट्टी लगाई जाती है, वह पट्टी राल में घी डाल कर उसे मसल कर चिपकाई जाती है, पर यह पट्टी गर्मी के दिनों में निकल जाती है । प्रक्षाल के समय भी निकल जाती है । तो उसे राल के बदले स्टीक-फास्ट जैसे किसी पेस्ट से चिपकाया जाए तो अच्छी तरह चिपकती है, निकलती नहीं । हमारे मंदिर में भगवान को ऐसी पट्टी चार महिनों से स्टीक फास्ट से चिपकाई हुई है, जो आज तक फिट रही है । तो चिपकाने में कोई हर्ज ? जो हर्ज-दोष न हो तो फिर चक्षु (आँखें) एवं टीका (तिलक) भी उसी से चिपकाएँ तो निकलेंगे नहीं । देखने में भी अच्छे लगेंगे ।

समाधान-६० : सबसे पहले यह बात जानें कि भगवान के ललाट पर किसी सोने-चांदी की पट्टी लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ।

कई बार मुकुट को आधार रहे अतः या फिर एक ने किया सो देख कर-देखादेखी से भी ऐसी चीजें बनवाकर लगा देते हैं । जिनेश्वर भगवान की प्रतिमाजी को चक्षु-टीका आदि कोई भी चीज कायमी तौर पर चिपकाने हेतु 'राल' का ही प्रयोग होना चाहिए । सेन-प्रश्न में ऐसा खुलासा किया गया है । राल में गाय का घी थोड़ा-थोड़ा डालकर बराबर एकरस लेप बन जाने तक कूटना होता है । सभी दाने कूटे जाने पर एकरस एवं सघन क्रीम जैसा बन जाए, बाद में ही चिपकाने में काम लें । इस तरह से चिपकाने के बाद बरास का लेप या फिर भीगे अंगलूछने से उसे ठंडक देकर रखें । इस तरह करने से दो-चार दिनों में ही वह कठोर बन कर जम जाएगी ।

दूसरा ख्याल यह रखना होता है कि - परमात्मा को प्रक्षाल या अंगलूछना करते समय बड़ी सावधानी से, धीरे-धीरे, एकाग्रतापूर्वक, अपने नन्हें बालक को स्नान कराते समय जैसी सावधानी ली जाती है, उससे अधिक सावधानी बरतनी चाहिए । यदि ऐसा न करो तो लेप हिल जाएगा और चक्षु-टीका-पट्टी भी जमेगी नहीं ।

राल के अलावा, स्टीक फास्ट, एरेल्डाइट, फेविटाईट, इन्स्टन्ट स्टीक आदि किसी भी केमिकल्स को प्रभु के अंग पर प्रयोग नहीं करना चाहिए । ये केमिकल्स भयंकर, हिंसक केमिकल्स हैं । उनसे प्रतिमाजी को नुकसान होने की घटनाएं हुई हैं । अनुभवी व्यक्तियों से पूछकर बराबर प्रयोग करने से राल कैसे बनाना - इस्तेमाल करना : यह जानकर कुशलता पाई जा सकती है।